हरियाणा विधानसभा

की

कार्यवाही

5 अप्रैल, 1978

खंड 1 अंक 16

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार 5 अप्रैल, 1978

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(16) 1

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर. (16) 35

अध्यक्ष द्वारा विधायकों के लिए ट्रेनिंग कोर्स सम्बन्धी घोषणा

(16) 39

कार्य सलाहकार समिति की चतुर्थ रिपोर्ट...

(16)

39 नियम 15 के अधीन प्रस्ताव. (16) 42

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

(16) 42

ध्यानाकर्षण सूचना

(16) 43

दि पंजाब विलिज कौमन लैंडज (रैगुलेशन) हरियाणा

अंमैंडमेंट बिल, 1978..

(16) 44

दि पंजाब न्यू मंडी टाउनशिपस (डिवैल्पमेंट एंड रैगुलेशन)

हरियाणा अमैंडमेंट बिल, 1978.

(16) 45

दि पंजाब लेबर वैल्फेयर फण्ड (हरियाणा अमैंडमेंट)

बिल, 1978

(16) 46

दि पंजाब स्टेट एड टू इंडस्ट्रीज (हरियाणा अमैंडमेंट)

बिल, 1978

(16) 47

दि पंजाब कोआप्रेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमेडमेंट)

बिल, 1978

(16) 69

दि ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 1978..

(16) 88

दि हरियाणा एग्रीकल्चरलू क्रैडिट औप्रेशन्ज एण्ड

मिसलेनियस प्रोवीजन्ज (बैंक्स) अमैंडमेंट बिल, 1978..

(16) 98

बहिर्गमन.. (16)

111

दि हरियाणा एग्रीकल्चरल क्रैडिट औप्रैशन्ज एंड

मिसलेनियस प्रोवीजन्ज (बैक्स) अमैंडमेंट बिल, 1978

(पुनरारम्भ)

(16) 111

दि हरियाणा सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंग्ज

(अमैंडमेंट) बिल, 1978.. (16)

112—115

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 5 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर – 1, चण्डीगढ में 9. 30 बजे प्रातः हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहिबान, अब सवाल होंगे ।

तारांकित प्रश्न सं. 385

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य स्वामी आदित्य वेश सदन में उपस्थित नहीं थे ।

PRIMARY SCHOOLS WITHOUT TEACHERS

***341. Shri Devender Sharma : Will** the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of 'primary schools in the State which are without teachers and since when, togetherwith the steps being taken to post teachers in such schools ;

(b) the steps being taken by the Government to regularise the services of adhoc/stipendary teachers who are in service for more than three years ; and

(c) (i) whether there is any provision to provide

security of service to teaching/non-teaching staff of private schools/colleges in the State ? If not, the steps if any the Government is considering to take in this direction; and

(ii) whether there is any proposal under consideration of the Government to frame rules to bring at par the conditions of service of private teachers with those of Government teachers in the matter of pay, D.A. Leave Pension, Medical reimbursement etc. ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(ए) शून्य

(बी) मामला विचाराधीन है ।

(सी) (1) एवं (2) प्राईवेट स्कूलों के शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के लिये हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1971 तथा उसके अतर्गत बनाए गए नियम पहले ही लागू हैं । इन नियमों के अनुसार ये कर्मचारी वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले कर्मचारियो के बराबर हैं । प्राइवेट कालिजों के शिक्षकों के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है परन्तु इन प्राइवेट कालिजों को सहायता अनुदान इसी शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इन कर्मचारियों को मंहगाई भला तया वेतनमान नहीं दिया जाएगा जोकि सरकारी कालिजों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है ।

उपरोक्त कर्मचारियों को पैन्शन तथा मैडिकल रीइम्बरसमैंट आदि देने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, मेरे सवाल के पार्ट (बी) के जवाब में वजीर साहिबा ने फरमाया कि मामला अन्डर कसिडेरशन है । लेकिन इन्होंने कुछ नही बताया कि कब से अन्डर कसिडेरशन है और कब तक कंसिडेरशन पूरा हो जाएगा । 6–6 साल से लोग स्टाइपैन्डरी चल रहें हैं और ऐडहाक बेसिज पर चल रहे हैं । क्या उनको रैगुलर कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा, यह इन्होंने कुछ नहीं बताया?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत उलझा हुआ है और बहुत बिगड़. चुका है । सन् 19 69– 70 से लेकर 1977 तक कोई भी रैगुलर अप्वायंटमैंट ऐजुकेशन डिपार्टमैंट में नहीं की गई । कुछ लोग ऐडहाक बेसिज पर, कुछ स्टाइपैन्डरी बेसिज पर और कुछ सिक्स मंथली बेसिज पर रिक्रूट किए जाते रहे । जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने देखा कि यह बड़ा गम्भीर मसला है और इस मामले को सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हो गए । मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि केवल विचाराधीन कह कर हम जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते । इसमें हमने कुछ कदम भी उठाए हैं । एक कदम यह है कि हमने डिस्ट्रिकट बोर्डज की अप्वायंटमैंट कर दी हे । जिन 1637 टीचर्ज की सिलैक्शन हाई कोर्ट से कवैश की

गई थी उनकी सिलैक्शन करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि यह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डक अटवायंट किराऋ गए हैं इनके द्वारा उन 27 हजार लोगों में से, जो उस वक्त ऐप्लीकेंटस थे, 637 टीचर्ज की सिलैक्शन करवाई जाएगी । हमने यह भी निर्णय लिया हए कि इन 1637 टीचर्ज की अलावा जो लोग ऐडहाक और स्टाइपैन्डरी चल रहे हैं उनको भी एस0एस0एस0 बोर्ड के परव्यू से निकाल देने की इजाजत मांगी है और डिस्ट्रिक्ट बोर्डज इसी पैट्रन पर उन लोगों की सर्विसिज को रैगुलेराईज करेंगे ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब मेरे प्रश्न के पार्ट (सी) के उत्तर में इन्होंने लिखा है कि –

"For the teaching and non-teaching staff of private schools, the Haryana Aided Schools (Security of Service) Act., 1971 and Rules framed thereunder are already in force".

लेकिन स्पीकर साहब मैं वजीर साहिबा से पूछना चाहूंगा कि कानून तो बना हुआ है परन्तु क्या यह कही लागू भी होता है? क्या हमारी सरकार के नोटिस में ऐसी बात है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल लागू होता है । आपने देखा होगा कि कई बार स्कूलों की ग्रांट बंद हो जाती हैं । यह एक पीनल क्लाज है । इस हरियाणा एडिड स्कूल्ज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) ऐक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल्ज को यह सुरक्षा दी गई है कि शिक्षा संस्था का कोई भी आदमी, कोई भी मैनेजमैंट किसी भी टीचर को अगर हटाना चाहे या रिटैरच करना

चाहे तो वह ऐसा जिला शिक्षा अधिकारी की परमिशन के साथ ही कर सकता है और अगर किसी कर्मचारी के साथ अन्याय होता है तो कर्मचारी को अधिकार प्राप्त है कि वह डी0पी0 आई0 को ऐप्लीकेशन दे डी0पी0आई0 उसका फैसला करेगा । अगर इस तरह की कोई ऐनोमंत्री, कोई इररैगुलैरिटी शिक्षा विभाग के नोटिस में लाई जाती है तो उन लोगों की, मैनेजमैंट को इंस्ट्रक्शन जारी की जाती है कि वह इस सम्बन्ध में दी गई इंस्ट्रक्शंज को कैरी आउट करे । फिर भी अगर कर्मचारी के साथ अन्याय होता है या मैनेजमैंट नहीं मानता है तो उसकी ग्रांट बन्द कर दी जाती है और वह ग्रांट तब तक खोली नहीं जाती जब तक मैनेजमैंट किए गए अन्याय को समाप्त न कर दे ।

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें पता हैं कि पिछले दिनों प्राईवेट कालेजिज की टीचर्ज यूनियन ने एक जलूस निकाला था और सिक्योरिटी आफ सर्विस के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी को एक मैमोरैन्डम दिया था? यदि हां, तो उसके पर क्या ऐक्शन लिया गया?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, वह मैमोरैन्डम शिक्षा मंत्री जी को मिला था लेकिन मैं अपने माननीय सदस्य को यह बता दू ' कि प्राईवेट टीचर्ज की सिक्योरिटी आफ सर्विस का जहां तक सम्बन्ध है उसके बारे में यूनिवर्सिटी कैलैन्डर में पहले ही बड़े साफ तौर पर प्रावधान किया गया है कि प्राईवेट कालेजिज

के टीचर्ज को कैसे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दी जाएगी । जहां तक ऐग्जामिनेशन के बाईकाट का सम्बन्ध है, इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, वे लोग कहते हैं कि उन्हें कोई भत्ता या रीम्युनरेशन ऐग्जामिनेशंज का नही दिया जाता । इसके वारे में अध्यक्ष महोदय, सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 50 परसैट ऐग्जामिनेशन का रीम्यूनरेशन देने का सरकार ने निर्णय कर लिया है । (प्रशंसा)

चौधरी हर स्वरूप बूरा : स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने अभी बताया कि ऐडहाक और स्टाइपैन्डरी टीचर्ज को रैगुलेराइज करने का मामला सरकार के विचाराधीन है । लेकिन में उनसे यह जानना चाहता हूं कि उनको रैगुलेराइज करने का तरीका क्या होगा? क्या उनको एस0 एस0 एस0 बोर्ड को फेस करना पड़ेगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज : स्पीकर साहब, मैंने प्रारम्भ में ही बताया था कि एस0एस0एस0 बोर्ड के परव्यू से इनको निकाल लिया गया है । वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह बहुत उलझा हुआ मसला था । (विघ्न) अच्छा है सदन को पता चल जाएगा कि मामला बड़ा गम्भीर रहा है । ऐसा हुआ अध्यक्ष महोदय, कि सन् 1970 में बीस हजार लोगों की ऐप्लीकेशंज आईं और एस0 एस0 एस0 बोर्ड ने इन्टरव्यू कंडक्ट किया । उसमें अध्यक्ष महोदय, 1637 लोगों की सिलंक्शन की गई । 1637 में से अभी 1252 टीचर्ज ने ही ज्वायन किया था कि कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में सिविल रिट कर दी और कहा कि यह

सिलैक्शन क्वैश कर दी जाए क्योकि इसमें इररैगुलैरिटी. है और यह बोर्ड केवल एक मैम्बर का बोर्ड है । उनके इस आर्गुमैंट पर हाई कोर्ट ने वह सिलैक्शन क्वैश कर दी लेकिन सिलैक्शन क्वैश होने के बावजूद भी सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन लोगों को ऐडहाक बेसिज पर चलने (दिया जाए और वे चलते रहे । उसके बाद, क्योंकि हाईकोर्ट की जजमैंट को उन्होंने फलाउट नहीं करना था इसलिए उन्होंने और ऐप्लीकेशंज इनवाइट की । सन् 197 1 में एक टैस्ट लिया गया । इस में उन्होंने इन्टरव्यू के साथ–साथ क्करिटन टैस्ट भी लिया । 27 हजार लोगों ने यह टैस्ट दिया परन्तु 1082 1 लोगों ने इसे क्लीयर किया ।

श्री लछमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल का जवाब नही है बल्कि भाषण है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, उन्होने रैगुलेराइजेशन का सवाल पूछा है कि कैसे उन्हें रैगुलर किया जाएगा । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर इन ऐडहाक और स्टाईपैन्डरी टीचर्ज को एवरप्टली रैगुलेराइज कर दिया जाए तो जिनके साथ पहले अन्याय हुआ था या जिन्हें सिलैक्ट नहीं किया गया था उनके साथ आज भी न्याय नहीं होगा । इसलिए मैं यह डिटेल में जवाब दे रही थी । अगर ये छोटा जवाब चाहते है तो वह मैं पहले ही दे चुकी हूं और इस सवाल को पूछने की आवश्यकता ही नही थी । मैंने तो पहले ही कहा है कि रैगुलेराइजेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करेगा । एस0 एस0 एस0 बोर्ड के

परव्यू से इन्हें निकाल दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट बोड के सामने एप्लीकैटस को जाना पड़ेगा ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, इस महकमे में वजीर साहिबा नई–नई हैं । (विघ्न) मैंने टीचर्ज की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की बात की है । इसके बारे में दोबारा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यह बड़ी गम्भीर समस्या है और प्राईवेट टीचर्ज हड़ताल करनेके लिए तैयार बैठे हैं । यह समस्या खतरनाक रूप ले सकती हैं । हम चाहते हैं कि ऐं सा न हो । अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट टीचर्ज और प्रोफैसर्ज को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की कोई स्टैचुटरी प्रोटैक्शन नहीं दी गई है । मैंनेजमैट, जिस किसी को मन में आए, निकाल कर बाहर फैंक देता है । कहा जाता है कि kick him out, turn him out.उसको अदालत में जाने का भी अधिकार नहीं । क्या सरकार ऐसा कोई इंतजाम करेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राईवेट कालेजिज के टीचर्ज की सिक्योरिटी आफ सर्विस का सवाल है, मैंने पहले भी जवाब में बताया था कि इसके लिए युनिवर्सिटी का कैलैन्डर मौजूद है । कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी के मिस्टर देवेन्द्र शर्मा आज भी स्टुडैन्ट हैं । युनिवर्सिटी के कैलैन्डर को इन्होंने अवश्य पढ़ा होगा । उसमें साफ– साफ दे रखा है कि किस तरह अप्वायंटमैट की जाएगी, किस तरह उनको कन्फर्म किया जा एगा और सी का दो साल से ज्यादा प्रोबेशनरी पीरियड नही बढ़ाया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, हुसके साथ ही साथ मैं माननीय

सदस्य को यह भी बताना चाहती हूं कि यह महकमा मेरे पास नही है । यह आज भी कर्न ल राव राम सिंह जी के पास है । मैं तो उनकी जगह पर जवाब दे रही हूं । (प्रशं सा)

श्री फतेह चन्द विज : स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि मैनेजिंग कमेटीज के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें होती रहती हैं लेकिन शिकायत करने वाले को इंसाफ नही मिलता? क्या सरकार इसके लिए कोई सैल मुकर्रर करेगी जो मौके पर जाकर जल्दी से जल्दी उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, डी0 ई 0 ओं 0 डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी अथौरिटी होती है । वह लोकल ही होता है और वह उन लोगों से ज्यादा दूर नही होता । ये शिकायतें उनसे की जा सकती हैं ।

चौधरी मेहर सिंह राठी : स्पीकर साहब, प्राईवेट स्कूल वाले दस्तखत तो पूरी तनख्वाह पर करवा लेते हैं लेकिन देते कम हैं । सैनी कालेज रोहतक की इस किस्म की बहुत सी शिकायतें है । लोग पर्स नल तौर पर मेरे पास– आए हैं । इसके अलावा और भी कई स्कूलों में ऐसा है । क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठाएगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, राठी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है । इस तरह की शिकायतें बहुत ज्यादा

सरकार के नोटिस में थी । आप सभी सदस्यगण ये जानते हें कि उन शिकायतों के आधा र पर ही यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया कि प्राईवेट कालेजिज को टेक–ओवर किया जाये । ऐसी इररेगुलैरेटीज प्राइवेट कालेजिज में हो रही हैं, इन चीजों को सामने रखते हु।र ए क बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया कि ऐसी जगह पर जो मैनेजमैंट है सरकार उसको तीन साल के लिए टेक–ओवर कर लेगी ।

चौधरी खुरशीद महमद : मिनिस्टर महोदया ने फरमाया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस बात का फैसला करेगा । मैं मिनिस्टर महोदया से पूछना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोड का क्या कास्टीच्यूशन है, कौन बोर्ड के मैम्बर्ज होंगे, क्या क्वालीफिकेशन होगी । किस तरह से बना है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, हर डिस्ट्रिक्ट बोड पर डी 0 ई 0 ओं 0 डिस्ट्रिक्ट बोड के चेयरमैन होंगे, एस 0 डी 0 ई 0 ओं 0 उसका मैम्बर होग और लोकल हायर सकैण्डरी स्कूल की लेडी प्रिंसिपल. या लोकल हाई स्क्ल की लेडी हैड–मिस्ट्रैस या अगर कोई और लोकल हाई स्कूल हो तो उसका हैड–मास्टर मेम्बर होगा यानी डी0 ई0 ओ0 जिस भी लेडी प्रिंसिपल या लेडी हैड–मिस्ट्रैस को चुनेगा, वह इसकी मैम्बर होगी । ये तीन लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कस्टिज्यूट करेंगे ।

चौधरी संत कवर : स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने हाउस को बताया है कि जो प्राईवेट स्कूलज के टीचर्ज है उनके माथ कोई ज्यादती नहीं होगी ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने यह नहीं कहा ।

चौधरी संत कवर : आपने यह कहा था कि जो सरकारी टीचर्ज हैं उनके मुकाबले में प्राईवेट कालैजिज के जो टीचर्ज है उनके साथ कोई ज्यादती नही होगी, यह कहा था । मंत्री महोदया ने जवाब में यह दिया है कि प्राइवेट कालेजिज के और स्कूलों के जो अध्यापक होंगे उनकी पैन्शन और मैडीकल सहायता के बारे में सरकार कोई भी सहायता देने पर विचार नही कर. रही ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय कोई भी इस तरह की सुविधा देने का प्रस्ताव सरकार के विशेष रूप से सामने रख कर ही डिसाइड 'किया जा सकता है । केवल अबरप्ट हयूमिनिटी ग्राउन्ड पर सारी चीजें डिसाइड नही होती । मैं सदन के सदस्यों को बता दूं कि जहां तक प्राइवेट स्कूलों के टीचर्ज का सवाल है, उनको डी0 ए 0 और लीव के मामले में सरकारी स्कूलों के टीचर्ज के बराबर सुविधा हे । ए 0 डी0 यू0, मैडीकल री–इम्बरसमैंट और पैन्शन उनको नहीं दी जाती है लेकिन एक प्रस्ताव प्राइवेट स्कूल्ज के मुताल्कि सरकार के पास विचाराधीन है कि 95 प्रति– शत घाटे को सहायता अनुदान के द्वारा पूरा किया जाये । 95 प्रतिशत घाटे को पूरा करने का डिसीजन अगर सरकार

कर लेती है तो ए 0 डी0 ए0 भी उन लोगों को मिल जायेगा लेकिन 95 प्रतिशत डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट देने के लिए एक करोड़ एडीशनल एक्सपैडीचर सरकार को करना होगा । 98, 3 9, 949 रुपया सरकार को देना पड़ेगा । उस चीज को भी हम देख रहे हैं । अगर इसको देने का निर्णय सरकार कर लेती है तो ए0 डी0 ए 0 भी प्राईवेट स्कूल के टीचर्ज को मिलने लगेगा । मैडीकलरी–री–इम्बर्समैंट और पैन्शन का जहां तक ताल्लुक है, अभी सरकार के रिसोर्सिज इतने नहीं हैं कि इस प्रस्ताव को कन्सीडर करे ।

श्री जब नारायण वर्मा : मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जो तथाकथित पब्लिक स्कूल पब्लिक के लिए नही होते जैसे सीनियर मॉडल स्कूल या मॉडल स्कूल, क्या ये स्कूल भी इस परव्यू के अन्दर आ जाते हैं और अगर नही आते हैं तो इनके लिए सरकार क्या विचार कर रही है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह सैपरेट सवाल है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या वजीर साहिबा बताने का कष्ट करेंगी कि जो सिलैक्शन बोर्ड मुकर्रर कर दिया है, उसकी कोई डेट आदि नहीं रखी गई है कि कब से सिलैक्शन कर रहे हें । मिनिस्टर साहिबा, को पता है कि जो टीचर्ज सिक्स मन्थ बेसिज पर या स्टाइपैडरी बेसिज पर तीन तीन और चार चार साल से लगे हुए हें उनको हर छ महीने बाद हटा दिया जाता है । उन

लोगों को भी तकलीफ होती है और पढ़ाई का भी नुक्सान होता है जो कि बड़ा भारी नुक्सान है । क्या उनको कन्टीन्यू करने पर विचार करेंगी ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय जहां तक डेट का सवाल है, बहुत जल्दी डेट मुकर्रर कर के पेपर में एडवरटाइजगैंट जा रही है कि फलां डेट को डी0 ई0 ओ0 आफिस में इस तरह की इन्ट्रव्यू होगी और जहां तक उनकी सर्विस कन्टीन्यू रखने का सवाल है, हम तो उनको रैगूउलेराइज करने की बात कर रहे हैं । वे कन्टीन्यू ही करेंगे, किसी को निकाला नहीं जा रहा है औरे यह कोशिश की जा रही है कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो और बिल्कुल योग्यता के आधार पर उनको रैगुलेराइज भी किया जाये । पोहलू साहब जब सरकार उनकी रैगुलेराइजेशन पर विचार कर रही है तो उनको निका लने का तो कभी विचार कर ही नहीं सकती ।

श्री अध्यक्ष : इस क्वैश्चन को 15 मिनट हो गए हैं इसलिये अब अगला क्वैश्चन मूल चन्द जैन जी पूछें ।

Resources and Economy Committee

***413. Shri Mool Chand Jain.** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the Resources and Economy Committee has Submitted any report ; and

(b) the amount of expenditure incurred on the

Committee till it was dissolved ?

Finance Minister: (Chaudhri Satvir Singh Malik) :

(a) Yes s'r.

(b) The total expenditure incurred on this Committee from 24.5. 1977 to 23.11.1977 was Rupees 56858.52 Paise.

श्री मूल चन्द जैन : मंडी महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस कमेटी का क्या फन्कशन था और आया जब यह डिजौल्व की है तो क्या इसका फन्कशन पूरा हो गया है?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी गवर्नर–रूल के अन्दर कुछ पर्पज के लिए बनाई गई थी जो कि निम्नलिखित हैं:––

(i) suggest measures for the mobilisation of additional resources. This may include upward revisicn of present rates of taxes and suggestions regarding new sources of revenue both direct and indirect;

(ii) examine the present tax structure on the State and to suggest ways and means for :-

a) recovery of tax arrears;

b) improving income from the existing levies inter alia making suggestions in regard to avoidance of evasion of taxes i. e. sales tax, excise duty, entertainment tax and electricity tariff etc. ; and

c) recovery of outstanding loins ant interest charges from Government under-takings and Corporations ;

iii) examine the State liabilities and non-plan expenditure with a view to securing economy wherever possible without impairing the efficiency of the administration; and

iv) explore and suggest such administrative measures as may help in reducing administrative expenditure:

In addition and as a matter of priority the Committee was asked to indicate:—

i) economy measures which could be adopted forth with to curtail Goverment expenditure without affecting the developmental efforts in any way; and

ii) steps required to optimise utilization of the developmental infrastructure already available in the State in the shape of autonomous Corporations/ Boards Organisations and other Institutions of Government etc.

श्री हीरा नन्द आर्य : स्पीकर साहब मंडी महोदय ने बताया है कि किन बातों के लिए यह रिसोर्सिज कमेटी बनाई गई थी और इसका जो मुद्दा था वह पुराहो चुका है, तो क्या अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, असल में तो यह कोई क्वैश्चन ही नहीं है । जिम मुद्दे के लिए कमेटी बनाई

थी, उसकी उसने रिपोर्ट दे दी है and that report is under the consideration of the Government.

श्री शमशेर सिंह : क्या मंत्री महोदय बनायेंगे कि हरियाणा सरकार की जो नयी पालिसी अलाटमैंट आँफ कन्ट्री लीकर, के बारे में है यह इसी कमेटी की रिप ओर्ट की वजह से अडौप्ट की गई है?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : यह सैपरेट क्वैश्चन है । इससे कोई ताल्लुक नहीं है और न ही इसमें लीकर की कोई बात है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या वजीर साहब हा0स में उसकी रिपोर्ट रखेंगे ।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : आप मांग करेगे तो रख देंगे (शोर) But that is a separate question.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : हम तो कहते हैं कि इसको हा0स में रखें ।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : मैं कहता हूं कि– यह सैपरेट क्वैश्चन है । यह क्वैश्चन का पार्ट नही है ।

That is not the part of the quetion.

Mr. Speaker : I have 'heard. The question is relevant. It is up to you to give a suitable answer.

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब जहां तक रिपोर्ट का ताल्लुक है इनका क्वैश्चन तो. था. (a) "whether the Resources &Economy Committee has submitted any report; and

I have repiled "Yes sir" and that report is under the consideration of the Government. रिपोर्ट के बारे में मैंने कहा है कि गवर्नमैंट के अन्डर–कन्सीडेरशन है । यह किसी ने भी डिमान्ड नहीं की थी कि यह हाउस के अन्दर रखी जाये । अगर नोटिस देंगे तो हाउस में रख दी जायेगी ।

चौधरी भजन लाल : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस कमेटी के कौन अध्यक्ष थे और उनको क्यों हटाया गया?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बता दिया है कि कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, रिपोर्ट आ गई तो मामला खत्म हो गया ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैं जवाब दे देता हूं । श्री दरबारी लाल गुप्ता जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे और जब उनकी टर्म परी हो गई तो उस कमेटी को डिजोल्व कर दिया गया ।

Printing Machines

***480 Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for

Social Welfare be pleased to state -

(a) the number of printing machines purchased so far since the Haryana Government Printing Press has started/functioning in Haryana State ;

(b) the number of printing machines working properly at present;

(c) the details of the expenditure incurred on the printing machines which were declared out of order ;

(d) the names of the firms from whom these printing machines were got repaired ;

(e) the year-wise expenditure incurred on the printing got done from out-side from the year 1968 to date ;

(1) whether any coolers/airconditioners were purchased for Government employees after 1.1.1977, if so with whose permission ; and

(g) the names of the firms from whom the above referred machinery/coolers/airconditioners were purchased ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(क) 15

(ख) 14

(ग) शून्य क्योंकि कोई मशीन अभी तक नाकारा घोषित नहीं की गई है ।

(घ) उक्त (ग) के दृष्टिगत इसका प्रश्न ही पैदा नही होता ।

(ड) सूची नं. 1 सदन के पटल पर रखी जाती है ।

(च) कोई नही ।

(छ) सूची नं. 2 सदन के पटल पर रखी जाती है ।

सूची नं . 1

वर्ष 1968 से अब तक बाहर की प्रैसों से करवाये गए छपाई के कार्य पर खर्चे का विवरण ।

प्राईवेट प्रैसों को की गई अदायगी

वर्ष	खर्चा
1968-69	34802-98
1969-70	701707-24
1970-71	903658-28
1971-72	1525468-94
1972-73	1501369-19
1973-74	1305308-24
1974-75	1909418-26
1975-76	2110300-68

1976-77	1791012-56
1977-78	850671-55

यू0 टी0 प्रेस को की गई अदायगी

वर्ष	खर्चा
1968-69	10511291-00
1969-70	1511210-00
1970-71	2066887-00
1971-72	1369944-57
1972-73	449944-83
1973-74	4397749-73
1974-75	1396841-78
1975-76	1288237-24
1976-77	1498610-31
1977-78	5041222-03

(अब तक)

सूची नं 0 2

उन फरमों के नाम जिन से मशीनें खरीदी गई हैं––

(1) मैसर्ज मनुभाई सन्ज एण्ड कम्पनी बम्बई ।

(2) मैसर्ज इन्डो इरोपीयन मशीनरी कम्पनी दिल्ली ।

(3) मैसर्ज जै0 महावीर एण्ड कम्पनी दिल्ली ।

(4) मैसर्ज ग्राफिक सेलज न्यू दिल्ली ।

(5) मैसर्ज हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटिड ।

(6) मैसर्ज इन्डोयूरोप ट्रे डिग कम्पनी दिल्ली

(7) मैसर्ज अनिल सेलज कारपोरेशन इण्डिया, चण्डीगढ ।

श्री शमशेर सिंह : मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो इस सवाल के जवाब में यह बताया कि इतना भारी रुपया हरियाणा सरकार प्राईवेट प्रे सिज को दे रही है, क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी पालिसी हैं कि सरकार अपनी प्रेसिज को एक्सपैंड करे ताकि रुपये की बचत हो सके?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, सवाल रुपये की बचत का नही है, सवाल इस नीति का है कि क्या इस ट्रेड में सरकार मौनोपली कर ले और बाकी जो छोटी–छोटी प्रेसिज हैं, उनको बन्द होने के लिए कह दे या इस को इसी तरह से चलने दिया जाये कि कुछ काम हम करते रहें और कुछ काम प्राईवेट प्रैसिज को देते रहें । इस पर तो पालिसी डिसीजन अभी सरकार ने लेना है । जहां तक उनकी कैपेसिटी बड़ाने का सवाल है, उस के बारे में मैं यह बता दूं कि इतना तो हमने निर्ण य ले लिया है

कि हम कैपेसिटी बढायेंगे । लेकिन यह निर्णय अभी लेना है कि हम इस टेरड में मौनोपली कर लें या छोटे प्रेसिज को हम जिन्दा रखना चाहते हैं ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि कितने परसैंट काम गवर्नमैंट प्रैस खुद कर रही है और कितने परसैंट काम बाहर से करवाया जाता है और क्या इस परसैटेज को इन्क्रीज करने के लिए डिपार्टमैंट ने सरकार से बजट के अन्दर रुपया मांगा है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, परसैटेज के तौर पर तो नहीं लेकिन इतना जरूर है कि हम गजट, बजट और लेजिस्लेटिव बिजनैस एक्सैपट क्वैश्चन्ज और डिबेट्स तो यू 0 टी0 प्रैस को देते हैं, फार्म्ज स्तैर कूछेक टैक्सट बुक्स हम बाहर के प्रेसिज को देते है, बाकी सारा टैक्सट बुक्स का काम हम अपनी पंचकूला प्रेस में खुद करते है ।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, इस सवाल के जवाब में मंत्री महोदया ने यह कहा है कि कोई नहीं खरीदा है, लेकिन असलीयत यह है कि 25 हजार रुपये के दो वाटर–कूलर जहां तक मुझे पता है, खरीदे गये हैं और वह गवर्नमैंट की बगैर सैक्शन लिये खरीदे गये हैं और जब वह गवर्नमैंट के पास सैक्शन के लिए गये तो सरकार ने उसको रिजैक्ट कर दिया । अब उस बात के बावजूद भी उसकी पेमैन्ट हो रही है और खरीदने वाले के

खिलाफ कोई एक्शन नही हुआ । क्या मन्त्री महोदया इस बारे में बताने की कृपा करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मांगे राम जी सही कह रहे हैं लेकिन उन्होंने शायद सवाल नही पढ़ा । सवाल यह था कि गवर्नमैंट एम्पलाईज के लिए किसी एयरकूलर की परचेज की गई है या नहीं । इस का मैंने जवाब दिया है कि कोई नहीं परचेज किया गया है । हां अलबत्ता तीन एयरकूलरज वर्कशाप के लिए जरूर परचेज किये गये हैं । आपने बिल्कुल दरुस्त फरमाया कि उसमें कुछ इररैगुलैरिटी हुई है । ऐ से है कि उस आइटम की परचेज पर बैन लगाया हुआ था लेकिन फिर भी कन्ट्रोलर ने उसके परचेज के आर्डर दिये और वह मामला फाईनांस डिपार्टमैंट के पास गया हुआ है । वह उसकी इन्क्रवार्री कर रहा है । मैं माननीय सदस्य को इस बातका आश्वासन देती हूं कि पूरी तरह से परचेंज की जेमू– इननैस की जांच की जायेगी । अगर परचेज इनजैनूइन निकली तो जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ पूरी–पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

चौधरी संत कंवर : मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि 1 5– 1 1– 1977 को कुछ सामान खरीदने के लिए कुटेशन्ज मांगी गयी थी । उसमें जिन फर्मों ने कुटेशन्ज दी उनमें सबसे कम कुटेशन जिसफर्म की आयी, उसका टैडंर छोड़ दिया गया, और उसकी बजाय किसी और फर्म से सामान परचेज किया गया । स्पीकर साहब, लैटर नम्बर 2 145 है जिस पर कुटेशन्ज

मंगवायी गयी और माल आया मैसर्ज डी0 पी 0 जगन से, हालाकि कुटेशन कम थी किसी और की, मैसर्ज हंस राज ओम प्रकाश की?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, हालाँकि यह सवाल बिल्कुल भी इस सवाल से सम्बन्धित नही है लेकिन फिर भी, क्योंकि मुझे इस केस के सारे तथ्य मालूम हैं, इसलिए मैं बता देती हूं । (व्यवधान और शोर) यह कहना गलत है कि कुटेशन कम थी किसी और की और आर्डर किसी और को दिया गया । इररैगुलैरिटी यह है उसमें कि मैसर्ज

हंस राज ओम प्रकाश : जिनकी कुटेशन सबसे कम थी, उसी फर्म को, मैसर्ज हंस राज ओम प्रकाश को आर्डर प्लेस किया गया लेकिन बिल आया मिस्टर डी 0 पी 0 जगन का । यानी या तो उन लोगों ने आपस में पूल कर रखा था या कोई बोगस फर्म थी या कोई उसकी सिस्टर कर्न्सन थी । मैं अपने माननीय सदस्य को यह भी बता दूँ, जैसे ही मामला मेरे नोटिस में आया, मैंने वह फाईल वहां से सीज करवा ली और अब उस मामले की पूरी –पूरी जांच की जा रही है । जिस दिन भी उसकी इन्कवारी रिपोर्ट आ गयी और उसमें जो भी आदमी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ पूरी–पूरी कार्यवाही की जायेगी ।

चौधरी संत कंवर : मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि उन्हे इस बात का पता नहीं कि चार फर्में बोगस हैं और ये चारों फर्में डी0 पी 0 जगन की हैं जो कन्ट्रोलर है, वह

सारे का सारा माल इन्ही फर्मों से खरीदता हैं और उनकी कुटेशन्ज आपस में अदली– बदली जाती हैं, जब कुटेशन्ज हंस राज ओम प्रकाश के नाम से कम आयी और उस माल का बिल कन्ट्रोलर के पास जो आता है बिल नम्बर 2 1 45, वह बिल और माल भेजता है मिस्टर डी0 पी 0 जगन । माननीय मुख्य मंत्री जी से वे लोग मिले, उन्होंने इनके नोटिस में लाया होगा । क्या इन्हें पता नहीं कि वे बोगस फर्मे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं तो खुद कह रही हूं कि यह बोगस फर्मे नजर आती हैं (व्यवधान व शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय सदस्य से पहले ही कह रही हूं कि मामला वही है कि या तो ये फमें बोगस हैं या फिर ये सिस्टर कन्सर्न हैं । इसीलिये तो इन्कवारी करा रही हूं और इन्कवारी होने के फौरन बाद जो भी दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । (व्यवधान व शोर)

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : मंत्री महोदया ने यहां पर कहा है कि जो भी दोषी पाये जायेंगे उनको कड़ी सजा दी जायेगी । मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि चन्द साले पहले गवर्नमैंट प्रेस में आग लगी थी, उसकी इन्कवारी हुई थी, और उस इन्कवारी पर आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसकी क्या वजह है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, यह पुरानी सरकार की बात कर रहे हैं । इन्होंने कार्यवाही नही की । इनके साथ ही बैठे है, इनसे पूछ ल क्यो कार्यवाही नही की ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : क्या अब आप उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर मेरे नोटिस में आप यह बात लायेगे तो उस पर जरूर इन्कवायरी शुरू करवा दूंगी ।

Permit Issued for sending the Wheat out side the State

***502. Shri Mange Ram Gupta :** Will the Minister for Health be pleased to state -

(a) whether the Haryana Government had issued permits to the traders for sending their wheat out side the State by imposing 50% levy on wheat during the period from April, 1974 to July, 1974;

(b) whether it is a fact that some part of the wheat levy was given to the F.C. I. according to the orders of Haryana Government;

(c) whether it is also fact that the traders got the Sales Tax number for the wheat levy which was received by the Haryana Food and Civil Supply Department but Sales Tax number of wheat levy received by F.C.I. was not given to them as a result of which the traders had to pay undue Sales Tax for it; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to settle the matter as referred to in part (c) above with F.C.I. ?

खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा) :

(क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने कोई घोषणा पत्र जारी नही किये परन्तु उन्होंने ''वीट प्रोक्योरन्मैट (लैवी) आर्डर, 1974'' के तहत खरीद की गई गेहूं के लिए व्यापारियों को साधारण प्रमाण–पत्र जारी करने का निर्णय लिया है । बिक्री–कर घोषणा–पत्रो के न पश किए जाने के फलस्वरूप कुछ व्यापारिपों को बिक्री–कर बारे

त्रे'कै'क

किये जाने की सम्भावना हो सकती है ।

(घ) हां ।

श्री मांगे राम गुप्ता : मन्त्री जी यह मानती हैं कि सरकार की हिदायत के म्उताबिक, हरियाणा सरकार के आर्डज' के मुताबिक ही व्यापारियों ने एफ 0 सी0 आई0 को खरीद कर गेहूं दिया हए, चार साल हो गए हरियाणा सरकार व्यापारियों से टैक्स चार्ज कर रही है । जबकि इसमें कसूर व्यापारियों का नहीं बल्कि

सरकार का है कि उसने चार साल तक एक्शन क्यों नहीं लिया इनका खुद का अपना डिपार्टमैंट था, इनको सेल्ज टैक्स वालों को यह हिदायत करनी चाहिए थी कि आप व्यापारियों से टैक्स चार्ज न करो लेकिन व्यापारियों से टैक्स चार्ज हुआ है । जब एक बार टैक्स चार्ज हो गया तो 'फिर क्या फायदा है? इसलिये मैं स्पीकर साहब, मंत्री महोदया से यह प्रार्थना करूंगा कि सेल्ज टैक्स डिपार्टमैंट को यह आर्डर इशु करवायें कि वह तब तक व्यापारियों से सेल्ज टैक्स वसूल न करें जब तक कि इस पर कोई फाईनल कन्कल्यूजन नही हो जाता । उन व्यापारियों से कोई सेल्ज टैक्स वसूल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस पर कोई फाईनल डिसीजन नहीं हो जाता?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पुरानी सरकार जिम्मेवार है । बात यह हे कि एक्साईज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट वालों का झगड़ा फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैंट वालों के साथ भी चल रहा है । जब एफ 0 सी0 आई0 वालों ने 1974–75 में 50 प्रतिशत लैवी की गेहूं परचेज कर के गवर्नमैंट को दी थी तो उस वक्त पहली असैसमैंट के अन्दर तो 40 लाख रुपया उन्होंने दे दिया लेकिन. जब दूसरी असैसमैंट आई तो वे हाई कोर्ट भे चले गये । 15– 11– 1975 को हाई कोर्ट की यह जजमैंट आ गई कि गेहूं लैवी प्रोक्योरमैंट द्वारा सरकार ले रही है इस– लिए इस पर सेल्ज टैक्स नही लगेगा । फिर फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमैंट के साथ जब सोनीपत के ई0 टी0 ओ 0 ने

यह झगड़ा पैदा किया तो फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्ट– मैट ने एल0 आर0 से भी सलाह ली । एल0 आर0 ने भी यह कहा कि हम लैवी को सेल नही मानते इसलिये इस पर टैक्स नही होना चाहिए । इस पर एक्साईज. एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट के साथ बातचीत चल रही है और जैसे ही यह फैसला हो जायेगा ट्रेडर्ज से यह टैक्स नहीं लिया जायेगा 1

श्री मांगे राम गुप्ता : मंत्री महोदया से मेरी यह रिक्वैस्ट है – (व्यवधान व शोर) स्पीकर साहब जो व्यापारियों ने गेहूं दिया है यह हरियाणा सरकार के हुक्म के मुताबिक दिया है, हमने एफ0 सी0 आई0 को डायरैक्ट नहीं दिया । जब यह व्यापारियों को टैक्स देने के लिए मजबूर कर सकती है तो यह एफ0 सी 0 आई0 वालों को भी मजबूर कर सकती है कि या तो वे अपना नम्बर दें या फिर टैक्स दें? यह तो फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमैंट वालों को यह हिदायत करे तो अच्छा है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 10–5–1973 को एफ 0 सी0 आई0 ने यह कुमिट किया कि हम आपको जो गेहूं, हम खरीदते हैं, उस पर टैक्स दे देंगे परन्तु हाई कोर्ट की रूलिंग के बाद जैसे ही एकसाईज एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमैंट इस बारे में फैसला कर देगा, वैसा कर लिया जायेगा । It is under consideration.

श्री मूल चन्द मंगला : स्पीकर साहब, महकमे के अन्दर कई दफा जो कुरप्ट व्यापारी है, वह क्या करता है, जब सीजन

आया जून–जुलाई का, 98 किलो तो व्हीट भर देता है और दूसरे क्लाईमेट में या सीजन में वह 1 00 किलो हो जाता है । यानी दो किलो गेहूं की गड़बड़ करता है और बोरियों के बारे में यह करता है कि बोरियां उसको तो मिलती हैं नई लेकिन वह भरता हए पुरानी बोरियों में ।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : यह तो रैलेवैन्ट क्वैश्चन नही है ।

श्री बलदेव तायल : मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि यह जो नाजायज टैक्स व्यापारी से वसूल किया गया है, यह रिफन्ड करेंगे?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : फिर बोलिये मैंने सुना नही ।

श्री बलदेव तायल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो नाजायज तौर पर टैक्स वसूल किया गया है, जिस के बारे में हाई कोर्ट की रूलिंग मंत्री महोदया ने बताई है और एल0 आर 0 की भी ओपीनियन मन्त्री महोदया ने बतायी है क्या उसको रिफन्ड करने की सरकार कृपा करेगी?

10.00 बजे

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : स्पीकर साहब, यह तो टैक्सेशन डिपार्टमैंट वालों का ताल्लुक है । इसके लिए जो भी

रूलिंग आई है उसके पर विचार करने के बाद ही फैसला ले लिया जायेगा ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगे कि व्यापारियों से आगे के लिए तो कोई टैक्स नहीं लिया जायेगा ताकि व्यापारियों के पर बे कार का बोझा न पड़े?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : इस वक्त नहीं लिया जा रहा हे । लेवी सिस्टम केवल एक वर्ष के लिए ही रहा, उस समय भी जैसे ही हाई कोर्ट की रूलिंग आई और एल 0 आर 0 ने अपनी ओपिनियन दी, उसके बाद से टैक्स नही लिया गया और टैक्सेशन डिपार्टमैंट के साथ बातचीत चल रही है ।

श्री फतेह चन्द विज : मन्त्री महोदया ने बताया हे कि फैसला होने पर टैक्स नहीं लिया जा रहा । क्या मन्त्री महोदयों बताने की कृपा करेंगे कि जो टैक्स ले लिया गया है उसको वापिस किया जाएगा ।

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया) ।

चौधरी भजन लाल : अभी मन्त्री महोदया ने बताया है कि एफ 0 सी 0 आई 0 से डिक्लेरेशन (प्रमाण–पत्र) आ जाएगा तो व्यापारियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा । क्या मन्त्री महोदयों बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यापारियों से टैक्स ले लिया गया है उनको वापिस कर दिया जाएगा?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : स्पीकर साहब, यह टैक्सेशन डिपार्टमैंट वालों का काम है । हम फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैट वाले तो खुद फंसे बैठे हें और प्रतिक्षा में हैं ।

श्री हीरा नन्द आर्य : मन्त्री महोदया ने बताया है किं हाई कोर्ट से यह फैसला हो चुका है कि यह जो टैक्स वसूल किया जा रहा है यह खिलाफ कानून है और यह बात सरकार के विचाराधीन है । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि यह मामला कब से विचाराधीन है और कब तक उसका फैसला कर दिया जाएगा?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : इसका फैसला शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाऐगा ।

श्री लक्षमन सिंह : स्पीकर साहब, अभी सदन में कहा गया है कि यह टैक्स व्यापारियों से वसूल किया गया है । लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि टैक्स कंज्यूमर से लिया गया है, व्यापारी अपनी जेब से नहीं देते । क्या इस टैक्स को व्यापारियों को वापिस कर के देसका सदुपयोग किया जाएगा?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : मैं सदन को विश्वास दिलाती हूं कि उसका सदुपयोग किया जाएगा, और सम्बन्धित वर्ग के साथ न्याय किया जाएगा ।

चौधरी संत कंवर : अभी मन्त्री महोदया ने बताया है कि यह मामला टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास है । मेरा कहना यह है

कि चौधरी सतवीर सिंह इस बात का जवाब दें कि आया यह टैक्स व्यापारियों को वापिस किया जाएगा या नहीं. किया जाएगा?

वित्त मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : अध्यक्ष महोदया, इस प्रश्न के लिए अगर अलग से नोटिस दिया जाएगा तो उत्तर दे दिया जाएगा ।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, यह गल्त फहमी है कि यह जो टैक्स दिया गया है यह कंज्यूमर से वसूल करके सरकार को दिया गया है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह टैक्स व्यापारियों की जेब से निकल रहा है ।

Flights of the State owned Aeroplane

***498. Shri Surrinder Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state the date-wise flights of the State owned aeroplane during the period from 21st June, 1977 to date ?

Social Welfare Minister (Shrimati Sushma Swaraj)

The statement of flights from 21.6.1977 to 27.3.1978 is laid on the table **of** the House.

STATEMENT

Details of Flights of Haryana Government Beech Baron Aircraft from 21st June, 1977 to

27th March, 1978.

Sr. No. Date of Flight

1. 21.6.1977

2. 21.6.1977

3. 27.6.1977

4. 27.6.1977

5. 28.6.1977

6. 28.6.1977

7. 29.6.1977

8. 1.7.1977

9. 2.7.1977

10. 18.7.1977

11. 18.7.1977

12. 2.8.1977

13. 3.8.1977

14. 14.4.8.1977

15. 5.8.1977

16. 5.8.1977

17. 6.8.1977

18. 6.8.1977

19. 7.8.1977

20. 7.8.1977

21. 7.8.1977

22. 9.8.1977

23. 9.8.1977

24. 9.8.1977

25. 10:18.1977

26. 11.8.1977

27. 11.8.1977

28. 12.8.1977

29. 12.8.1977

30. 12.8.1977

31. 14.8.1977

32. 14.8.1977

33. 14.8.1977

34. 18.8.1977

35. 20.8.1977

36. 5.9.1977

37. 6.9.1977

38. 8.9.1977

39. 8.9.1977

40. 19.9.1977

41. 21.9.1977

42. 27.9.1977

43. 28.9.1977

44. 29.9.1977

45. 29.9.1977

46. 29.9.1977

47. 2.10.1977

48. 2.10.1977

49, 4.10.1977

50. 6.10.1977

51. 13.10.1977

52. 13.10.1977

53. 25.10.1977

54. 25.10.1977

55. 26.10.1977

56. 26.10.1977

57. 26.10.1977

58. 28.10.1977

59. 30.10.1977

60. 30.10.1977

61. 30.10.1977

62. 31.10.1977

63. 1.11.1977

64 4.11.1977

65 6.11.1977

66 6.11.1977

67. 7.11.1977

68. 7.11.1977

69. 11.11.1977

70. 12.11.1977

71. 13.11.1977

72. 13.11.1977

73. 21.11.1977

74. 21.11.1977

75. 23.11.1977

76. 24.11.1977

77. 24.11.1977

78. 25.11.1977

79. 4.12.1977

80. 5.12.1977

81. 6.12.1977

82. 10.12.1977

83. 11.12.1977

84. 11.12.1977

85. 11.12.1977

86. 11.12.1977

87. 12.12.1977

88. 13.12.1977

89. 13.12.1977

90. 13.12.1977

91. 14.12.1977

92. 15.12.1977

93. 15.12.1977

94. 25.12.1977

95. 25.12.1977

96. 25.12.1977

97. 26.12.1977

98. 27.12.1977

99. 28.12.1977

100. 2.1.1978

101. 4.1.1978

102. 15.1.1978

103. 15.1.1978

104. 15.1.1978

105. 16.1.1978

106. 18.1.1978

107. 19.1.1978

108. 25.1.1978

109. 26.1.1978

110. 3.2.1978

111. 3.2.1978

112. 4.2.1978

113. 4.2.1978

114. 6.2.1978

115. 6.2.1978

116. 7.2.1978

117. 7.2.1978

118. 8.2.1978

119. 8.2.1978

120. 9.2.1978

121. 20.2.1978

122. 20.2.1978

123. 21.2.1978

124. 21.2.1978

125. 22.2.1978

126. 5.3.1978

127. 5.3.1978

128. 5.3.1978

129. 5.3.1978

130. 6.3.1978

Piper Cherokee Aircraft

1. 18.12.1977

2. 11.1.1978

3. 11.1.1978

4. 11.1.1978

5. 12.1.1978

6. 5.2.1978

7. 26.2.1978

8. 26.2.1978

9. 5.3.1978

श्री सुरेन्द्र सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हरियाणा प्रान्त से बाहर हरियाणा के वजीरों ने कितनी फलाइट्स कीं, लोकल कितनी फ्लाइट्स कीं, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों ने कितनी उड़ाने कीं, और सैण्ट्रल गवर्नमैंट के मिनिस्टरों ने इन जहाजों से कितनी फलाइट्स कीं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : स्पीकर साहब, यह इन्फरमेशन मेरे पास तो है लेकिन यह बहुत लम्बी है । माननीय सदस्य अलग से नोटिस दें तो जवाब दे दिया जाएगा । 130 उड़ाने हैं अगर एक–एक का अलग–अलग ब्यौरा दिया जाएगा तो काफी समय लग जाएगा और क्येश्चन आवर इसी में खत्म हो जाएगा ।

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जिनका ब्यौरा राहोंने दिया है उनका टोटल खर्चा कितना है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : स्पीकर साहब, टोटल कास्ट 5 लाख 69 हजार रुपया है ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि पिछली सरकार ने कितनी उड़ाने की थीं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : पहले हमारे पास बैरन बी– 55 जहाज था वह बेच दिया गया और जब जहाज बिकता है तो डाकूमैट उसके साथ चले जातेहैं, इसलिए उड़ान तो नहीं बताई जा सकती । घंटों में चाहे तो मैं बता सकती हूं. और वह इस

तरह है । 197 5– 76 में 16 7. 50 घंटे । 197 6– 77 (सितम्बर, 1978 तक) 7 6. 40 घंटे । इसके बाद हमारे पास बी 58 आ गया था दिसम्बर, 1978 से मार्च, 1977 तक 55 35 घंटे । इस तरह 1 97 6–7 7 में टोटल 132.15 घंटे हो गए । 1977–78 में 211. 30 टोटल घंटे । इनमें अप्रैल से लेकर जून तक पुरानी सरकार के 29. 20 मिनट हैं । 21 जून, 1977 से लेकर 31 मार्च, 1978 तक 182. 10 घंटे हमारी सरकार के हैं और इन 182. 10 घंटों में 38.05 घंटे फ्लड सर्वे के हैं । हमारी सरकार के 146. 05 घंटे हैं ।

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि एयर क्राफ्ट की फ्री–फ्लाइट्स के लिए क्या रूल्ज हैं और कौन एनटाइटल है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : स्पीकर साहब इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए । वैसे वी 0 आई 0 पी 0 एनटाइटल हैं ।

श्री दीप चन्द भाटिया : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि जो पिछली सरकार थी और जिसके चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थें इस सुरेन्द्र के बाप ने कितनी दफा हवाई जहाज में उड़ान की थीं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, सिवाए चौधरी बंसी लाल के कोई एनटाइटल नही था, यहाँ तक कि गवर्नर को भी यह सुविधा नहीं थी ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, फ्लाइट्स के बारे में बी0 एन0 चक्रवर्ती का काफी क्रिटीसिज्म हुआ था । क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जहां जहाज जाता है । क्या वहां कार भी जाती है और इस जहाज की पर–आवर कास्ट क्या पड़ती है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, पर–आवर कास्ट 1500 रुपया आती है । अगर चीफ मिनिस्टर जहाज से जाता है और अगर चीफ मिनिस्टर ने कार से वापिस आना हो तो कार जाती है लेकिन जहाज से जाकर जहाज से ही वापिस आना हो तो कार जाने की आवश्यता नहीं है ।

श्री शंकर लाल : क्या मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि चीफ मिनिस्टर महोदय सिरसा जिले के अन्दर कितनी दफा जहाज से गए और उनके साथ कितनी कार खाली गईं और कितनी कार खाली आईं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : स्पीकर साहब, इस सप्लीमेंटरी का सम्बन्ध इस सवाल से नहीं है ।

चौधरी सन्त कंवर : स्पीकर साहब, में मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा के जहाज में हरियाणा के मन्त्रियों और केन्द्र के मन्त्रियों के इलावा और कौन–कौन लोग है जिन्होंने जहाज में यात्रा की है, क्या वे इसके लिए एनटाइटल है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के मन्त्रियों और केन्द्र के मन्त्रियों के अलावा एक भी आदमी ने हरियाणा के जहाज में याता नहीं की है । वैसे स्टेट गर्वनमैंट अपने यूज के लिये किसी भी आदमी को अपनी मर्जी से भेज सकती है ।

श्री हीरानन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस की सरकार थी उसने सरकारी खजाने से जहाजों के लिए खर्चा करके, सरकारी खजाने के पर लूट मचा रखी थी । तो क्या यह सरकार, सरकारी खजाने की उस लूट को बन्द करने पर विचार करेगी?

(इस प्रश्न का उतर नही दिया गया)

श्री जगजीत सिंह पोहलू : क्या मिनिस्टर साहिबा बतलाने की कृपा करेंगी कि इन के जहाजों में सिर्फ मिनिस्टर्ज ही यात्रा कर सकते हैं या कि एम0 एल0 ए0 भी यात्रा कर सकते हें?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, अकेले एम0 एल0 ए0 यात्रा नहीं कर सकते ।

चौधरी लहरी सिंह मेहरा : क्या मिनिस्टर साहिबा यह बताने का कष्ट करेंगी कि जो उडानें प्राईवेट तौर पर की गई हैं उनसे सरकार को कितनी इन्कम हुई है ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बिलकुल अलग है, इससे इसका कोई सम्बन्ध नही है ।

Remittance of Land Revenue

***386. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to remit land revenue of small farmers in the State permanently ; and

(b) if so, the area of land for which the land revenue will be remitted together with the time by which it is likely to be done and since when ?

Revenue Minister (Shri Prit Singh) :

(a) The matter is under consideration of Government.

(b) The details are being collected from the Deputy Commissioners.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने और जनता पार्टी के इलैक्शन मैनीफेस्टो में यह अनाउस किया था कि सवा छरू एकड़ भूमि पर कोई मालिया नही लिया जाएगा । क्या मिनिस्टर साहब यह बताएंगे कि जो आश्वासन सरकार ने दिया था वह क्या इम्पलीमैन्ट हो गया है या कि नहीं?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, मैने बताया है कि यह मामला अन्डर कसीडरेशन है । सरकार ने डी0 सीज0 से डिटेल्ज मांगी हुई हैं, डिटेल्ज आने पर उनके बाद इसपर विचार किया जाएगा ।

श्री जगजीत सिंह पोहलू : मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हूं कि यह जो मामला है यह गरीब किसान से सम्बन्धित है और बड़ा इम्पाटेंट मामला है । स्पीकर साहब, जब मैं वजीर था उस वक्त हमारी सरकार ने 5 एकड़ पर मालिया माफ कर दिया था । क्या जनता पार्टी की सरकार भी ऐसा करने का इरादा रखती है कि फिलहाल 5 एकड़ पर से मालिया माफ कर दिया जाए? सवा छ की तो अभी बात न भी करें तो कोई हर्ज नहीं कब तक सरकार ऐसा करने का विचार रखती है?

श्री प्रीत सिह : स्पीकर साहब, जैसा कि अभी मैने बताया कि डिप्टी कमिशनर्ज से सारी डिटेल्ज मंगवायी हुई हैं । डिटेल आने पर सरकार यह मालिया माफ करने का विचार रखती है कि यह सवा छ एकड़ भूमि से मालिया माफ कर दिया जाए ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने इस हाउस में एश्योर किया था और जनता पार्टी के प्रोग्राम में सब से पहले यह बात थी कि ज्यों ही जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सवा छ एकड़ भूमि पर से मालिया माफ कर दिया जाएगा । तो अभी सरकार को बने लगभग एक साल हो गया है, ये कह रहे हैं कि मामला अण्डर कसीडरेशन है तो यह कब तक अण्डर कंसीडरेशन रहेगा और जिस दिन से सरकार ने अनाउस कर रखा है, क्या उसी तारीख से सरकार उसे लागू करेगी ।

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, डिप्टी कमिशनर्ज से ज्यों ही हमें सारी डिटेल मिल जायेगी, उस वक्त जल्द से जल्द इस पर विचार किया जायेगा ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने का कष्ट करेंगे कि डी0 सीज0 से कब तक यह रिपोर्ट मंगवा ली जायेगी, क्या इसके लिये कोई मियाद फिक्स की जाएगी, ऐसा कोई आश्वासन सरकार देना चाहती है?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, हमने डिप्टी कमिशनर्ज को लिखा हुआ है और जब रिमाइंडर भी भेज देते हैं । बहां से रिपोर्ट आते ही फौरन कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि इसके लिये कोई डेट मुकरर्र कर दें।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, इलेक्शन के बाद बंगाल सरकार ने साढ़े छः एकड़ तक का मालिया माफकर दिया हे पर हमारी सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया । क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि हमारी सरकार के सामने ऐसी कौन सी रुकावट है कि वह अभी तक इस मालिया को अपनी स्टेट में माफ नहीं कर सकी? इसके साथ साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार इसके लिये एक डेट मुकरर्र कर दे कि फ लौ डेट तक यह मालिया माफ कर दिया जाएगा ।

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब, मैंने बताया कि हमारी सरकार सवा छ एकड़ तक का मालिया माफ मरने पर विचार कर रही है और जिसके लिये सरकार ने डिप्टी कमिशनर्ज से डिटेल मांगी हु ई हे, मैं हाउस को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगले सैशन तक इसके पर विचार कर के शीघ्र ही इस का फैसला किया जाएगा ।

सरदार लछमन सिंह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने हाउस की सेन्स तो समझ ली होगी । ऐमरजेन्सी के दिनों में वारण्ट गिरफतारी के लिये डी. सीज. 5 मिनट में काम करते थे । क्या मिनिस्टर साहब, टेलीफोन पर वायरलैस मेसिज के द्वारा यह रिपोर्ट नहीं मंगवा सकते? सरकार इस हाउस को यह आश्वासन दे कि जिस दिन से जनता पार्टी की सरकार ने टेक ओवर किया है, उसी डेट से यह मालिया माफ किया जाएगा चाहे डिप्टी कमीशनर्ज कभी भी रिपोर्ट भेजें?

श्री प्रीत सिंह : स्पीकर साहब मैंने अभी बताया हे कि हमने डिप्टी कमिशनर्ज से लैन्ड–होल्डर्ज की डिटेल मांगी हुई है और उसके पर काफी फाइनैशल कम्पलीकेसनज होंगी, इसके साथ साथ यह भी वर्क आ0ट करनी है अतः मैं अपनी तरफ से सदन को आश्वासन दिवाना चाहता हू कि इन्फरमेशन आने पर इसका फैसला जल्द से जल्द किया जाएगा ।

कामरेड शंकर लाल : स्पीकर साहब, जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब जब भट्टू में गये थे तो उन्होंने वहां पर यह एलान किया था कि सवा छरू एकड़ जमींन पर से मालिया माफ कर दिया जाएगा और किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह सवा छ एकड़ जमीन पर से मालिया कब तक माफ कर दिया जाएगा और उसमें क्या आबियाना भी है कि नही ।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ चुका है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री साहब बताएंगे कि वे डिप्टी कमिशनर्ज के पर इस तरह की कोई पाबन्दी लगाने के लिये तैयार हे कि इस की रिपोर्ट दो महीने या तीन महीने के अन्दर अन्दर आ जानी चाहिये? क्या इस तरह की टाइम की पाबन्दी लगाने के लिये वे तैयार हैं?

श्री प्रीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा बताया गया कि सब डिप्टी कमिशर्न्ज को हिदायत की जायेगी और वे टाइम बांउड इन्फर्मेशन देंगे ।

चौधरी हरिचन्द हुड्डा : स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि जिस रोज चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में डिक्लेयर किया था, यह डेट उसी दिन से डिक्लेयर होनी चायिये, इसमें अण्डर कसीडिरेशन का सवाल नहीं आना चाहिये ।

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

तारांकित प्रश्न सं. 316

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र' शर्मा इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Minister Remained on Tour

***414 Shri Mool Chand Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of days for which all the Ministers remained at headquarters or on tour every month since the formation of Janta Party Government in Haryana ; and

(b) the distance in Kilometers covered by each Minister while on tours referred to in part (a) above every month together with the amount of allowances drawn by them ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal):

Two statements containing the information are laid on the Table of the House (Annexures 'A' and `B')

ANNEXURE 'A'

Statement showing the number of days for which the Ministers remained at Headquarters or on tour every month since the formation of Janta Party Government.

Name of the Minister	June, 77		July, 77		August, 77		Sept. 77		Oct. 77		Nov. 77		Dec. 77		Jan. 78		Feb. 78	
	No. of days on tour	No. of days at Hqrs.	No. of day on tour	No. of days at Hqrs.	No. of days on tour.	No. of days at Hqrs.	No. of days on tour.	No. of days at Hqrs.	No of days on tour.	No. of days at Hqrs.	No. of days on tour.	No. of days at Hqrs.	No of days on tour.	No. of days at Hqrs.	No. of days on tour.	No. of days at Hqrs.	No of days on tour.	No. of days at Hqrs
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1.Sh. Devi Lal C .M.	2	8	10	21	11	20	6	24	14	17	8	22	13	18	11	20	15	13
2.Sh. Mangal Sein Minister.	3	7	16	15	16	15	11	19	12	19	14	16	14	17	18	13	14	14

3.Sh. Prit Singh Minister.	10	1	30	6	25	1	29	3	28	2	28	8	23 10		21	13	15
4. Smt. Kamla Devi Minister	—	7	24	8	23	8	22	7	24	9	21	4	27 10		21	13	15
5.Sh. Virender Singh Minister.	—	6	25	17	14	6	24	3	28	5	25	9	22 16		15	9	19
6.Sh. Satbir Singh Minister .	—	3	12	13	18	6	24	6	25	7	23 14		17	8	23	5	23
7.Sh. Tara Singh Minister.	—	2	13	3	28	4	26	4	27	7	23	6	25	5 26		4	24
8.Sh. Ram Singh Minister.	—	4	11	10	21	11	19	6	25	11	19 12		19 10		21	11	17

9.	Shmt. Sushma Sawraj Minister.	—	5	10	8	23	9	21	5	26	3	12 10	19 6	25	19	9
10.	Sh. Om Parkash Ex-Minister	—	2	8	—	—	—	—	—	—	— —	—	— —	—	—	-

Note :—Column 2 under each month Includes the days or departure tor tour and return to Hqrs.

ANNEXURE 'B'

Statement showing the distance in Kilometres covered month-wise by each Minister while on tours referred to in part (a) of the question, together with the amount of T. A. drawn, month-wise.

Sr. No	Name of the Minister	June 77		July 77		August 77		September 77		October 77		November 77		December 77		January 78		February 78	
		K.Ms.	Amount of T.A.	K. Ms.	Amount of T.A.	K.Ms.	Amount of T. A.	K. Ms.	Amount of T.A.	K.Ms.	Amount of T. A.	K. Ms.	Amount of T.A.	K. Ms.	Amount of T.A.	K. Ms.	Amount of T. A.	K Ms.	Amount of T. A
			Rs.		Rs.		Rs.		Rs.		Rs.		Rs.		Rs.		Rs.		Rs.
1.	Sh. Devi Lal C.M.	988	—	24741	428/-	4091	1122/-	1590	816/-	5969	1823/-	2614	969/-	36541	1224/-	144 1	816/-	3529	—
2.	Sh. Mangal Sein Minister	1453	459/-	5979	1029.50	1590	663/-	5943	890.50	7559	830/-	5982	867-/	64601	1845/-	363 8	714/-	4095	-
3.	Sh. Prit Singh Minister	1021	102/-	2542	459/-	1362	510/-	1766	459/-	4014	816/-	2161	459/-	4035	561/-	528 0	—	4753	

4.	Smt. Kamla Devi Minister	—	—	4379	663/-	3451	765/-	4227	867/-	3703	958/-	4862	765/-	3376	510/-	3672	—	4260	—
5.	Sh. Virender Singh Minister	—	—	3736	612/-	4748	561/-	3079	663/-	4055	612/-	3640	816/-	3015	867/-	5213	1122/-	4566	-
6.	Sh. Satbir Singh Minister	—	—	1698	357/-	3586	969/-	3218	612/-	3498	714/-	4669	714/-	4978	969/-	1519	969/-	1835	-
7.	Sh. Tara Singh Minister	—	—	2172	510/-	3030	765/-	3686	765/-	4434	765/-	3516	1399	4312	969/-	5681	969/-	3919	-
8.	Sh. Ram Singh Minister	—	—	3547	408/-	6625	867.50	3974	—	5377	2678.25	5246	573.75	8378	510/-	7987	—	7124	-
9.	Snit. Sushma Sawraj Minister	—	—	2191	613/-	4652	510/-	3963	510/-	4056	510/-	3181	350/-	3922	1390/-	5117	816/-	3807	-
10.	Sh. Om Parkash Ex-Minister	—	—	1779	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-

श्री मूल चन्द जैन : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि क्या उन्होंने मिनिस्टरों के टूर की को ई नीति तय की है कि वे कितने दिन हैडक्वार्टर पर रहेगे और कितने दिन टूर पर रहेंगे?

चौधरी देवी लाल :. मिनिस्टर साहिबान अपने काम के हिसाब से टूर पर जाते है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएगे कि जो वजीर केवल अपने अपने हटेको में जाते हैं और बाकी हरियाणा को निगलैक्ट करते है उनके लिए कोई ऐसा आर्डर करेंगे कि वे सब हल्कों में जाएं?

चौधरी देवी लाल :' आनरेबल मैंबर के सुझाव पर गौर किया जाएगा ।

चौधरी हर स्वरूप बूरा : जैसे अभी मुख्य मन्त्री जो ने बताया कि ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन हाउस में भी और बाहर भी यह बताया गया है कि मिनिस्टर दस दिन तक टूर पर जा सकते हैं तो क्या इसको इम्पलीमैंट किया जाएगा?

चौधरी देवी लाल :. अगर कोई जरूरी काम हो तो मिनिस्टर जा सकता है लेकिन मैं यह कहूंगा कि आधे मिनिस्टर टूर पर रहेंगे और आधे सैक्रेटेरिएट में रहेंगे ।

चौधरी गंगा राम : मन्त्री महोदय जब हल्कों के अन्दर जाते हैं तो वहां के एम 0 एल 0 ए0 से कोई सलाह नहीं ली जाती । क्या आगे से सलाह ली जाएगी?

चौधरी देवी लाल : कोशिश यह की जाती है कि मिनिस्टर साहिबान जहां भी जाएं । वे वहां के मैंबरों से कन्सल्ट करें । इसमें यह बात नहीं रखी गई है कि वह रूलिंग पार्टी का मैबंर है या अपोजीशन पार्टी का ।

चौधरी संत कंवर : मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चहाता हूं कि एक एक मन्त्री की लगातार 14 या 15 दिन की टूर की एवरेज निकली है । वे 15 दिन टूर पर रहते हैं और 15 दिन हैडक्वार्टर पर रहते है क्या मुख्य मन्त्री जी हिदायत करेंगे कि कोई भी मन्त्री 10 दिन से ज्यादा हैडक्वार्टर से बा हर न रहे?

चौधरी देवी लाल : इस सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा ।

कामरेड शंकर लाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहता हं. किं वे सिरसा हल्के के अन्दर जहां का मैं एम0 एल 0 ए 0 हूं गये । वहां पर बड़े पब्लिक जलसे किये । सरकारी तौर पर किये गये और पार्टी के तौर पर भी किये गये । रैस्ट हाउस के अन्दर भी आपने पार्टी के वर्कर्ज की मीटिंग बुलाई तो क्या इन्होंने कभी वहां के एम 0 एल 0 ए0 को बुलाया?

चौधरी देवी लाल : हर एम 0 एल0 ए0 को टूर प्रोग्राम की इतलाह दी जाती है और सरकारी अफसरों की मार्फत इतलाह दी जाती है लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई एम0 एल0 ए0 नहीं आना चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, अगर कोई मिनिस्टर किसी एम0 एल0 ए0 को उसके हल्के में बुलाए और वह एम0 एल0 ए 0 न जाए तो क्या मुख्य मन्त्री जी उस एम 0 एल 0 ए 0 के खिलाफ एक्शन लेंगे?

चौधरी देवी लाल : ऐसा एक्शन लेने के लिए मुख्य मच्छी के अख्तियार में कोई ऐसी बात नहीं है । जब मौका आएगा उसके खिलाफ जनता एक्शन लेगी ।

श्री दीप चन्द भाटिया : में चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जब से यह हमारी जनता सरकार आई है और यहाँ सदन में जो मिनिस्टर साहेबान बैठे हैं, ये टेलीफोन पर या रिटन कर्मचारियों को आर्डर करते हें लेकिन इनका हुकम कर्मचारी मानते नहीं ..... (शोर) यह सच बात है (हंसी)

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया

श्री भले राम : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि अगर कोई एम 0 एल0 ए 0 वजीर साहब को नहीं बुलाता है और वहां के रोग बुलाते हैं तो क्या वजीर साहब को वहां जाना चाहिए?

चौधरी देवी लाल :. आम तौर पर वजीर साहेबान हर एम 0 एल0 ए 0 को इतलाह देते हैं । इसका मतलब यह है कि एम 0 एल0 ए 0 वहां आकर वजीर को कंसल्ट करे अगर वह नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको पुलिस के थ्रू बुलाया जाए ।

चौधरी जिले सिंह मलिक : मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि चौधरी प्रीत सिंह राठी दो बार मेरे हल्के में गये । ये उन आदमियों के पास गये जिन्होंने लोक सभा और विधान सभा के इलैशक्नों में जनता पार्टी का विरोध किया था, इन्होंने उनके यहां खाना खाया....

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमैंटरी पूछिये ।

चौधरी जिले सिंह मलिक : मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन आदमियों ने जनता पार्टी की खिलाफत की और उनके पास मन्त्री जी खाना खाने के लिए गये तो ये बिना सजा नहीं बचने चाहिए । (शोर)

चौधरी देवी लाल : किसी मिनिस्टर को यह हिदायत नहीं दी जा सकती कि वह किसी आदमी के पास ठहरे या न ठहरे । मिनिस्टर वहां के पोलिटीकल और सोशल हालत के मुताबिक जहां भी खाना खाना चाहें, उसको आजादी है ।

मास्टर शिव प्रसाद : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि जिन लोगों ने पार्लियामैंट और असैबली की इलैक्शनों मे जनता

पार्टी की खिलाफत की, उनके यही जब मन्त्री महोदय जाते हैं तो उस समय जनता पार्टी के प्रैस्टिज को धक्का लगता है । क्या इसके बारे में कोई विचार किया जाएगा कि वहां न जाएं?

चौधरी देवी लाल : यह असैबली क्वैश्चन नहीं है यह सवाल पार्टी में उठाना चाहिए ।

Truck Permits For Nothern and Western Zones

***500. Shri Shamsher Singh :** Will the Chief Minister be pleased **to state** —

(a) Whether Haryana Government issued Truck permits for Northern and Western Zones so far;

(b) Whether any such condition have been laid down which are to be fulfilled by the applicants before the permits are granted to them;

(c) Whether later on the goverment permitted the transfer of such permits by the permit holders to such persons who do not fulfil the conditions as referred to in part (b) above ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) :

(क) हां ।

(ख) हां । जोनल परमिटों की स्वीकृति के लिए केवल एक ही शर्त है कि प्रार्थी के पास ऐसी मोटर गाड़ी हो जो परमिट जारी करते समय दो वर्ष से अधिक पुरानी न हो तथा

किसी भी समय परमिट की अवधि के दौरान सात वर्ष से अधिक पुरानी न हो ।

(ग) नहीं ।

श्री शमशेर सिंह : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब बताएंगे कि क्या ये परमिट ट्रांसफरेबल हैं?

श्री जगन नाथ : पहले का तो हमें पता नहीं लेकिन अब हमने यह कर दिया है कि कोई परमिट ट्रासफर नही किया जाएगा ।

चौधरी लहरी सिंह मेहरा : मैं चीफ पलिंयामैटरी सैक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हुं कि परमिट देने के लिये कोई रिजर्वे शन का ध्यान भी रखा गया है?

श्री जगन नाथ : इसमें नार्थ और वैस्ट जोन में ते मेरे ध्यान मे कोई रिजर्वेशन नहीं है लेकिन जो नेशनल परमिट हें, उनमें रिजर्वेशन रखी जाएगी ।

चौधरी मेहर सिंह राठी : मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर गाड़ियां ज्यादा हों तो यह कैसे फैसला किया जाता है कि किस को परमिट देना है और किस को नहीं देना?

श्री जगन नाथ : यह सब गाड़ियों को देख कर आन मैरिट दिया जाता है ।

Mr. Speaker: The Question hour is over.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

139. Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government has received any representations that Electricity consumption for tubewells etc., be charged on flat rate basis rather than on meter reading basis; if so, the decision of the Government on such representations.

सिचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

हां । यह निर्णय किया गया है कि किसानों को फ्लैट रेट पर बिजली सप्लाई की जायेगी ।

Complaint Against P.W.D. B.&R. Department

140 Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) Whether compaints of embezzlement of P.W.D.(B&R) material worth Lacs of rupees have been received and enquired into by Government against certain officials of Panipat Provincial Division; if so, the result of the enquiries made by Govt. agencies including vigilance Department;

(b) Whether some curruption cases have been registered against certain officials in Panipat city Police Station, if so, the names of the Officers involved; and

(c) Whether any officer was arrested and whether challan has been put up in the Court; if not, the reasons

thereof?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) A number of complaints alleging embezzlement, shortages and variation in stocks at some places in Provincial Dvision, Panipat have been received. On preliminary scrutiny by the Superintending Engineer Karnal, it transpired that the amount involved is about Rs. 62500/-. Out of this amount. Rs. 26000/-have since been accounted for. The enquires by the department and vigilance are being finalised.

(b) No case of corruption has been registered against any officer/ official of P.W.D. (B&R) Department in Police Station city Panipat. However, on a complaint, F.I.R. No. 778 dated 17-11-77 under section 409 1.P.C. has been registered against S/Shri Satbir Singh, S.O. and Dharam Pall, S.D.O. in Police Station City Panipat.

(c) No. The investigations are in progress.

Construction of Embankments

141 Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) the amount of money spent year.wise and work-wise during the last 4 years in the various works undertaken on Yamuna river in Panipat Tehsil villages on anti-flood works i. e. in the construction strengthening of embankments and spurs etc. ;

(b) whether village Mirazapur in Panipat Tehsil is surrounded by river Yamuna on two three sides & whether it was in constant danger of being washed away during the last rainy season ; if so howmuch of its agricultural land has been eroded during the said period;

(c) Whether the spurs constructed on the river have given or likely to give full protection to the village abadi ; and

(d) Whether residents of the villages or their representatives have not repeatedly requested the authorities to extend the embankment already constructed from village Nanhera upto village Mirazapur if so, action taken thereof ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) A statement indicating the amounts spent yearwise and work-wise, during the last 4 years on river Yamuna in Panipat Tehsil is laid on the table of the house.

(b) Village Mirazapur is situated on the right edge of River Yamuna. The village abadi was threatned during the last rainy season due to widening of the river loop upstream of the village abadi. Nearly 20 acres of over agricultural land near the village was eroded during the last rainy season.

(c) Yes. 2 No spurs constructed before the floods of 1977 near village Mirazapur had been helpful in protecting the village abadi.

(d) Yes. The demand of the villagers involved construction of long deflecting spurs which are not permitted

by the Yamuna Committee. However, it is proposed to provide suitable protection during this year within the limitations prescribed by the Yamuna Committee.

STATEMENT

(Expenditure on River Protection works on River Yamuna Panipat Tehsil)

S. No.	Name of sites	Expenditure incurred (in Rs. lacs)					Total (Rs. in lakhs)	Details of works completed
		1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78 upto 12/78		
1.	Ranmajra-Pathergarh	0.29	0.41	1 .28	5.68	0.08	7.74	2 No. Bull Headed studs, 2 No. Spurs, 12 No. Mundhas, embankment 11200.
2.	Sanauli-Tamsabad		0.01	0.93	4.95	9.14	15.03	4 No. spurs, 3 No. Bull Headed studs, retired embankment 5 No. Mundkas, extension of 2 No. studs.
3.	Nanhera	-	0.14	0.59	2.69	5.14	8.56	Bund 5 0001 No. spur, 2 No. Bull headed studs,

								embankment 13250, 5 No. Mundkas.
4.	Mirazapur-Goela Khurd	2.85	2.21	2.59	2.14	10.77	20.56	5 No. crate bars, 3 No. Bull headed Studs, conversion 7 No., studs embankment 2500, 2 No. Mundkas closing creek at 2 places.
5.	Bilaspur-Hathwala	0.06	0.06	2.39	1.59	4.12	8.22	Conversion 2 No. studs, Bund 9000' 3 No. Bull Headed studs and 1 No. spur.
6.	Raksera	-	-	4.40	0.68	4.52	9.60	5 No. Bull Headed studs.
	Total	3.20	2.83	7.78	17.05	29.60	69.71	

Panchayat Elections

142. Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state whether the Government has decided to hold Panchayat elections which are overdue; if so, the dates thereof; if not, the reasons therefor ?

विकास तथा पंचायत मन्त्री (सरदार तारा सिंह) : हरियाणा में ग्राम पंचायतों के आम चुनाव निकट भविष्य में होने

की संभावना है । ग्राम पंचायत अधिनियम में कुछ संशोधन किए जाने है और ईस उद्देश्य के लिए विधान सभा में बिल पेश कर दिया गया है । इस बिल के पास हो जाने के पश्चात् ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए जाएगे ।

Shahpur Road

155. Shri Jagjit Singh Pohloo : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date on which the Milkpur No. 1 Rakhi Shahpur Road in district Hissar was constructed ;

(b) whether any compensation was paid to those farmers whose land was acquired for the construction of said road ;

(c) if so, the names of the farmers to whom the compensation was given togetherwith the amount paid in each case and when; and

(d) if not the reosons thereof ?

Interim Reply

विषय ––अतारांकित प्रश्न नं. 155 जो श्री जगजीत सिंह पोहलू एम0 एल 0 ए 0 ने पूछा है ।

क्या अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा, विधान सभा कार्य सूची दिनांक 5– 4–7 8 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे?

2. विधान सभा की कार्य सूची 5– 4–78 अनुसार अतारांकित प्रश्न नं. 155 का उत्तर 5–4–7 8 को देय है । परन्तु इसका उत्तर अभी तैयार नहा है । सदस्य महोदय द्वारा मांगी गई सूचना अधीनस्थ कार्यालय से एकत्रित की जानी है । वांछित सूचना एकत्रित करने में कुछ समय लग जाएगा । अतः अनुरोध किया जाता है कि अतारांकित प्रश्न नं. 155 के उत्तर के लिए कोई अन्य तिथि निश्चित कर दी जाए ।

हस्ता/–

सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री, हरियाणा ।

सेवा में

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ ।

अशा0 क्रमांक 66 (ए0 क्यू0)–लो0 नि0–4 (5) दिनांक 1–4–78.

अध्यक्ष द्वारा विधायकों के लिए ट्रेनिंग कोर्स संबंधी घोषणा

Mr. speaker : Hon. Members, you will be glad to

know that the important training course for M.L.As. belonging to the Northern Zone will be inaugurated by the Prime Minister at 3 p.m. on Sunday, the 23rd April, 1978 (Cheers). Forty M.L.As. of our Hcuse have already expressed the desire to attend this course. A copy of the training programme has been displayed on the Notice Board as well as in the lobby. Renowed parliamentarians will deliver lectures on various subjects to be covered during this course. 1 request that maximun number of our M.L.As. sh mld avail this unique opportunity to enable themselves to discharge their duties and responsibilities to the state anc its people effectively.

कार्य सलाहकार समिति की चतुर्थ रिपोर्ट

Mr. Speaker : I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

The Business Advisory Committee, after some discussion, recommended that the business on the 5th April, 1978, shall be transacted as under -

1. Question Hour.

2. Presentation and adoption of Fourth Report of the Business Advisory Committee.

3. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.

4. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Assembly Sine-die at its rising on 5th April, 1978.

5. Legislative B usiness-

Bill	Time allotted
(1) The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1978.	
(2) The Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill, 1978.	
(3) The Punjab State Aid to Industries (Haryana Amendment) Bill, 1978.	
(4) The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 1978.	
(5) The Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, 1978.	One hour.
(6) The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1978.	One hour.
(7) The Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Amendment Bill, 1978.	

Half-an-hour.

(8) The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 1978.

Half-an-hour.

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

चौधरी सन्त कंवर : स्पीकर साहब, यह जो तीसर बिल पेश हुआ है जिसका नाम है पंजाब उद्योग राज्य सहायता (हरियाणा संशोधन) विधेयक । इसको बिजनैस आडवाइजरी कमेटी ने डिस्कशन के लिए इ जाजत नहीं दी है लेकिन हाउस यह चाहता है कि इस बिल के पर जरूर बहस होनी चाहिए । यह इम्पोटैंट मसला है । जो बोर्ड आफ इंडस्ट्रीज है, उसकी ताकत को छीन कर सरकार ने अपने पास रख लिया है, सरकार के पास यह ताकत जाती है और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को जो लोन देना है वह विदाउट इन्ट्रस्ट दिया जाएगा । इसके इलावा इस बिल से एक

आदमी के हाथ में ताकत जाती है । हम सदन के मैम्बर चाहते हें कि इस बिल पर सदन में बहस हो.

श्री अध्यक्ष : आप छोटा करके बोलें ।

चौधरी सन्त कंवर : मेरा नम्र निवेदन है कि इस बिल के पर सदन. में विचार किया जाए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ मैम्बर साहिबान. ने बताया है कि लैड सीलिंग बिल पर कोई ऐसी बात नहीं है । उसको छोड़ कर इस पर बहस कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं हैं ।

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन) : मुझे कोई इतराज नहीं हैं । (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जो बिल हैं उनके पर टाईम लिमिट बेशक कम फिक्स कर दें लेकिन यह तरीका मेरी समझ के मुताबिक ठीक नहीं है और न ही हमने कभी सुना है कि बगैर हाउस में डिस्कशन किए बिल पास हो जाएं । यह प्रथा अच्छी नहीं रहेगी, मेहरबानी करके आप बिलों पर टाईम अलाट करें ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, क्या आप बात ठीक कह रहे हैं? कितनी दफा यहां पर विदाउट डिस्कशन बिल पास हुए हैं? (विघ्न) कभी नहीं हुए?

चौधरी भजन लाल : पार्टी मीटिंग में डिस्कस होने के बाद जरूरत महसूस नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कभी नहीं हुआ ।

डा0 मंगल सैन : अध्यक्ष महोदय, सदन में कार्यवाही चलाने के हित में बिजनैस अडवाइजरी कमेटी बनी हुई है । उस में ट्रेजरी बैंचिज के लोग भी हैं, अपोजीशन के माननीय सदस्य भी हैं । सब नेबैठ कर यह सब तय किया है और इस पर किसी माननीय सदस्य को शंका नहीं होनी चाहिए कि किसी बिल को यहां इवेड या अवाईड किया जाता है कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको हमने सदन में प्रस्तुत कर दिया । अगर फिर भी मैम्बर साहिबान किसी बिल को डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कोई संकोच नहीं ।

(इस समय कई मैम्बर बोलने केलिए खड़े हो गए ।)

Mr. Speaker : One at a time. How can so many hon. Members talk at a time ? Shri Shamsher Singh first.

श्री शमशेर सिंह : मेरी तजवीज यह है कि लैंड सीलिंग बिल पर बिल्कुल डिस्कशन न करने की बजाये जो एक घंटा हरियाणा एग्रीकल्चर क्रैडिट औप्रेशन एंड मिस्लेनियस प्रोवीजन्ज बिल रार डिस्कशन करने के लिए रखा है, इसकी बजाये आध घंटा लैड सीलिंग बिल के लिए दे दिया जाए और आध घंटा पंजाब स्टेट एड टू इंडस्ट्रीज को दे दिया जाए ।

(आवाजें ऐसा कर लें ।)

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हू कि लेड सीलिंग बिल बडा इम्पोर्टेट है । बार–बार इस बिल को हाउस में लाया जाता है और किसानों पर कुल्हाडा चलाया जाता है इसलिए इसको अगले सैशन के लिए रखा जाए क्योंकि बिल के लिए पांच दिन का नोटिस चाहिए । मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि लैड सीलिंग एक्ट और अर्बन प्रोपर्टी सीलिंग एक्ट, ये दोनों अगले सैशन में इक्टठे लिए जाएं, इन दोनों पर इक्टठी डिस्कशन हो । इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हाउस का समय भी बढ़ाया जाए ।

श्री अध्यक्ष : हाउस एक घंटा बडा रहे है । आज अजंडे पर 8 बिल हैं । जैसे सन्त कंवर जी ने कहा है, आधा घंटा पंजाब स्टेट एड टू इंडस्ट्री पर डिस्कशन हो जाएगी ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, यह जो लैड सीलिंग का बिल है, यह बड़ा जरुरी है, इस पर बहस होनी चाहिए (व्यवधान)

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Sir, **I** beg to move—

That the proceedings on the items of Business fixed for to-day be exempted at this day 's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of Business fixed for to-day be exempted at this day 's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly ', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of Business fixed for to-day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly indefinitely.

The motion was carried

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

The motion was carried

ध्यानाकर्षण सूचना

यमुना नगर–जगाधरी सड़क पर राहजनी सम्बन्धी

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, मेरी काल अटैन्शन मोशन थी, उसका क्या बना?

श्री अध्यक्ष : वह रिजैक्ट कर दी है ।

श्री मूल चन्द जैन : आप कृपा करके यह बताइए कि किस आधार पर आपने रिजैक्ट किया है । न तो यह सब–जुडिश मामला है, चार बार रौबरी के केसिज हुहु हैं और वहां पर बड़ी सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो गई है ।

श्री अध्यक्ष : आपको तो इस बारे प्रोसीजर मालूम है । (व्यवधान) आज ही जैन साहब ने एक कॉल अटैन्शन मोशन दी कि जमना नगर में रौबरी वगैरा हुई है । (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन : एक दिन में चार पांच वाक्यात हुए हैं और कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको रिजैक्ट कर दिया है और उसके रीजन्ज आपके पास हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : आपने लिखा है कि सब–कुडिश है । सब–जुडिश तब होगा अगर गिरफ्तारियां हों ।

श्री अध्यक्ष : सब–जुडिश नहीं लिखा है ।

श्री मूल चन्द जैन : आप देखें, आपने सब जूडिश लिखा है ।

Mr Speaker : It is not that serious a matter as you know

श्री मूल चन्द जैन : आपने लिखा है कि it relates to an ordinary administration of law and the matter is .....

श्री अध्यक्ष : यह आर्डनरी एडमिनिस्टेरशन ऑफ ला का मामला है और यह हरियाणा में सब से अच्छा दिखाई दे रहा है । फिर मैंने बताया कि प्रोसीजर के मुताबिक नोटिस को रिजैक्ट किया है ।

दि पंजाब विलिज कामन लैड्ज (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1978

Development and Panchayat Minister (Sardar Tara Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill. 1978.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Development and Panchayat Minister (Sardar Tara Singh) : Sir, **I** beg to move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried

दि पंजाब न्यु मंडी टाउनशिपस (डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन)

हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1978

Social Welfare Minister (Shrimati Sushma Swaraj) : Sir, **I** beg to introduce the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation Haryana Amendment Bill, 1978.

I also beg to move—

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration of once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill, clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr Speaker : Question is—

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker ; Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Social Welfare Minister (Shrimati Sushma Swaraj) : Sir, **I** beg to move—

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab New Mandi Townships (Development and Regulation) Haryana Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब लेबर वैलफेयर फण्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to introduce the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 1978.

I also beg to move—

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried . **Title**

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The. motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh. Malik) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) will be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried .

दि पंजाब स्टेट एड टू इंडस्ट्रीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Sir, I beg to introduce the Punjab State Aid to industries (Haryana Amendment) Bill, 1978.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab State Aid to Industries (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab State Aid to Industries (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी संत कंवर (हसनगढ) : स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने यह जो पंजाब उद्योग राज्य सहायता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1 97 8, हाउस के सामने पेश किया है, इससे तो उस प्रवृति की झलक नजर आती है जो प्रवृति पिछली सत्ता के दिल और दिमाग में थी । उन लोगों में यह प्रवृत्ति थी कि सारी पॉवर को एक जगह कैपचर कर 'लिया जाए और एक जगह अपने हाथ में ले लिया जाहू । (विध्न) **चौधरी जगन नाथ :** जी की वही

हालत हो रही है । (विधन) एक बोर्ड आफ इंडस्ट्रीज जो बना हुआ है, उसके अधिकार छीने जाने की बात हए । 15—20 लाख के करीब यह रुपया होता है और इसका आधा रुपया बल्कि आधे से भी कुछ ज्यादा रुपया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज के बगैर, बिना किसी इंटेरस्ट के बिना किसी ब्याज के लोगों को देना है । होना तो हम सैं यह चाहिए था कि जितना पैसा इस बोर्ड के पास है, वह सारे का सारा पैसा बगैर इंट्रैस्ट के हरियाणा के बेरोजगार हरिजनों के लड़कों को या बेरोजगार किसानों के लड़कों को दिया जाता, लेकिन इसमें तो यह कर दिया गया कि पांच हजार रुपये तक की ताकत रख दी बोर्ड के पास और इससे ज्यादा जितना भी कर्जा होगा, चाहे वह एक लाख का हो, या दो लाख का हो उसको देने की सारी की सारी ताकत सरकार ने अपने हाथ में रखी । इसमें साफ लिखा है कि — कोई आवेदक अपने द्वारा भुगतान किए गए या भुगतान योग्य केन्द्रीय बिक्री कर की राशि के बराबर ब्याज मुक्त ऋण के लिए हकदार है, किंतु 5, 000 रू0 से अधिक का कोई ऐसा ऋण, पंजाब उद्योग राज्य सहायता अधिनियम, 1 935 के अधीन स्यापित उद्योग बो र्ड को निर्देश के बिना मंजूर नहीं किया जा सकता जो ऐसे मामलों में एक औपचारिकता हए । लोकहित में यह समीचीन है कि ऐसे ऋणों को चाहे वह कितनी भी राणि के हों, बोर्ड के निर्देश किए बिना मंजूर किया जाए ।''

(विघन) पहले तो यह बात थी लेकिन अब इसमें यह किया जा रहा है जैसा कि मैंने बताया है । ऐसा करने का कारण यह दिया गया हे कि यह एक औपचारिकता की बात थी । (विघन) माननीय मंत्री जी ने लोक हित की बात इसको पास कराने के लिए जोड़ी है । इन्होंने कहा है कि लोक हित में यह समीचीन है कि ऐसे ऋणों को चाहे वे कितनी भी राशि के हों, बोर्ड को निर्दश किए बिना मंजूर किया जाए । (विघ्न) मैं इस बिल पर बोल रहा हूं जो मंत्री जी ने पेश किया है । लिख कर जो उद्देश्य इन्होंने बताए हैं इनसे साफ जाहिर है, चाहे ये इस बात को किसी तरीके से भी फेर बदल कर कहें, लोन मंजूर गरने की बोर्ड की जो ताकत है वह एक जगह इक्ठठी होने जा रही है, एक। आदमी के हाथ में इक्ठठी होने जा रही हैं । उस आदमी की मंशा पर उस आदमी की ईमानदारी पर चाहं शक नही किया जा सकता लेकिन चूंकि एक आदमी की बात है और एक आदमी को कुछ गलत किस्म के लोग गलत तरीके से कविन्स कर सकते हैं । इसलिए हमारी धारणा है, हाउस की धारणा है कि इस विधेयक को पास न किया जाए और जो सारी की सारी ताकत है वह बोर्ड के पास रहनी चाहिए । (विध्न) यह ताकत इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के पास क्यों इक्टठी कर रहे हो? इससे तो वही प्रवृत्ति आ रही है जो पहले थी ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ।)

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल जो अभी हाउस के सामने पहली रीडिंग की स्टेज पर है, इसका कुछ अंश तक मैं समर्थन करता हूं लेकिन एक बात के लिए खास तौर पर मैं इसका विरोध करता हूं । पहले डायरैक्टर आँफ इंडस्ट्रीज को यह अधिकार था कि वह बोर्ड आँफ इंडस्ट्रीज को रैफर किए बिना खुद ही या मं ली साहब से मश्वरा करके किसी उद्योगपति को पांच हजार रुपये तक के कर्जे की मंजूरी दे सकता था और यह कर्जा वगैर सूद नही देता था लेकिन उस की शरह कम थी वह बात अलग है । अब मंत्री महोदय इस कर्जे की लिमिट 10 हजार रुपये तक बढ़ाना चाहते हैं । मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता । पांच हजार रुपये की रकम पुराने जमाने में मुकर्रर की गई थी । इसलिए पांच हजार से बढ़ा कर यदि दस हजार रुपये तक कर्जा देने का अधिकार डायरैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को दिया जाए या मंत्री महोदय स्वयं लें तो मुझे कोई आपति नहीं लेकिन दूसरी बात की मुझे सख्त आपत्ति है । मुझे इसका बड़ा ताज्जुब हुआ है । पहली दफा मुझे यह पता लगा है कि ऐसा भी नियम है । (विघ्न) –हमारे हरियाणा के महकमे में तो है, पं जाब में भी शायद होगा क्योंकि आज कल पंजाब और हरियाणा में बहुत सी मुश्तरका बातें चल रही हैं । मैं नहीं जानता दूसरे प्रान्तों में भी है या नहीं है । इंडस्ट्रीज वालों ने सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स देना होता है लेकिन उस सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स की रकम को अदा करने के लिए इंडस्ट्रीज का महकमा कर्जा दे और वह भी बिना सूद दे तो यह कितने आश्चर्य की बात है ।

पहले पांच हजार तक उस रकम को डायरैक्टर ही मंजूर कर सकता था । अब मंत्री महोदय यह अधि कार लेना चाहते है कि सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स जो है (विघन) डिप्टी स्पीकर साहब, इतने जोर से ये दोस्त बोल रहे हैं जिससे दूसरे सदस्य मेरी बात सुन भी नही सकते हैं । किसी मैम्बर को मिनिस्टर से काम है तो वे लौबी में चले जायें लोक्न यही हाउस को डिस्टर्ब न करें तो अच्छा होगा ।

हां मैं कह रहा था कि सैन्ट्रल सें–इज टैक्स इन्डस्ट्रियलिस्टस ने देना है । सरकार कानून पास करना चाहती है कि वह डिपार्टमैंट से कर्जा ले यानी हमारा इन्डस्ट्री डिपार्टमैंट कर्जा दे । टैक्स की रकम इन्डसट्रियलिरट ने देनी है । लेकिन सरकार उस टैक्स की रक्म को बतौर कर्जा बगैर सू न के उसको दे । यह कौन सी प्रथा चली आ रही है? मैं यह नहीं कहता आपने यह चलाई है यह तो पहले से चली आ रही है लेकिन आप इसे और ज्यादा भंयकर रूप देना चाहते हैं । फर्ज करो किसी कारखानेदार ने एक लाख रुपया सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स देना है । एक लाख रुपये की रकम उस कारखानेदार को, उस करोड़पति को या लखपति को आप बिना सूद के दे रहे हैं । यह कैसा डिपार्टमैंट है, कैसे उन लोगों ने इसको रिकमैन्ड कर दिया, कैसे कैबेनिट ने इसको पास कर दिया और कैसे यहां हाउस में लाया गया है? बिक्री टैक्स तो मैंने देना है, मैंने कारखाना लगाया हुआ है, मैंने माल पैदा किया है और उस पर टैक्स देना है । यह बड़ी

अजीब बात है कि उस टैक्स को पे करने की रकम महकमे से ली जाये । स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एण्ड रीजंज में लिखा हुआ हैं ——

"An applicant is entitled to interest free loan equal to the amount of the Central Sales Tax paid or payable by him but no such loan exceeding Rs. 5,000 can be sanctioned without reference to the Board of Industries, established under the Punjab State Aid to Industries Act, 1935, which in such cases is a formality.

बोर्ड आँफ डायरैक्टरज की तो फार्मेलिटी है । उन्होंने यह भी माना है कि वह तो देना है । एप्लीकेशन आयी, बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज ने अपना प्रोसेस पूरा किया और बोर्ड ने पैसा सैक्शन कर दिया । मैं इस बिल का अपनी पूरी ताकत के साथ 'विरोध करता हूं । यह एक किस्म का अन्याय हो रहा है । एक तरफ फार्मर्ज को, किसानों को कर्जा देते हैं तो उनसे 15 परसैन्ट और 1 7 परस्कैट सूद लेते हैं । केप लोन देते हैं, वह वक्त पर यदि उसको नहीं देता है तो माल– गुजारी के रूप में वसूल किया जाता है । अगर वह फिर भी न दे तो जेल में भेज दिया जाता है । अभी कोआपरेटिव सोसाइटी का एक्ट आ रहा है उसमें मजीद अधिकार लेने जा रहे हैं । (विध्न) आप अधिकार ले रहे हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत किसी ने टैरक्टर का कर्जा रिया हुआ है या ट्यूवैवल का कर्जा लिया हुंआ है तो वह मालगुजारी के रूप में वसूल हो सकता है । वैसे हाईकोर्ट ने भी

रुलिंग दे दी है । कोआग्रेटिव लोन के सिरा मालगुजारी के तौर पर वसून नहीं किया जा सकता । लेकिन फिर भी अधि–कार ले रहे हैं कि. ट्रैक्टर के लिए दिया हुआ कर्जा या ट्यूवैल के लिए दिया हुआ कर्जा वह मालगुजारी के रूप में वसूल किया जा सकता है । कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा दिया हुआ कर्जा समय पर न दे तो वह ऐसे वसूल किया जा सकता है । इधर तो आप जमीदारों से 1 5 से 17 परसैन्ट तर व्याज वसूल करते हैं और दूसरी तरफ आप बगैर खुद के कर्जा देते हैं और वह टैक्स अदायगी के लिए । उसके लिए कोई लिमिट भी नहीं है । पहले तो वह पांच हजार था अब पांच हजार से पर बगैर लिमिट के खुद अख्तियार ले रहे कैं । मैं पूरे जोर के साथ इस बात का विरोध करता हूं । यह प्रोविजन नहीं होना चाहिए ।

उद्योग मन्त्री (डा 0 मंगल सैन) : डिप्टी स्पीकर साहब मेरे मिल ने समय ज्यादा लिया है । मामूली –सी बात है । मैं इसे निपटा देता हूं । बड़ी सरल सी बात हए । संत कंवर जी तो वर्ड इमो– शनल हैं, एनरजेटिक हैं, लेकिन बाबू मूलचन्द जी तो बहुत पुराने वकील हैं और उनक क्लेम भी है कि वे पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं लेकिन उन्होंने पेरैन्ट एक्ट को पढ़ा नही । बात गइ है कि उनको दलील देने में अच्छी महारत हासिल है । उनको कुछ गलतफहमी रह गई है । सबसे पहली बात यह है कि लोन दे रहे हैं वह किन को दे रहे हैं, वास्तव में वह लोन उद्योग लगाने वाले लोगों को दे रहे हैं ।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी खुरशीद अहमद पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, किसी उद्योगपति ने अगर फार्वड एरिया में उद्योग लगाया है और वह सेल्ज टैक्स देने में असमर्थ है तो उसको तीन साल तक के ग्र इजाजत दे रहे हैंकि वह सैन्ट्रल सैल्ज टैक्स देने के लिए सरकार से लोन के रूप में बिना ब्याज के पैसा ले सकता है । जो बैकवर्ड एरिया है उन में सात साल तक के लिए यह इजाजत दे रहे हैं ओर जो नान–बैकवर्ड एरिया है उसमें पांच साल के लिए इजाजत दे रहे हैं । इन्डस्ट्रीज को इन्क्रीज करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स देने के लिए यह पैसा दिया जायेगा । वह रुपया उसको बतौर कर्ज के रूप में दिया जायेगा लेकिन ब्याज नहीं लिया जाये गा । यह कोई हरियाणा में ही प्रथा नखई है सारे हिन्दुस्तान में है । चेयरमैन साहब हमने माग की है, अधिकार दिया है कि असैस– मैन्ट, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैट ने करनी है । फिगर्ज इन्होंने देनी हैं । हमने मेनडैटरी पैसा देना है, फारमैलेटीज बोर्ड के पास है । बोर्ड की मीटिंग होती नहीं थी और उसको अननसैसरी चक्कर मारने पड़ते थे, मीटिंग की इन्जतार करनी पड़ती थी । डायरेक्टर को अधिकार दिया है ताकि उनको दिक्कत न हो । यह कहना कि किसान को टैरक्टर और ट्यूववैल के कर्जे का सूद देना पड़ता है, इन दलीलों को मैं जानता हूं, वे ठीक कहते हए लेकिन इस मामले में इस महकमे को सुविधा पहले से ही प्रोवाइड हैं ।

हमने तो एक अड़चन को खत्म किया है, रुकावट को खत्म किया है, उस देर को खत्म किया है । हम तो कहते हैं कि डिले को समाप्त किया जाये । डिले करप्शन पैदा करती है । पिछले पांच हजार रुपये की सैक्शन भी डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आफिसर देता था लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री आफिसर को अधिकार दिया है कि वह दस हजार तक रुपया दे सकता है । अब मंहगाई है और यह पहले वक्त का कानून बना हुआ था इसलिए पांच हजार से लघु उद्योग का अब कुछ नही बनता । लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया है कि छोटे उद्योगों को बढावा दिया जाये, छोटे आदमियों को कर्जा दिया जाये । पहले पांच हजार या दस हजार लोन के लिए चार चार चक्कर चन्डीगढ़ के काटने पड़ते थे लेकिन अब इन्डस्ट्री आफिसर को अधिकार दिया गया है कि आप स्वयं असैस करें और अपनी जिम्मेवारो ले कर दस हजार रुपये तक कर्जा दे सकते हैं । सिम्पल सी बात है । इस में प्रो–लैन्ड लार्ड होने की या प्रो–कैपि– टेलिस्ट होने की बात नहीं है । मैं सदन कौ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी कुलैक्टिवली प्रो–कैपिटेलिस्ट नहीं हो सकती । हम जनता के आम आदमी का भला चाहते हैं । हमने यह बात कोई है कि तीन साल, पांच साल और सात साल की लिमिट रखी हे । जैसे बल्लभगढ और फरीदाबाद का फार्वर्ड एरिया है उसको तीन साल तक सुविधा देंगे और धारूहेडा, भिवानी, हिसार, जीन्द जिले का कुछ भाग है

इनमें सात साल तक छू ट की लिमिट रखी है । नॉन फावर्ड एरिया में पांच साल तक की सुविधा दी है । यह बिल बिल्कुल सिम्पल है । सदन को आश्वस्त रहना चाहिए । हमारी सरकार कमी ऐ सा काम नही करेगी जो प्रो–कैपिटेलिस्ट हो । हम प्रो–लेबर हें । सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम प्रो–कैपिटेलिस्ट हों । मैं इस सदन को आइ– वस्त करता हूं । आप भरोसे के साथ इस बिल का सर्वसम्मति से सर्मथन करें । बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है ।

11.00 बजे

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab State Aid to Industries (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Chairman : The House will now take up the Bill clause by clause

Clause 2

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू) : चेयरमैन साहब, उद्योग मंत्री महोदय ने जो यह बिल पेश किया है, इस पर जैसे कि बाबू मूल चन्द जैन जी ने खदशा जाहिर किया, मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें जैसे कि उन्होंने विचार व्यक्त किया कि अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट या काश्तकार को 17 प्रतिशत तक इन्ट्रैस्ट देना पड़ता है, इनको बगैर ब्याज के रुपया

देना मुनासिब बात नहीं है । अगर किसी किसान के खिलाफ किसी भी टैक्स का किसी भी किस्म का रुपया बकाया हो तो उसको 17 प्रतिशत ही नहीं बल्कि कई दफा तो पीनल रेट आँफ इन्टैरस्ट लगता है, उसको अगर देखा जाये तो 30–3 0 प्रतिशत तक इन्टैरस्ट भी देना पड़ता है । मैं यह नहीं समझता कि आज बड़े–बड़े उद्योगपति जैसे बिरला टाटा, डालमिया, जिनकी आज बड़ी–बड़ी कोठियां खडी हैं, बड़े–बड़े कारखाने खड़े हैं, सेल्ज टैक्स का जितना रुपया उनके खिलाफ बकाया है, वह सरकार से लोन लेकर दे दें । यह वह पैसा हे जो गरीब आदमी अपने खून पसीने की कमाई करके पै दा करता है । इस बारे में पहले ही एक एक्ट बना हुआ है, यह एक पूंजीवादी कानून है । इस पूंजीवादी कानून में तरमीम करके हम एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं । इसीलिए मैं मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा कि यह बिल फिलहाल सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाना चाहिए ताकि एक तरफ जो लोगों को सेल्ज टैक्स का रुपया देना है, वह रुपया देने के लिए, बगैर किसी ब्याज के जो देने की बात कह रहे हैं, यह फिलहाल रुक जाये । चेयरमैन साहब बड़े हैरानगी की बात है पहले तो कर्जे की लिमिट 5 हजार थी अब उन्होंने बढ़ाकर 1 0, 000 रुपया कर दी है । इस प्रकार तो उनको कितना ही पैसा देते चले जाएंगे । यह बोर्ड के लिए जाने की बात. है । मैं यह समझता हूं कि अगर हम वास्तव में जनता के हित की बात करना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए गरीब लोगों की, जिन्होंने जनता पार्टी को चुनकर यहां पर

भेजा है, उनकी बात करना चाहते हैं तो इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए या सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए । यह वह गरीब वर्ग ही था जिसने तानाशाही के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की थी । पूंजीपतियों ने तो उस समय भी तानाशाही का समर्यन किया था । इसलिए मैं अरनी सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप पूंजीपति को फिर से जिन्दा न करें ।. (व्यवधान). इसीलिए मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी कों भेजा जाये । इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार से यह मांग की जाए कि वह इस कानून मे रद्दो–बदल करे । मैं उम्मीद करता हू कि. सरकार इस बारे में कार्यवाही करने में कोई संकोच नही करेगी और कोई संकोच होना भी नहीं चाहिए । अगर कोई बात गरीबों के हित की आती है, अगर कोई बात गरीबों के हित की करनी है तो सरकार को इस बारे में कोई संकोच नही करना चाहिए । इसमे कोई प्रैस्टिज क्वैश्चन नही है कि बिहन क्योंकि अब पेश कर दिया गया है, इसलिए अब उसको वापिस नही लिया जा सकता । इसलिए मेरा कहना यह है कि या तो इस बिल को वापिस लिया जाये या फिर सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाये' ताकि यह पता चल सके कि हम कितने दरिया दिल है । अगर कोई ऐं सी बात कभी भी नोटिस में आये तो हमें हमेशा उसको मानने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

धन्यवाद ।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ) : चेयरमैन साहब, सदन के माननीय सदस्य शायद इस बिल को पूरा तरह से समझ नहीं पाये । डाक्टर साहब की बात तो हमें समय आ गयी लेकिन जो इस बिल में यह लिखा है कि :–

'' (क) केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के लिए स्वीकृत कर्जे के सिवाये, या

(ख) ऐसे कर्जे के सिवाय जिसकी राशि दस हजार रुपये से अधिक न हो, बोर्ड को निर्देश किए बिना राज्य सहायता स्वीकृत नहीं करेगी । ''

चेयरमैने साहब, किसी भी कारखानेदार का या करोड़पति का यदि टैक्स बकाया है, एक लाख दो लाख रुपया यदि उसने सरकार को टैक्स का देना है तो उस टैक्स को देने के लिए इस बिल के द्वारा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर वह कर्जा देंगे और वह कर्जा बगैर ब्याज के होगा । यह सहूलियत इस बिल के द्वारा इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए दी गई हैं । मैं समझता हूं कि गरीब आदमी के साथ इससे ज्यादा अन्याय नही हो सकता । मेरे माननीय सदस्यों को इस बिल का पूरी तरह से पता नहीं है । लोगों ने अपने दिमाग से इसको समझा नही है । इस बिल में सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर्ज दी गई हैं । यहां पर यह बताया गया था कि हम पावर्ज को डीसैन्टैरलाईज करेगे । इस प्रकार का बिल पास कर देने से पावर्ज डीसैन्टेरलाईज होने की

बजाय सैन्टेरलाईज हौ रही है । पता नहीं **चौधरी** भजन लाल जी अब कहां चले गये । वे भी हरिजनों की बात कह रहे थे । इस बिल के द्वारा जो पैसा इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को बगैर ब्याज के दिया जा रहा है, वह पैसा बड़े–बड़े इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स को दे ने के बजाय अगर छोटे–छोटे हरिजनों तथा बेरोजगारों तक पहुंचा दिया जाये तभी इसका फायदा हो सकता है । यह तश्रई पहुंच सकता है जबकि बोर्ड के पास यह अधिकार हो क्योंकि बोर्ड में हरिजनों का प्रतिनिधित्व भी कोई न कोई सदस्य करता है । मेरा कहने का मतलब यह है कि उसमें कोई न कोई हरिजन मैम्बर भी है । इस अमन्डमैंट में तो यह होना चाहिए था कि जितना पैसा इस बोर्ड के पास है, इस अमैडिंग बिल के द्वारा वह सारा पैसा जो कारखानेदारो को बगैर ब्याज के दिया जाना है, वह कारखानेदारों को गे. देकर जो बेरोजगार आदमी हैं, उनको लघु उद्योग खोलने के लिए बगैर ब्याज के दिया जाये । जो बात जनता पार्टी की सरकार आज तक करती आयी है कि देहात के अन्दर छोटे–छोटे उद्योग खोलेंगे, यह बिल उस बात से टकराता है । अगर दे हात को सहूलियत देने की बजर ये आप बड़े आदमियों को सहूलियत देंगे, तो मैं माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि इस 'बिल को पास नही होने देना चाहिए और सरकार से सारे सदस्य यह कहें कि वह इसे विदड्रा कर ले ।

धन्यवाद ।.. (व्यवधान)

चौधरी हरि चन्द हुड्डा (किलोई) : चेयरमैन सा हब, यह बिल जो इस हाउस के अन्दर इन्ट्रोडयूस किया गया है यह प्राईम मिनिस्टर आफ इण्डिया की इन्टैशन के विरुद्ध है ।

प्राईम मिनिस्टर ने यह ऐलान किया कि पावर का डीसेन्टूलाईलशन होना चाहिए न कि पावर एक हाथ में रहे । जो पावर पिछले तीस साल में एक हाथ में थी उसको हमारे प्राईम मिनिस्टर ने डीसेन्टू लाईज कर दिया जिससे वह पावर आम और गरीब आदमी तक पहुंच जाए । यह जो बिल आया है यहं बिल दरअसल एक मिनिस्टर के हाथ में रहेगा भैरा मतलब है कि रुपया बांटने का काम एक हांथ में रहेगा । अगर इस बिल में इरा पावर को डीसेन्टूलाईज कर दिया जाए तो यह आम जनता के भले के लिए होगा और जनता पार्टी जनता के भले के काम करने के लिए आई है इसलिए इस बिल में भी जनता की भलाई की बात होनी चाहिए । अगर एक ही आदमी चीजों को बांटता रहे तो तीस साल से जो होता रहा है और जो हम आज कर रहे हैं, इन दोनों में क्या फर्क है । इस बिल से यह साबित होता है कि तीस साल तक जो हकूमत चली, उसके ख्यालात, उसके प्रोग्राम, उसके कानून जनता के लिए लाश और कब बन गई और अगर हम उस लाश और कद पर खड़े रहेंगे तो हमारी भी यही हालत हो जाएगी । मैं इस बिल के बारे में कहूंगा कि इसमें पावर ड़ीसेन्ट्रलाईज कर दी जाएं । मुझे आशा है कि मेरी इस बात से सभी सहमत होंगे । ऐसा करने से जो रुपए का डिस्ट्रिब्यूशन होगा वह ठीक प्रकार

होगा, गरीबों को भी उसका फायदा होगा और अमीर आदमी लूटखसूट न कर सकेगा ।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : इस जनरल डिस्कशन में जो बात कही गई उसके जवाब में मन्त्री महोदय ने कहा कि हम यह अख्तियारात इसलिए ले रहे हैं कि उद्योगों का विकास करना है । फारवर्ड एरिया में तीन साल तक, दरमियाने एरिया में पांच साल तक और वैकबई एरिया में सात साल तक, इंडस्ट्रीज के जिम्मे जो एक लाख तक सेन्ट्रल सैन्ट्रल टैक्स होगा उसके अगेन्सेट हमारी सरकार एक लारव रुपया का कर्जा दे सकती है । हमारी सरकार इतनी मेहरबान है कि वह एक्रू लाख तक का कर्जा बिना व्याज के देगी । मैं कहना चाहता हू कि इससे ज्यादा प्रोरिच पालिसी और क्या हो सकता है । मैं नही समझता था कि एक अमीर क्यों अमीर बनता जा रहा है और गरीब क्यों गरीब बनता जा रहा है मेरा विचार था कि एक कारखानेदार इसलिए अमीर हो जाता है कि वह कच्चा माल सस्ता खरीदता है और लेबर को कम से कम पैसा देता हे, उससे रब्ब काम लेता है और वह जो माल बनाता है उसके। पर काफी मुनाफा लगाकर बाजार में बेचता हे । यही करण है चित्र औंर यह कुदरती है विय अगर एक आदमी एक कारखाना लगाता है तो 15 वर्ष में उसके दो कारखाने हो जाते हैं और पच्चीस वर्ष में तीन कारखाने हो जाते हैं । 1947 में बिरला के पचास करोड़ के कारखाने थे और आज उसके पांच सौ करोड़ के कारखाने हैं (व्यवधान) । चेयरमैन साहब, मैंने अमीर होने के

तीन कारण बताएं है) और चौथा कारण मेरे दोस्त ने बताया' है कि अमीर होने के लिए लोग सरकार का बेतहाशा रुपया, इस्तेमान करते हैं या यू कहिए कि लोग पब्लिक का रुपया इस्तेमाल करते है, ये कारखानेदार बैकों से रुपया लेते हैं फाइनेंशल इंस्टीच्यूशंज से रुपया ले ते हैं । इनके पास 10 प्रतिशत रुपया अपना होता है और 90 प्रतिशत रुपया बैको का अथवा दूसरे पब्लिक इस्टीच्यूशंज का होता है । यही कारण है कि अमीर अमीर होता चला जाता है । चेयरमैन साहब, पहले पांच हजार की लिमिट थी । पहले सरकार पांच हजार की लिमिट तक कर्ता देती थी । आज आप हमसे यह अख्तियार ले रहे कुंए । स्टेटमैन्ट आटजेक्ट्स एंड रीजन्ज में इन्होंने यह लिखा है कि irrespective of their amount सात साल तक एक कारखाने को सरकर रियायत देगी. । पहले वर्ष में एक कारखानेदार ने एयरकंडीशनर पैदा किए, रैफ्रीजरेटर पैदा किए अथवा कोई दूसरा माल पैदा किया और उस पर एक लाख रुपया सैन्ट्रल बिक्री टैक्स लगता है । उसको आप बिना सूद एक लाख रुपया कर्जा दे रहे हैं । मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हू कि सरकार की यह नेक–नियती नहीं होगी । आप इसको विदड्रा कर लें और इसको फिर कमी कन्सिडर किया जाए । जिस वक्त यह कन्सिडर किया जाए उस समय हमारी जो सनेशंज है उनको भी ध्यान में रखा जाए ।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) : चेयरमैन साहब, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे दोस्त इतने काबिल होते

हुये और बहुत पुराने पार्लियामेन्टेरियन तथा पुराने मैम्बर होते हुये, बिल क्या है और उस पर तकरीर –लया कर रहे हैं । सेन्ट्रल सैल्ज टैक्स के अगेन्सट लोन देना है या नही देना है, यह बिल हाउस के सामने नहीं है । हाउस के सामने तो केवल इतनी बात है कि आलरेडी बिल में सैन्ट्रल सैल्ज टैक्स के अगेन्सट पांच हजार तक का लोन बोर्ड के पूछे बिना डायरेक्टर साहब दे सकते थे । अव उन्होंने बहु किया हे कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे कारखानेदार, जिनको ये लोग सरमाये दार और कैपिटलिस्ट कह रहे हैं, उनको तकलीफ न हो, वे धक्के न खायें, इधर– उधर न भागना पड़े । चेयरमैन साहब, आज हर चीज की कीमत बढ़ गई है और इस चीज को देखते हुए उस पांच हजार की लिमिट को सरकार बढ़ा रही है । उस लिमिट को बढ़ाने की मन्जूरी सरकार सदन से ले रही है जिससे छोटी इन्डस्ट्री पनप सकें । समय पर उनको लोन मिल सके, उधर–इधर धक्के न खाने पड़े और अपने काम को वे ठीक तरह से चरना सकें । अब पांच हजार की लिमिट की बजाए दस हजार की जा रही है और कहा गया है कि बोर्ड को भेजे बिना दस हजार रुपया डायरैकटर साहब लोन दे सकते हैं (व्यवधान) आप लोग बिल को पढ़ें ।

Mr. Chairman : Please speak on the Bill and not on the Member.

श्री लहरी सिंह महरा : आन ए प्वाएंट आफ आर्डर । चेयरमैन साहब, गरीब आदमी को आफिसर अपने आफिस में घुसने ही नहीं देता ।

चौधरी राम लाल वधवा : चौयरमैन साहब, बिल में जो प्रोविजन है वह यह है

"Provided that the State Government shall not sanction State Aid without reference to the Board except in the case of a loan :-

(a) X X X X

(b) the amount of which does not exceed ten thousand rupees."

चेयरमैन साहब इतनी सी बात थी लेकिन यह.।– पर इतना कुछ कहा जा रहा है । हाउस के अन्दर एक उलझन खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि एग्रीक्लचरिस्ट्स को भी सहूलियत मिलनी चाहिए । चेयरमैन साहब, मुझे हाउस में एग्रीक्लचर के बारे में कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि यह पहली सरकार है जिसने प्लानिंग का 80 प्रतिशत पावर एण्ड इरिगेशन पर खर्च करने का फैसला किया है । उसमें करोड़ों की सबसिडी है, सस्ता बीज देने की बात है, सस्ता कर्जा देने की बात है । आप किस तरीके से यह कह सकते हैं कि एग्रीक्नचरिस्ट्स को कुछ नहीं मिलता । चेयरमैन साहब एग्रीक्लचरिस्ट का ध्यान तो पहले रख रहे हैं । लेकिन मैं एक बात आपके द्वारा, चेयरमैन

साहब, इस बिल के बारे में सदन में रखना चाहता हूं । यह कहा जा रहा था कि इस बिल को वापिस ले लिया जाए । मैं यह बात कहते हुए इसका– समर्थन करता हूं और बताना चाहता हूं यह हम एगिक्रलचर की इनपुटस को सबसिडाईज करते हैं और दूसरी सहूलियते देते हैं, लेकिन इससे देश के रिसोर्सिज नहीं बनते । चूंकि 70 परसेन्ट जनता देहातों में रहती हैं, वह खुशहाल होगी तो कारोबार चलेगा । अत सरदार ने यह निर्णय किया कि 80 परसेन्ट रुपया उनके पर खर्च किया जाये, यह मैं मानता हूं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे रिसोर्सिज अगर कहीं से बनते हैं, टैक्सेशन कहीं से आता है तो वह इंडस्ट्री से आता है । जब तक इंडस्ट्री और एग्रीक्लचर दोनों पर बराबर ध्यान दे कर इनको हम खड़ा नही करेगे, तब तक हमारी सरकार के रिसोर्सिज नहीं बनेंगे । इसलिये अगर हम कैपिटेलिस्ट और लेबर की बात कहेंगे और इस बात को दिमाग से उतारने की कौशिश करेंगे कि हरियाणा के अन्दर कौन से बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट हैं, तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे । हमारी सारी इंडस्ट्री स्माल स्केल इंडस्ट्री है । हम चाहते हैं कि जर्मनी और जापान की तरह हमारी भी इंडस्ट्री हो और हरियाणा हिन्दुस्तान के अन्दर सब से बड़ा इंडस्ट्रीयल प्रान्त समझा जाए । हमारे रिसोर्सिज ज्यादा बने इसके लिए हमें इंडस्ट्री को भी सहूलियतें देनी पड़ेगी, तभी हमें रिसोर्सिज मिलेंगे । अतः मैं इस बिल का पूरे जोर के साथ समर्थन करता हूं और आपके द्वारा सारे हाउस से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि सर्व–सम्मति से इस बिल को पास किया जाए ।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सेन) : चेयरमैन साहब, मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई ट्रेजरी बैचिज की तरफ से सुनकर कि यह पार्टी सरमायेदारों की पार्टी नहीं बन सकती । सरमायेदारों का इंटेरस्ट ये वाच नहीं कर सकते, जो भावनाएं मेरी हैं, वही भावनाएं इनकी भी हें (तालियां) वास्तव में इंडस्ट्री का नाम आते ही हम चौकन्ने हो जाते है कि पता नहीं किस करोड़पति की बात होने जा रही है । इंडस्ट्री में तो साहब हाथ करघा, हाथ से काम करने वाले छोटे आदमी, छोटे कारीगर जो सैल्फ एम्पलायड हैं... (विघ्न एवं शोर)

चेयरमैन साहब, मैंने इनकी बात बड़े आराम से सुनी है इनको भी सुननी चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस में एक प्वांयट तो यह है कि पांच हजार रुपये तक पहले डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री आ फिसर को कर्जा देने का अधिकार था । अब हम उसको 1 0 हजार रुपये तक का कर्जा देने का अधिकार देने जा रहे है । क्यों? क्योंकि आगे से इकविपमैन्ट, मशीनरी आदि बहुत महंगी हो गई है । पहले के और आज के भावों में बड़ा अन्तर है । पांच हजार में एक आदमी उद्योग नहीं लगा सकता, इसलिये हमने 10 हजूर रुपये का प्रोवीजन रखा है । क्या इसमें पूंजीपतियों को सर्व करने वाली बात है? दूसरी बात हमने यह की कि फारवर्ड एरिया में दरिम्याने एरियाज में बड़ी इंडस्ट्री लगेगी और बैकवर्ड एरियाज में जो इन्डस्ट्री लगेगी, वह छोटी लगेगी । इनको जो सेल्ज टैक्स दे ना होगा उस सेल्ज टैक्स के बराबर लोन फारवर्ड

एरिया में 3 साल के लिये, दरिम्याने में 5 साल के लिए और बैकवर्ड में 7 साल के लिये बिना सूद ले सकते हैं और उसके बाद छूट नहीं होगी । अगर इसके बाद इडस्ट्रियलिस्ट लोन लेगा तो उसको सूद देना पड़ेगा चेयरमैन साहब, अब बात यह है कि लोग उनको दे क्यों रहे हो? इस बिल में देने और न देने शी बात नहीं है, इस बिल में तो केवल इतनी बात है कि पहले बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज में यह बात की जाती थी, अब हमने डायरैक्टर को कह दिया कि वह बोर्ड को रैफर किए बगैर दे दे । मे रें भाई चौधरी सत कंवर जी इस बोर्ड के मैम्बर भी हैं, सन् 1 977 में यह बोर्ड बना था, सौ फारमैलिटीज पूरी करने के बाद । बजाये इसके कि बोर्ड को रैफर हो, हमने कहा कि आराम से वहां ले जाए क्योंकि बोर्ड ने कुछ नहीं करना है । जो कुछ करना है वह एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने शुई करना है उन्होंने ही असैसमैन्ट करनी है । जो वो स्टेटमैन्ट बना कर देंगे, जो सर्टीफिकेट देंगे । वही उस बोर्ड को देना है । हमने तो अपने गले से बला उतारी है और डायरैक्टर को कहा है ताकि टाईम वेस्ट न हो, क्विकनेस होनी चाहिये, डिले नहीं होनी चाहिये । यह दो बातें. माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे इस मामले में ज्यादा ऐजीटेडिट न हों कि हम पूजीपतियों का घर भरने जा रहे हैं । बाबू मूलचन्द जैन जी ने कहा और थ्यूरी समझाने लग पड़े । उन्होंने कहा कि पूंजीपति कैसे बनते हैं, मुझे तो पता नहीं कि पूंजीपति कैसे बनते है । न मेरा कर न घाट, न मेरी जमीन नमेरी जायदाद, न मेरी कोठी न मेरा बंगला । तो चेयरमैन साल के तो खुद जानते हैं,

मिनिस्टर भी रह चुके हैं कि कैसे रुपया बनाया जाता है । इसलिये मैं यह कहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार में पूंजीपतियों का कोई काम नही है और न होगा । हरिक्क बन्धुओं की बात भी इसमें आई, किसान का बेटा अगर गांव में बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगायेगा तो हम उसको 10 हजार रुपया देगे ।

चौधरी संत कंवर : डाक्टर साहब, दस हजार में क्या लग पायेगा, दो लाख रुपये दो ।

डा0 मंगल सेन : चेयरमैन साह ब, अगर कोई दो लाख में लगाता है तो लगाये उसे रोकता कौन है । चेयरमैन साहब, 'अगर हमारे दोस्तों के ऐसे विचार है तो पेरेन्ट एक्ट में यह ले आते हैं कि यह सिस्टम ही खत्म कर दो । हमने तो फारमेलिटीज की बात कही है । इस में माननीय सदस्यों को एजीटेटिड नही होना चाहिए । मैं आप लोगों के सेन्टीमेंटस को समझता हूं, मेरे भी विचार आप जानते हैं । इसलिये राई का पहाड न बनाते हुए मेरी इस हाउस से प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाये ।

Mr. Chairman : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause I

Mr. Chairman : Question is—

That clause I stand Part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is -

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Industries Minister (Dr. Mangal Sein) : Sir, 1 beg to move—

That the Punjab State Aid to Industries (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Punjab State Aid to Industries (Haryana Amendment) Bill be passed.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : (पाई) चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिये सारे हाउस से कहना चाहता हूं कि इस बिल पर टेरजरी बैंचिज व दूसरी तरफ के लोग इसके हक में बोले हैं और कुछ खिलाफ भी बोले हैं । उससे साक जाहिर है कि यह एम्बीगूअस बिल है । इसलिये मैं आपके जरिये सरकार से प्रार्थना

करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाये । बार बार यहां पर कहा जाता है और डाक्टर मंगल सैन जी रोज यह कहते हैं कि यह जो पार्टी है यह गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिये काम करेगी । गरीबों का नाम इसमें लिया जाता है लेकिन काम उनके लिये कोई नही किया जाता । लेकिन अब इस बिल से साफ जाहिर हो गया है कि जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ इल्जाम था कि यह कांग्रेस सरकार प्रौ–कैपिटलिस्ट थी, कैपिटलिस्ट से पैसे ले ले कर इलेक्शन लड़ती थी लेकिन जनता पार्टी ने तो उन से पैसा न लेकर इलेक्शन लड़ा, गरीबों ने पैसा दिया था । बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज यह जो प्रो–कैपिटलिस्ट का बिल है इसकी इन्टैन्शन से साफ जाहिर हए, जैसा कि हमारे माननीय मैम्बर साहिबान ने बताया है कि जब कैपिटलिस्ट को बगैर ब्याज के पैसा दिया जाता है तो फिर गरीब किसानों की कुडकियां क्यों की जाती हैं, उनपर क्यों ब्याज लगाया जाता है? उन पर ब्याज न लगाया जाए वे चाहे एक रुपया ले चाहे 100 रुपया लें, चाहे किसी ढंग से लें या सरकार से ले । किसानों से तकावी पर भी ब्याज लिया जाता है । इसलिये यह बिल बड़ा अन–कांस्टीच्यूशन्ल है because there is equality under Constitution. कास्टीच्यूशन के मुताबिक सब को बराबर समझा जाए । मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री तरक्की करे और खेती भी तरक्की करे लेकिन इंडस्ट्री का मतलब यह नही है कि बड़े बड़े आदमियों को सैल्ज टैक्स पे करने को लिये पैसा दे दिया जाए । अभी सरकार का घाटे का बजट पेश हुआ है और दूसरी तरफ सरकार

बड़े बड़े कारखानेदारों को सैल्ज टैक्स पे करने के लिए लाखों रुपया दे रही है और वह भी वगैर ब्याज के । इस से कैपिटलिस्टों को मदद दी जा रही है । इसलिये मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल पर दुबारा गौर किया जाए और इसको सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए । मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि अगर कांग्रे स सरकार ने गलत कानून बना दिया था तो आप तो अब उस कानून को बदल सकते हो । जब और नये नये बिल लाये जा रहे हैं तो ऐ सा बिल क्यों नहीं लाया जाता कि जो बड़े बड़े कारखानेदार हैं उनको पैसा नहीं दिया जाएगा । जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें गरीब आदमी काम करते हैं उनको जरूर पैसा दिया जाना चाहिये । उनको आप चाहे पांच हजार दें, दस हजार दे या एक लाख दें हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जो इंडस्ट्रीज पहले से लगी हुई हैं उनको सैल्ज टैक्स पे करने के लिए आगे पैसा नही दिया जाना चाहिये । सिर्फ कहने से गरीबों कीं सरकार नहीं बनती । बल्कि गरीबों की सरकार तो प्रैक्टीकली काम करने से बनती है । मैं सारे हाउस को प्रार्थना करता हूं और सारे हाउस की यह सैसं है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाए । अगर मिनिस्टर साहब मेरी यह बात नहीं मानते तो मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इस बिल को फे ल कर दिया जाए ।

स्वामी अग्निवेश (पुंडरी) : आदरणीय चेयरमैन साहब, यह जो अभी हमारे सामने बिल रखा गया है इसके पर थोड़ी

गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । इसके दो पहलू हैं एक तो इसमें बोर्ड को पांच हजार रु0 का ऋण देने का जिक्र था जोकि अब दस हजार रु0 कर दिया गया है और वह जो दस हजार किया गया है वह बोर्ड के क्षेत्र से निकाल कर अब डायरैक्टर को सौंपा गया है । इस बारे में कोई मन्त्रीोद नहीं हो सकता क्योंकि पहले से मंहगाई बढ गई है इसलिये पांच हजार से दस हजार करना यह कोई अनुचित बात नहीं है । यह भी कोई अनुचित बात नहीं है कि बोर्ड की बजाए अब डायरैक्टर देगा । लेकिन इसमें दूसरी चीज बहुत आपत्तिजनक है । वह यह है कि सैंट्रल सै ल्ज टैक्स देने के लिए कोई पू जीपति चाहे वह छोटा हो या बड़ा मैं इस चीज का बुरा नही मानता, उसको सैल्ज टैक्स अदा करने के लिए बिना ब्याज के पैसा डायरैक्टर सैक्शन कर सकता है, यह बड़ी अनुचित बात है । मेरी पूरे सदन से प्रार्थना है कि दो चीजों को कन्फ्यूज न करें । एक चीक तो ठीक है कि पांच हकार से बढ़ा कर दस हजार कर दिया लेकिन उसके साथ यह जोड दें 'subject to the confirmation of Board' लेकिन जैसे अमी कह रहे थे कि छोटी इंडस्ट्रीज सैट्रल सेल्ज टैक्स पे नही करती है बल्कि बड़ी इंडस्ट्रीज करती हैं लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं बांधी गई है । वह राशि पांच हजार भी हो सकती है, दस हजार भी हो सकती है और दस लाख भी हो सकती है । तो ऐसा करके सरमायेदारों की तरफदारी की जा रही है इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस बिल भे जल्दबाजी न करें । इस बिल को सरकार पार्टी मीटिंग में भी लाए और अगर जरूरी समझा जाए

तो सिलैक्ट कमेटी में भी लाया जाए इसको पूरी बहस के बाद ही सदन में रखा जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ में अपना स्थान लेता हूं ।

चौधरी पीर चन्द (रतिया–अनुसूचित जाति) : चेयरमैन साहब, यह जो बिल सदन के सामने रखा गया है बहुत ही अच्छा है । इसमें कुछ छूट की बातों के बारे में काफी साथियों ने चर्चा की । मैं भी मानता हूं कि बड़ी इडस्ट्री वाले को इतनी बड़ी छूट नहों होती चाहिये । हमारे हरियाणा के अन्दर बहुत से ऐसे लोग हैं जोकि बहुत ही गरीब और बैकवर्ड हैं, उनके साथ इस सरकार ने वायदा किया था कि हम गरीब हरिजनों को, बैकवर्ड क्लासिज को उनके वर्तमान स्तर से 0ंचा उठाएगे । तो इसके लिये सरकार की नीति इस बात पर निर्भर करती है कि या तो वह इन गरीब आदमियों को रोजगार दे या उनको इस किस्म की रियायत दे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों को दी जा रही है । हमारी सैंटर की सरकार और हरियाणा सरकार की यह नीति है कि हम गरीबों को रियायत देंगे । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बड़े पूजीपतियों की बजाए गरीब आदमियों के।. यह रियायत दी जाए । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी गरीब हरिजन, बैकवर्ड क्लास का आदमी या कोई निर्धन किसान, ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहे तो सब से पहले उनको यह रियायत दी जाए और उनके लिये सूद बिल्कुल माफ होना चाहिये । अगर हम गरीबों को रियायत नहीं देंगे तो हम यह नही कह सकते कि यह

गरीबों की सरकार है बल्कि यह तो बड़े आदमियों की सरकार बन जाएगी। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल में कोई संशोधन करके गरीब हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के आदमियों को इसमें शामिल किया जाए । मैं विश्वास करता हूं कि हरिजनों ओर बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिये बिना सूद के पैसा दिया जाएगा ।

चौधरी संत कवर (हसनगढ) : चेयरमैन साहब, माननीय डाक्टर मंगलसैन जी ने कहा कि इस बिल के जरिये पांच हजार की बजाए दस हजार रु0 की ताकत डी0 आई0 ओ0 को दे दी जाएगी । ताकि वे लोन दे सकें । चेयरमैन साहब, डी0 आई0 ओ0 को चाहे दस हजार की बजाये एक लाख, दो लाख या दस लाख की ताकत दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि डी0 आई 0 ओ0 जो लोन देता है उसके लिए वहां एक कमेटी या व ओर्ड होता है । जिलों के अन्दर जो कमेटी या बोर्ड होता है उसमें एक दो एम0 एल0 ए0 भी होते हैं, और दूसरे नुमायदे भी होते हैं । इस लिये उनकी अगर ऋण देने की पाबर बढाई जाती है तो कोई एतराज वाली बात नही है । इन्होंने एक बात यह कही कि बोर्ड के अन्दर को लौन आता है वह तो सिर्फ फारमैलिटी है । मैं भी उप बोर्ड का मैंबर हूं । चाहे एक्साईज डिपार्टमैंट कितना ही पैसा दे दे लेकिन अगर बोर्ड नहीं चाहता तो किसी आदमी को पैसा नहीं मिल सकता । इसलिए यह फारमैलिटी वाली बात नहीं है । बो र्ड तो लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है कि सही

आदमी को पैसा मिले । डाक्टर साहब. के कहने के मुताबिक अगर बोर्ड फारमैलिटी ही करता है तो बोर्ड को खत्म कर देना चाहिये, बोर्ड की जरुरत ही नहीं है जब उसकी पावर ही नही रहती, कोई ताकत नही रही तो फिर बोर्ड की जरूरत ही क्या है, इसको तोड़ देना चाहिए और यह प्रोवीजन इस बिल के अन्दर आना चाहिए ।

तीसरी बात यह है कि बिल में जो प्रोवीजन किया गया है कि कारखानेदारों को कर्जा दिया जा रहा हे, यह ठीक नही, कर्जा तो छोटे छोटे आदमियों को दिया जाना चाहिए । चेयरमैन साहब, यह मोटी सी बात है लेकिन ये हेराफेरी से इसको दबाना चाह रहे हैं । यह बात सही है कि सी0 एस0 टी0 बड़े बड़े कारखानेदारों पर लगता है और वही इसको पे करते है । इस सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स को पे करने के लिए इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को लोन, वगैर ब्याज के दिया जाएगा । खड्डी वादनों को नही दिया जाएगा, बड़े बड़े कारखानेदारों को दिया जाएगा, इस में कोई दो राय नही है । इस बिल के बारे में मेरी राय यह है, इसमें शर्म की बात नही है, इस बिल को अगले सैशन के लिए रख लें और पार्टी मीटिंग में इसको डिस्कस कर लें क्योंकि पार्टी मीटिंग में यह बिल नही रखा गया । डैमोक्रेसी है इसलिए पार्टी में डिस्कस होना चाहिए और सदन के बहुत से सदस्यगण चाहते है कि पार्टी में रखा जाए । यह बात ठीक है कि हम कनविंस नही हो पाये हैं और हमें कनविंस करवाने के लिए बिल अगले सैशन के लिए रख लिया जाए । या तो पार्टी मीटिंग में टैक–अप किया जाए या

सिलेक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए । जिस तरीके से जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस बिल को विद्ड्रा किया जाए ।

श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया (बावल–अनुसूचित जाति) : चेयरमैन साहब, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस बिल पर अपने विचार रख सकू । जहां तक गरीब आदमी– को लोन देने का प्रश्न है, इसको तो कठिनाई आती ही है क्योंकि गरीब आदमी– जिसके फटे हुए कपड़े हैं, वह मन्त्री के पास तो क्या– जायेगा, इंडस्ट्रीज आफिसर के सामने जाने से भी हिच कचाता है । जो मैम्बर हैं उनके पास तो जा सकता और इस बात का मैं समर्थन भी करती हूं कि 10 हजार रुपया लोन लेने की पावर इंडस्ट्रीज आफिसर को दे दी है क्योंकि हम उस गरीब आदमी के साथ इंडस्ट्रीज आफिसर के पास जा सकते हैं –लेकिन वह अपने आप जाने से हिचकचाता है, वह गरीब है । उनकी गरीबी को मैं इस वक्त यहां नहीं बता सकती, वह तो उनके घरों में जाकर ही देखी जा सकती है कि आया यह बात ठीक है या नही । हम बोर्ड में बैठ कर देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति गरीब है, किस को लोन मिलना चाहिए । मन्त्री महोदय ने जौ यह बात कही है कि हमने अपने गले से बला टाल कर अधिकारियों को दे दी है, मैं इससे सहमत नही हू इसका मैं विरोध करती हूं । बला को टालने से काम कैसे चलेगा । हमें बलाओं से घबराना नही चाहिए । किसी वक्त भी आप हमें बुला सकते है । हम बोर्ड के मैम्बर हैं, बुलाने

पर आपत्ति क्यों होगी । किराया हम नहीं देते, बिना किराया खर्चे हम आ सकते हैं, आप बुला सकते है । लेकिन हमारा अधिकार, सरकारी अधिकारियों को या मिनिस्टरों को दे दिया जाए तो यह ठीक नहीं । मैं जनता पार्टी की सदस्या होने के नाते कहना चाहती हूं कि आप जबरदस्ती करके

यह बिल पास कर सकते हैं लेकिन ऐसा करना नही चाहिए । सरकार का जो टैक्स है, उसको अदा करने के लिए अगर सरकारी खजाने से पैसा दे कर अदा कर दिया जाए. इसका मैं सखत से सख्त विरोध करती नए और इसके समर्थन में नहीं हूं ।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद) : चेयरमैन साहब, जहां छोटे–बड़े उद्योगों के लिए 5 हजार से 10 हजार तक इंब्लूजि आफिसर को पावर देने का सवाल है । इससे सारा हाउस सहमत है । लेकिन एक कैपिटलिस्ट जो सी0 एस0 टी0 देता है, वह सी 0 एस 0 टी0 के तहत अपनी दर इडस्ट्री के लिए लोन– ले सकता है, इस बात को समझने में बड़ा भेद है । आदरणीय मन्त्री महोदय ने हाउस सदस्यों को कनविस करवाने की कोशिश की लेकिन करवा नही सके । देहातों में जो छोटे–छोटे उद्योग हैं वे सी 0 एस0 टी0 नहीं देते, सी0 एस 0 टी0 वही देते हे जो बड़े कारखानेदार हैं और स्टेट के बाहर माल एक्सपोर्ट करते है और इस लोन का फायदा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ही है । देहात के छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को नही है । स्टेट के अन्दर जो बड़े बड़े

इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जिन्होंने पिछली सरकार से फायदा उठाया है वही लोग आज जनता सरकार से फायदा उठा रहे हैं । लेकिन जनता सरकार कह रही है कि जनता सरकार कैपिटलिस्टस की सरकार नही है, यह गलत बात है । इलैक्शन के अन्दर जब फण्ड्ज की जरूरत पड़ती है तो कैपिटलिस्टस से ही फण्ड्ज लेती है । इस तरह से सरकार कैपिटलिस्ट बनने जा रही है, इसमें कोई शक की बात नही है । जिस तरह से मोम का कोटा देने का जिक्र हाउस में आया था कि फरीदबाद की एक इंडस्ट्री को मोम का कोटा दिया गया और वह ब्लैक–लिस्ट में आया इसी तरह से सरकार ने यह काम कर दिया । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस का फायदा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं उठा सकती । हुस कानून के पास होने के बाद आप देख लेना कि इससे वही आदमी फायदा उठायेंगे जो पहले से उठाते चले आये हैं और ये आदमी बहुत थोडी लिमिट में हैं आम छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई फायदा नहीं होगा । जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कानून का ज्ञान है, छोटे आ दमी को कानून का ज्ञ नहीं होता । 2 परसैट इंडस्ट्रियलिस्टस जो सरकार को इलैक्शन लड़ने के लिए पैसा देते हैं, वे ऐसे बिल पास करवाने के इच्छुक होते हैं । मैं आदरणीय मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूगां कि 5 हजार से 10 हजार तक की जो पावर दी है, यी बड़ी खुशी की बात है लेकिन सी0 एस0 टी0 वालों को लोन देने की जो बात है! इस पर दोबारा गौर करे और हाउस की कंसैन्ट को पैखते हुए लोन की बात को विदड्रा किया जाए और इस लिमिट को खत्म किया जाए ।

चौधरी लाल सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । चेयरमैन साहब, सरकार जो बिल लाई है, मेरी प्रार्थना है कि उसमें गरीबों को रियायत दी जाए और सरमायेदारों को न दी जाए ।

श्री सभापति : यह प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है ।

श्रीमती शान्ति देवी (कैलाना) : चौयरमैन सा हब, काफी देर से सदन में चर्चा चल रही है और इस बिल को सन्देह की दृष्टि से देख रहे हैं कि जो लाभ देने जा रहे हैं वह बजाये लघु–उद्योगों के, बड़े बड़े आदमियों को, सरमायेदारों को देने जा रहे हैं, इनको ज्यादा लाभ होने की सम्भावना है । अगर यह रुपया इंडस्ट्रीज लगाने के लिये दिया जाता तो हम उसको स्वीकार करते और बिल का स्वागत करते ।

चौधरी हर स्वरूप बूरा : चेयरमैन साहब, हाउस की सैस को देखते हुए अगर मन्त्री महोदय इस क्लाज को डिलीट कर दें तो मामला हल हो सकता है ।

श्री लछमन सिंह : आन र प्वायंट ऑफ आर्डर । मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस बात कौ मान लें क्योकि सारा हाउस चाहता है । लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं चाहते जिम से हमारी पार्टी बदनाम हो । मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इसको मान लें ।

Mr. Chairman : That does not make a point of order.

श्रीमती शान्ति देवी : जैसे कि हमारे सामने मसला था कि ओलावृष्टि ने सारी फसलों को नष्ट कर दिया । इस पर गबन, भैंट ने तकावी दी और वह 3 परसैंट ब्याज पर दी गई लेकिन इसके दू सरी तरफ बड़े बड़े सरमायेदारो को जो लोन इस बिल कें–द्वारा दे रहे है, उस में बिल्कुल छूट क्यों? मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि यह सब क्या है? देखिए, इम बिल के जरिए कर्जा टैक्स देने वालों को दिया जा रहा है और वह भी बगैर सुद के, ऐसा क्यों है? वधवा साहब ने कहा कि यह बिल पहले से ही आया हुआ है । यदि पहले से था तो हमारी जनता सरकार इसको कंडैम करती और हम इसका स्वागत करते । मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि सदन की भावना को देखते हुए सरकार इस को वापिस ले लेगी ।

चौधरी गया लाल (हसनपुर–अनुसूचित –जाति) : चेयरमैन साहब, इस बिल के बारे में मन्त्री महोदय ने बताया कि जिला इंडस्ट्रीज ऑफिसर को जो पांच हजार का लोन देने के अख्तियार थे, वह अब 10 हजार रुपये तक बढाने की बात है । यह अच्छी बात है । लेकिन मैं भी जिला इंडस्ट्रीज कमेटी का मैम्बर हूं । वहां मैंने देखा कि लोगों को बड़ी तकलीफ होती है । गुड़गांव जिलों काफी बड़ा जिला है और उसके पास केवल 60–70 हजार रुपया था । इसलिए मेरा ख्याल है कि इस अख्तियार को बढ़ाने से कोई लाभ नही होगा जब तक छोटे उद्योगों को छोटे लोगों के लिए इसमें पैसा न रखा जाए । (शोर) चेयरमैन

साहब, शोर के कारण हाउस में. कोई बात सुनाई नहीं दे रही है इसलिए जरा शांति का वातावरण कायम किया जाए ।

Chairman : Order please.

चौधरी गया लाल : चेयर मैन साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन मंत्री जी ने रखा है, इसके द्वारा यह होना चाहिए कि वह कमेटी जो है वह भी इस पांच हजार की बजाय दस हजार तक का लोन डिस्ट्रिक्ट के लिए या दूसरी जगहो के लिए देने का अख्तियार ले सकती है । एक आदमी के हाथ में यह अरिक्त– यार न दिया जाए । मैं इसके समर्थन में नहीं हूं । चेयरमैन साहब, नेता लोग लच्छेदार शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कहते हैं कि हरिजनों को, छोटे दस्त– कारों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, उद्योग धन्धों को पैसा देना है लेकिन यह बिलकुल गलत बात है । छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दस्तकार लोगों के लिए आज तक न पहली सरकार ने सोचा और न यह सरकार सोचने जा रही है । तो मैं मंत्री साहब से यह कहूंगा कि खाली बात कहने से बात नहीं बनेगी । चेयरमैन साहब, अभी थोड़ी देर पहले मोम की बात यहां हुई थी । कहा गया कि 6 0–7 0 फैक्टरी वालों को कोटा दिया गया लेकिन जब हाउस में यह पूछा गया कि हरिजनों को कितना दिया गया तो इसका कोई. जवाब नहीं दिया गया । इसी तरीके से इस बारे में भी हरिजनों के प्रति, गरीबों के प्रति और बैकवर्ड लोगों के प्रति कोई ख्याल

नहीं है । तो मैं कहूंगा कि यह जो बिल है इसको पार्टी मीटिंग में रखा जाए और इस वक्त इसको विदड्रा कर लिया जाए ।

चौधरी गंगा राम (गोहाना) : चेयरमैन साहब, दरअसल हमारी जनता पार्टी का प्रोग्राम यह था कि पावर की कंसैन्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए बल्कि डीसैन्डेरलाईजेशन होनी चाहिए इस तरह से यदि एक व्यक्ति के हाथ में या एक आफिसर के हाथ में इतनी बड़ी पावर दे दें कि वह चाहे जिसको इंटैंरस्ट फ्री पैसा दे दे तो यह वैसे भी हमारी पार्टी के संविधान के खिलाफ है । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो संशोधन लाया गया है यह ठीक नहीं है । पहले एक बोर्ड बना हुआ था और बोर्ड के पास यह पावर थी । वह कंसिडर करता था कि किस व्यक्ति को बिना ब्याज का पैसा दिया जाए । बोर्ड सारे मैरिट्स और डिमैरिट्स की कंसिडेरशन करता था । वह यह देखता था कि जो गरीब व्यक्ति इंटैरस्ट के साथ लोन नही ले सकता उसको इन्टैरस्ट की लोन दिया जाए । एक व्यक्ति के हाथ में पावर देने से तो भाई भतीजावाद चलेगा, कुनबापरस्ती चलेगी, भ्रष्टाचार फैलेगा और अपने आदमियों को औबलाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाएगा । इससे सारी पार्टी बदनाम होगी । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो संशोधन है इसको वापस लिया जाना चाहिए और बोर्ड के पास जो अख्तियार थे वे बोर्ड के पास ही रहने चाहिएं । चेयरमैन साहब, अभी मोम की बात यहां चली । मुझे पता है कि आज हरियाणा के अन्दर केवल उन व्यक्तियों को कोटा दिया जाता है,

केवल उन व्यक्तियों को कर्जा दिया जाता है, जो कुर्सियों को औबलाइज करते हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि देहात में इटैरस्ट फी लोन नहीं दिया जाता, देहात के किसी आदमी को कोई कोटा नही दिया जाता, देहात के किसी आदमी को इंडस्ट्री का कोई परमिट नहीं दिया जाता । तो चेयरमैन साहब, मैं यह गुजारिश करूंगा कि यह जो बिल है यह देहात के लोगों के बिल्कुल खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और मैं तो यह कहूंगा कि यदि इस बिल को काला बिल कहा जाए तो और भी अच्छा होगा । इसलिए में यह कहूंगा कि यह बिल वापस ले लिया जाए ।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए ।)

Mr. Chairman : Mr. Baldev Tayai. He will be the last Speaker. After that the Minister will reply.

चौधरी उदय सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, आपके होते हुए भी अगर अरमान दिल में ही रह गए तो माडी बात है । (हंसी)

श्री बलदेव तायल (हांसी) : चौयरमैन साहब, मुझे इस बिल की फर्स्ट क्लाज के बारे में कोई खास बात नहीं कहनी है । मैं आदरणीय सदस्यों का ध्यान केवल एक बात की ओर आकर्षित करूंगा कि टैक्स की अदायगी करना एक नागरिक का कर्त्तव्य है । टैक्स धनी व्यक्तियों पर लगता है, जो गरीबों की भलाई पर खर्च होता 30 । यह पहली बार देखने में आया है कि एक सरकार

का टैक्स दूसरी सरकार के खजाने में से निकाल कर दिया जाए । इसका मतलब यह है 'कि हरियाणा सैन्ट्रल सैल्ज टैक्स अपनी जेब से दे रहा है । इनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वहू एक तरह से रीमूव हो चुकी है । मैं एक बात की ओर सरकार का विशेषकर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप यह सहूलियत भी प्रदान करना चाहते हैं तो इसमें इंट्रैस्ट कम से कम 24 परसैन्ट होना चाहिए ताकि जो टैक्स की अदायगी नहीं करता कुए उसको यह पता लगे कि टैक्स देना है । If he is keeping some tax in his pocket then he should realise ताकि उसको यह महसूस हो कि उसको पीनल रेट आफ इंट्रैस्ट देना पड़ रहा है । मेरी यह गुजारिश भी है कि अगर इस तरह टैक्स अदा करने की सहूलियत प्रदान की गई तो शायद हरियाणा गवर्नमैंट को यह लैजिस्लेशन भी पास करना पड़े कि हरियाणा में जो सैल्ज टैक्स, व्यापारी अदा करता है उस पर भी इटैरस्ट फ्री लोन लिया जा सकता है और वह भी सरकार अदा करेगी । इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ से सरकार कर्जा देगी और द्सरी तरफ से सरकार उसका टैक्स देगी । चेयरमैन साहब, हमारे बजट को निकले हुए अमी कोई खास दिन नहीं हुए । उस बजट के अन्दर तीस करोड़ रुपये का डैफिसिट है । बजाये इसके कि उस डैफिसिट को कम करने की चेष्टा की जाए हम इस प्रकार के कर्जे देकर इफलेशन को बढ़ावा रेंगे उस डैफिसिट को बढ़ावा देंगे और स्टेट पर बर्डन भी ज्यादा होगा । मैं एक बात की ओर हाउस की तवज्जुह दिला0गा कि बजट के अन्दर 21 करोड़ रुपये पिछले साल से ज्यादा इसमें रखे

गए हैं । यह किस लिए? नॉन–डिवैल्पमैंट आइटम्ज के लिए । इसके अन्दर तकरीबन 11 करोड़ रुपये इंटेरस्ट पोरवल है । मैं यह नहीं कहना कि इसमें कोई गलती है । हमारे पर जो कर्जा है उसका हमें इटैरस्ट–पे करना ही करन हए । लेकिन हमारे इस लैजिस्लेशन से उस इंटेरस्ट के अन्दर अगले सारन और इजाफा होने का अन्देशा है । इस वजह से मैं मंत्री महोदय से दरखास्त करूंगा कि सैन्ट्ल सैल्ज टैक्स वाली क्लाज को वे कृपया विदड्रा कर ले ।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए ।)

श्री सभापति : डाक्टर साहब अब जवाब देगे (शोर)

श्री हीरा नन्द आर्य : चेयरमैन साहब, मैं यह समझता हूं.. (विघ्न)

कामरेड शंकर लाल : चेयरमैन साहब । मैं तो मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि ये इस बिल को वापस ले लें । (शोर)

श्री हीरा नन्द आर्य : चेयरमैन साहब, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि –

जिसने भी गलत बात पर की है जिद्द,

उसकी हमेशा पिटती आई है मिद्द । (शोर)

चौधरी भजन लाल : चेयरमैन साहब, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं । (शोर)

श्री सभापति : सारी बातें आ चुकी हैं । (शोर)

चौधरी संत कंवर : चेयरमैन साहब, इस बिल पर ज्यादा लोगों को बोलने का मौका दिया जाए । (शोर)

Mr, Chairman : Mr. Sant Kanwar, you have already spoken twice on this Bill. Please take your seat .

चौधरी भजन लाल : चेयरमैन साहब, मैं कोई ऐसी वैसी बात नही कहना चाहता । मैं तो सिर्फ सरकार को सुझाव देना चाहता हूं । इसलिए मैं आपसे केवल एक मिनट लेना चाहूंगा ।

श्री सभापति : काफी सूझाव आ चुके हैं । अब आप तशरीफ रखिए Let the Hon. Minister be heard now . (विघ्न एवं शोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : चेयरमैन साहब, (शोर)

उद्योग मंत्री : (डाक्टर मंगल सैन) चेयरमैन साहब, (शोर)

Mr. Chairman : Mr. Pohloo, please take your seat. Let the Hon. Minister reply.

डाक्टर मंगल सैन : चेयरमैन साहब, मैंने माननीय सदस्यों की बात बड़े गौर से सुनी हे । (विघ्न)

चौधरी संत कंवर : चेयरमैन साहब, यह सारी स्टेट के इंट्रैस्ट की बात है । (विघ्न)

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब । आन ए प्यायंट आफ आर्डर । चेयरमैन साहब, मेरी यह गुजारिश हे कि हाउस इस बिल पर बोलने के लिए बड़ा उतावला है इसलिए हरेक को एक एक मिनट अपनी राय बताने के लिए दे दिया जाए ।

That is all.

Mr. Chairman : I have already called upon the Hon. Minister. Please hear his reply now.

12. 00 बजे

डा0 मंगल सैन : चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप इतने अधीर न हों । आप लोगो ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैंने उनको बड़ी शान्ति के साथ सुना है और बैठा बैठा मैं मनन भी करता रहा हूं कि आपकी भावनाएं कितनी गहरी हैं । आपकी शंका दूर होनी चाहिए । हम आज इनको लोन देने का बन्दोबस्त नहीं करवा रहे हैं (विघ्न) मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि मैंने उनकी बातों को बड़ी शान्ति से सुना है तो कृपया वे मेरी बात को भी शान्ति से सुनें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में यह बात आई कि कुछ लोगों को कर्जा बिना व्याज के दिया जाता है और देहात वालों को बिल्कुल नहीं दिया जाता । एक भाई तो यह भी कहने लगे कि

हरिजनों को न तो पिछली सरकार ने कु छ दिया और न ही यह सरकार दे रही है । मैं सम झता हूं कि यह बड़ा वाईल्ड एलीगेशन है । मेरे माननीय सदस्य को सोच समझ कर बोलना चाहिए था । जनता पार्टी की सरकार को बने हुए केवल आठ–नौ महीने हुए हैं । हमने देहांत के पढ़े लिखे, हरिजनों और बैकवर्ड भाइयों को 110 यूनिटसु के अन्दर शामिल किया है । हमने उनको एक करोड़ और दस लाख रुपये का कर्जा दिया है । ये कैसे कह सकते हैं कि इस सरकार ने कुछ नही किया । मैं समझता हूं कि यह तो एक रौ चल पड़ी थी और उस रौ के अन्दर ये सब बातें कही गई हें ।

Chaudhri Sant Kanwar : On a Point of order, Sir,

Mr. Chairman : If there is any serious thing only then you will have your say. Let the Hon. Minister speak.

डा0 मंगल सैन : चेयरमैन साहब यहां पर यह कहा गया है कि बोर्ड आफ इन्डस्ट्री का क्या फायदा है? ये कहते हैं कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं । बोर्ड आफ इन्डस्ट्री को पचास हजार रुपये तक का कर्जा देने का अधिकार है । डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री आफिसर को पांच से दस हजार रुपये तक कर्जा देने का अधिकार है । अभी पिछले दिनों हमने 17 तारीख को 15 लाख रुपये लोगों में बांटे हैं । ये भाई कहते हैं कि बोर्ड आफ इन्डस्ट्री की उपयोग ही नहीं है । मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि बोर्ड को अमी पूरी पावर हैं । यहां पर यह कहा गया है कि जनता

पार्टी ने कहा था कि पावर्ज को डी–सेन्ट्रेलाइज करेगे । हम डी–सेन्ट्रेलाइज कर रहे हैं । जो डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री आफिसर पांच हजार रुपये तक कर्जा दे सकता था । उसको हमने पावर्ज दी हैं कि दस हजार तक दे सकता है । पहले दस हजार रुपये लोन लेने के लिए लोगों को चण्डीगढ आना पड़ता था लेकिन हमने पावर्ज को डी–सेन्टूएलाइज किया है ताकि वह डिस्ट्रिक्ट हैड–क्वार्टर पर ही ले लें ।

दूसरी बात यहां पर इन्टैरस्ट–फ्री लोन की बात की है । यह इन्टूऐस्ट–फ्री लोन की बात हमने नहीं की है, यह तो सन 197 ं से चली आ रही है । आप जो बातें कहते है मैं उसके साथ सहमत हूं, यह नही होना चाहिए लेकिन पहले से ही कानून बना हुआ है । मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह एग्जेक्टिव आर्डरज के जरिए था लेकिन अब सदन को भरोसा होना चाहिए कि मैं आपके सैटीमेटस को आगर करता हूं । हम विचार कर लेंगे । मै टैक्सेशन मिनिस्टर साहब से भी बात कर लू 'गा और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी बात कर लू गा । यह बिल तो फार्मेलिटी है । इस पर विचार कर लेंगे । यह बिल तो केवल फार्मेलिटी के रूप में है ।

चेयरमैन साहब, कुछ लोग समझते हैं कि गर्म पानी फेंक कर किसी के मकान को गिरा लेंगे । एक भाई यहां पर कह रहे हैं कि सरमायदारों को पैसा दिया है । इनको लज्जा आनी चाहिए । अपने आप को यहां पर इनडिपैन्डेन्ट कहते हैं और गाड़ी

लेकर इलेक्शन में घूमते हैं और कांग्रेस (आई) का समर्थन करते हैं । उन्होंने नतीजा देख लिया । जनता ने चारों शाने चित्त मारा । यह पैसा लेने का काम आपकी पार्टी करती होगी । हमारी पार्टी को जनता ने वोट भी दिए हैं और नोट भी दिए है ।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप विश्वास रखें । लीडरशिप में भरोसा रखें । हम पूंजीपतियों का साथ देने वाले नहीं है । यह बड़ा सिम्पल सा बिल है । यह तो केवल फार्मेलिटी है । इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाये ।

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab State Aid to Industries (Haryana) Amendment) Bill be passed.

The motion was carried

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : इस पर वोटिंग होनी चाहिए ।

श्री सभापति : वोटिंग करने का कोई फायदा नहीं है । मैंने आवाजें सुन ली हैं ।

The motion has been carried

दि पंजाब को–आप्रेटिव सोसाइटीज (हरियाणा अमैडमैन्ट) बिल, 1978

Irrigation & Power Minister (Shri Verendar Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Co—operative Societies (Haryana Amendment) Bill, 1978.

I also beg to move—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

इस बिल को लाने की आवश्यकता इसलिए पैदा हुई कि कुछ सोसाइटियां अमलगामेट की गई थी और जितनी वैकेन्सीज आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं उसके प्रोपोशन्ज में जोन कम हैं । सरकार के नोटिस में यह बात भी आयी कि कुछ सोसाइ– टीज नोमिनेटिड हैं कु छ सोसाइटीज इलैक्टिड है और कुछ सोसाइटीज पर एडमिनि– स्ट्रेटर्ज मुकर्रर किये गये हैं । इस सारी चीज में हामोजैनिटी लाने के लिये यह महसूस किया गया कि सब सोसाइटियो को नये सिरे से इलैक्शन कराये जायें । यह भी सरकार ने महसूस किया कि जहां तक मिल्क को–आप्रेटिव सोसाइटीज का ताल्लुक एह, उनके फंकशन्ज इस प्रकार से है कि डे–टू–डे वर्क उनका चलता है । यह भी महसूस किया गया कि बाई लाज में के प्रोवीजन है मिल्क कोआप्रेटिव सोसाइटीज के, वह एक्ट से कन्ट्राडिक्टरी है । यानी बाई लाज एक्ट का मन्शा पूरा नही करते । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों

को ठीक करने की गर्ज से सदन के सामने सरकार यह बिल लायी' है ।

Mr. Chairman : Motion moved-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once."

श्री मूलचन्द जैन (सम्भालखा) : चेयरमैन साहब, इस बिल के बारे में मैं कुछ आब्जर्वेशन इस सदन के सामने रखना चाहता हूं । इस बिल में पहली बार यह सरकार अधिकार ले रही है । इस बिल के क्लाज 2 सैक्शन के पार्ट ' 'सी'' में यह कहा गया है

"Where the Government is satisfied that the election of members of the committee of the cooperative society has not been held, or cannot be held, in accordance-with the provisions of this Act, or the rules made there under, or the bye-laws of the society, it may, for the reasons to be recorded in writing, order fresh election."

यह प्रोवीजन इस बिल की क्लाज 2 के पार्ट ''सी'' में दिया हुआ है । यह जो सरकार अधिकार ले रही है इसके मायने यह हैं कि अगर किसी को–आप्रेटिव सोसाइटी के इलैक्शन हो गये और उसके बाद सरकार के नोटिस में यह बात आयी कि वह इलैक्शन ठीक नही हुआ, तो वह इलैक्शन ट्रिब्यूनल में जाने की बजाये जिसके हक में इलैक्शन हुआ है, उसका सुने बगैर, उस इलैक्शन को मन्सूख कर दे और वहाँ पर नये इलैक्शन कराने के

लिए आर्डर दे । चेयरमैन साहब, इस किस्म का अधिकार तो रिप्रेजैन्टेशन आफ पीपल्ज एक्ट में भी नही है और न ही और किसी कानून में है । अगर कोई इलैक्शन ग्राम पंचायत का होता है तो उसमें सरकार को यह पावर नहीं है कि सरकार उसको मन्सूख कर दे । ग्राम पंचायत चुनाव में भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो इलैक्शन के बारे में बाकायदा एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें दोनों पार्टियों की सुनवाई होती है । एक पार्टी इलैक्शन पैटीशन करती है बोर दूसरी पार्टी उसको डिफैन्ड करती है । उसमें बाकायदा एवीडैन्स होती है, इस तरह से एक चौनल बना हुआ है । लेकिन उस चौनल में जाना तो दूर रहा, अगर उसको नोटिस भी देना जरूरी न समझा जाये तो यह तो बहुत गलत बात होगी । यह प्रोवीजन अगर कर दिया गया तो सिविल रिट में यह एक्ट हाई कोर्ट में जब जायेगा तो वह इसे नाजायज और इल्लीगल करार दे दिया जायेगा क्योकि कि आपको शायद पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रूलिंग दे दी हु ई है कि किसी पार्टी के खिलाफ अगर आप कोई रिक्शन लें और पहले उसको नोटिस न दें तो वह इल्लीगल हो जाता है । यह ब्लैकिट पावर है जो आज प्रजातन्त्र के जमाने में किसी को भी नही मिलनी चाहिए । इसमें इन्होंने यह किया हे कि किसी इलैक्शन को मन्सूख करने के लिए किसी एक आदमी से शिकायत करा कर उसमें रीजन्ज लिखकर आर्डर कर देंगे कि वह इलैक्शन मन्सूख कर दिया । मैं इस प्रोवीजन का सख्त विरोध करता हूं चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं ए क. और सैक्शन जो नया इन्ट्रोडयूस किया गया है ।

उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । इस एक्ट में तरमीम करने का सरकार का जो मन्शा है मैं उसका तो स्वागत करता हूं । मैं यह मानता हूं कि को–आप्रेटिव सोसाइ– टीज में बड़ी गडबड है । कई माननीय सदस्य यहाँ पर इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि को–आप्रेटिव सोसाइटीज में धांधलियां हें । एक दफा तो राव बीरेन्द्र सिंह जी ने यहां तक कह दिया था कि यह को–आप्रेटिव सोसाईटीज नही यह तो कुरप्शन सोसाइटीज हैं । मैं यह समझता हं कि हमारे मनी महोदय कों–आप्रेटिव सोसाइटीज में जो कुरप्शन है उसको दूर करना चाहते हैं । लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह काम नियमानुसार या विधान के अनुसार तो करो, अगर आप ऐसा करेगे तो हम उसकी समर्थन करेंगे । जो '' 26 एए' ' नयी धारा इन्ट्रोडयूस कर रहे हैं, उसके द्वारा सरकार बुलैकिट पा वर ले रही है कि जितनी भी को–आप्रेटिव सोसाइटीज हैं, वह तमाम की तमाम खत्म हो जायेंगी । आप जानते हैं कि इस वक्त जो यह पावर ले रहें हैं उसके अनुसार एड मिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होंगे और वह एक्य साल तक कों–आपे टिव सोसाइटीज' को चलायेंगे । पहले सै इस एक्ट में धारा 27 है । उस धारा 27 में यह प्रोवीजन कि अगर कोई को–आप्रेटिव सोसाइटी गड़बड़ करती है, तो रजिस्ट्रार को यह पावर है और अनइस्सटैन्ट रजिस्ट्रार को भी यह पावर है क्योंकि रजिस्ट्रार के मायने इसमें अस्सिटैन्ट रजिस्ट्रार भी दिये. हुए हैं, कि वह उसको खत्म कर दे और दोबारा इलैक्शन करवा दे । मेरा कहने का मतलब यह है कि इस धारा के अनुसार गवर्नमैंट को पहले ही यह अधिकार है कि वह

किसी भी सोसाइटी को खत्म कर सकती है और उसमें दो बारा इलैक्शन करवा सकती है । यह ब्लैकिट पावर सरकार अब लेना चाह रही है कि हजारों सोसाइटीज जो हैं, उनको' एकदम से सुपरसीड करके अपने अधिकार में ले रही है । एक चीज और कह कर मैं बैठ जा0ंगा । यह जो धारा ' 67—ए, । में संशोधन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है । चेयरमैन साहब, को—आप्रेटिव सोसाइटीज हमारे किसान भाईयो को टैरक्टर के लिए, ट्यूबवैल लगाने के लिए या किसी दूसरे काम के लिए कर्जा देती हैं । पिछली काये स सरकार के जमाने में यह संशोधन हुआ' था कि उस कर्जे को माल गुजारी के तौर पर व सूल किया जाए अगर किसान उस को समय पर नहीं दे स कता । जब वह कानून हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने उस पर यह कहा कि जो कों—आबे टिव सोसाईटीज फसलों के लिए कर्जा देती हैं, वह फसलों का कर्जा अगर मियाद गुजरने के व वसूल न हो तो वह मालगुजारी के तौर कर वसूल हो सकता है लेकिन किसी और किस्म का कोई कर्जा अन्यार कोई है तो वह मालगुजारी के तौर पर वसूल नहीं हो सकता । हमारी सरकार क्या कर रही है । जो बाकी किसी किस्म का कर्जा है हमारी सरकार उसको भी मालगुजारी के तौर पर वसूल करना चाहे रही है । एक तरफ तो अमीर आदमी है जो अपना सेल्ज टैक्स या सैट्रंल सेल्ज टैक्स या किसी भी किस्म का टैक्स नहीं दे पाता तो उसको कर्जा देना चाहती है वह भी बगैर सूद के दे रही है । आपको पता ही है कि दुकानदार जब माल बेचता है तो वह उर्स पर टैक्स वसूल कर लेता है । बगेर टैक्स व दून किवे वह मा ल

बेचता हीं नही है । हमारी सरकार ने अमी– अभी एक कानून पास कराया है कि एक कारखानेदार ने जितना टैक्स सरकार को देना है, वह इस सरकार से कर्ज के तौर पर बगैर सूद के ले सकता है द् सरी तरफ हालत यह है कि हमारे किसान भाई, भोले –भाले भाई ट्यूबवेल के लिए कर्जा ले लें । टैरक्टर के लिए ले लें या खाद के लिये ले ले या दूसरी किसी भी किसम की तकावी ले लें । किसी दूसरी बात के लिये कर्जा ले लें और अगर वह उसे वक्त पर वापस न दे क्तके तो हमारी सरकार उसे माल गुजारी के तौर पर वसूल करेगी । मुझे पता है कि इस से किसान कितना परेशान है । रोहतक में जब मैं जेल में था तो मैंने वहां पर बहुत से किसान ऐसे देखे जो इस वजह से सिर्फ जेल में पड़े थे कि उन्हेंने वक्त पर पैसा नही दिया और न ही वह दे सकते थे । मैं इस तरह से मालगुजारी के तौर पर वसूली किए जाने के बिल्कुल खिलाफ हूं । मैंने तीन–चार प्वायंट्स इस कानून के बारे मेरेज किए हैं । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों की ओर जरूर ध्यान देंगे और इन बातों की रोशनी में बिल में' पं शोधन करेंगे ।

राव दलीप सिंह (महेन्दरगढ): चेयरमैन साहब, आज जो बिल हाउस के सामने आ रहा है अगर आप इस बिल को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि सरकार ब्लेंकिट पावर्ज ले रही है और बाबू मू ल चन्द जी ने भी यही कहा है कि सरकार बलेकिट पावर्ज अपने हाथ में ले रही है । आप देखेंगे कि क्लाज 2 (सी) के बाद एक नया

सैक्शन जोड़ कर ऐसी पावर्ज सरकार अपने हाथ में ले रही है जिसकी अपील भी लाई नही करती । इसके अनुसार सरकार एक ऐप्लीकेशन ले लेगी कि इलेक्शन ठीक नही हुआ और उसी के बेसिज पर दुबारा इलेक्शन हो जाएगा । मेरा कहना यह है कि कोई ग्राउडंज स्पेसीफाई किए जाने चाहिए कि दु बारा इलेक्शन किस ग्राउन्ड पर होना चाहिए । एक्ट में ऐसे ग्राउन्ड स्पेसिफाई करने चाहिए जिनके आधार पर दुबारा इलेक्शन हो सकते हैं । जो तन को हों याय ऐसे केसिज हों कि जोन कम हैं और कैडीडेट्स ज्यादा हैं, इस तरह के कोसे न एक्ट में से सी वर्च किए जाने चाहिएं । कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट में आर्बीटेरशन की पावर रजिस्ट्रार के बाद गवर्नमैंट में फाईनल अपील लाई करती है लेकिन यह कहते हैं कि कोई भी ऐप्लीकेशन आ जाए और चाहे चुनाव आज हुआ है और उस ऐप्लीकेशन में यह हो कि कमेटी का चुनाव एक्ट के अनुसार नहीं हुआ है तो चुनाव फिर हो जाएगा । चेयरमैन साहब, अमरजेन्सी में भी इतनी पावर्ज नहीं थी । मैं तो यह कहता हूं कोआप्रेटिव सोसायटीज के बारे में, It is more than emergency. रोहतक के बैक का चुनाव अभी हुक हफ्ता पहले हुआ है । नारनौल, कनीना में अभी पन्द्रह दिन पहले चुनाव हुए हैं । उन आदमियों ने पैसा खर्च किया है । कम से कम अगर ये चाहते तो चुनाव स्टे भी हो सकते थे । कह सकते थे कि चुनाव बाद मे होंगे, बिल आ रहा है । उन लोगों का पैसा भी खर्च करा दिया और आज कहते हैं कि चुनाव दुबारा कराए जा सकते हैं । अगर आपने ऐसा बिल लाना था तो आप उन सोसायटियों के चुनाव को

पोस्टपोन करते ताकि उन्होंने जो इलेक्शन में दस हजार या बीस हजार रुपया खर्व किया है वह बच जाता । चेयरमैन साहब, अगर आप आब जेक्ट्स एंड रीजन्ज पढेंगे तो उसमें दिया है ।

"With a view to bringing uniformity in the constitution of the managing co comittees of cooperative societies, it is proposed to order fresh elections wherever government is satisfied that the elections of the members of the managing committee cannot be held in accordance with the provisions of this Act.".

इस में यह नहीं कि सरकार सारी सोसायटियों को खत्म कर रही है । चेयरमैन साहब, मैं आपकी मारफत यह कहना चाहूंगा कि सरकार जो अपने पास इतनी पावर्क ले रही है वह ठीक नहीं है । 12 हजार सोसायटीज हैं, आप कितने एडमिनिस्ट्रेटर्ज लगाएंगे । क्या आप प्राईवेट आदमियों को लगाएंगे और इलेक्टिड आदमि–यों को हटाएंगे । इतनी आर्बीट्रेरी पावर्ज किसी– सरकार को नही दी गई जो यह सरकार इस विधेयक के द्वारा लेने जा रही है जनता पार्टी ने वादा किया था कि जनता सरकार जमहूरियत के तरीके से काम करेगी लेकिन यह सरकार जमहूरियत पर कुल्हाडा चला रही है । डायर ने जिस तरीके से आंख बन्द करके गोली चलाई थी उसी तरीके से यह सरकार करने जा रही है । अगर आप समझते हैं कि कोई कमेटी खराब है तो धारा 27 में सारी पावर्ज दी हुई हैं । अगर कोई सोसायटी ठीक काम नहीं करती, किसी सोसायटी का मैम्बर कम ठीक नहीं

करता, अगर कोई कमेटी सोसायटी के इन्टैरस्ट के खिलाफ काम करती है तो रजिस्ट्रार उस कने टी' को सुपरसीड कर सकता है । आप उस कमेटी को सुपरसीड कर सकते हैं जो ठीक काम नही कर रही है । आपके पास पावर्ज हैं । मगर आप गल्त तरीके से सुपरसीड कर रहे हैं और उसकी अपील भी नहीं है । अन्त में मेरा यही कहना है कि इतनी पावर्ज लेना जनता सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़) : चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं

श्री सभापति : चौधरी लाल सिंह जी, आप किस क्लाज पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : मुझे हर चीज का पता है, मैं हर चीज को जानता हूं । (व्यवधान) । चेयरमैन साहब, मेरा मतलब क्लाज से नही, बिल से है । इस बिल का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि मैं इस बिल की इन्तजार में था । चेयरमैन साहब, दस कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट में इतनी ज्यादा धाधली है । शायद उतनी किसी और डिपार्टमेंट में नहीं होगी । मुझे अम्बाला का पता है क्योंकि हर आ दमा अपने घर के बा रें में ज्यादा अच्छी तरह से जानता है । इस डिपार्टमैंट पर दो खानदानों ने कब्जा कर रखा है, मैं उनके नाम नही लेता । इस डिपार्टमैंट का बजट साढे 12 करोड़ रुपए का है । कानून में यह बात है कि छह महीने में

पिछला कर्जा वा पिस दे दो और नया कर्जा ले लो लेकिन होता यह रहा है कि पहले वाला लिया नही जाता और दुबारा फिर दे दिया जाता है । हमारे यहां इस डिपार्टमैंट मैं 15 लाख का गबन है । एफ 0आ ई0आर 0 दर्ज है, मेरे पास था ने के नम्बर नोट हैं लेकिन कुछ नही हो रहा है । पहले वा ला कर्जा वापिस नहीं कर रहे हैं और अब भी नया कर्जा ले रहे हैं (व्यवधा न) मैं तो जनता की बात कहूंगा और जो कमियां हैं वह बताऊगा । जिस तरह का घपला इस डिपार्टमैंट में है उतना कहीं नहीं । इस किस्म का अन्धेर तो मैंने कही नही देखा आज यह सब से बड़ा डिपार्टमैंट बना हुआ है । बिना एम्पलाएमैंट एक्सचेंज के । बिना किसी एस0एस0 बोर्ड के अपने आप ही पांच सौ रुपया का इंस्पेक्टर लगा लेते हैं । मैं कहता हूं इसमें बड़ा भारी काड है । चेयरमैन साहब. हमारे खानदान में से कोई मै प्यर नहीं बना और न ही किसी ने इम डिपार्ट मैट से कर्जा लिया है । चेयरमैन साहब. एमरजेन्सी के अन्दर हमको तो जेलों के अन्दर बन्द कर दिया! (व्यवधान) पिछली सरकार के जुल्म तो मैं बता0ंगा ही और बाद में सोसायटीज के मिनी बैक बना दिये । नाम तो उनका मिनी बैंक है लेकिन एक एक बैंक दस दम लाख रुपए का है और उन मिनी बैंकों से कर्जा उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने कांग्रेसी एम0 एल 0 एज0 की धूप में बैठकर तेल की मालिश की. जो लोग उनकी चम्पी किया करते थे, उनकी खुशामद किया करते थे (व्यवधान) (हंसी) । जो लोग वास्तव में कर्जा लेने के हकदार थे उनको कभी कुछ नहीं दिया गया । हरिजनों के नाम से लोगों ने

कर्जा ले लिया । चौधरी वीरेन्द्र सिंह जो कि एक ईमानदार मिनिस्टर हैं. मैंने उनको हरिजनों की लाइनें की लाइनें दिखाई थीं और कहा था कि ये लोग इस महकमें से बहुत दुःखी हैं । मैंने बडी रिकवेस्ट की थी कि इस किस्म का बिल आए । इस बिल को लाने के लिए मैं मिनिस्टर महोदय को मुबारिकबाद देता हूं । इस विभाग में बडी हेराफे री है । हरिजन के नाम से कर्क लिया जा ता है और हरिजन बेचारे को पती नने, उसके झूठे दस्तखत कर लिए जाते हैं । पैसा वा पिस लेने के टाईम पर हरिजन को पकड़ा जाता है । चेयरमैन सा हब । इससे बड़ी और कोई अन्धेर गर्दी नही है । चेयरमैन साहब, गरीब आदमी चिल्ला ले हैं रोते हैं कि हमने तो लो न लिया नही, यूं ही हमारे अंगूठे लगवा लिये । इस तरह के अत्याचार पिछली सरकार करती थी और हरिजनों के नाम से वोट और नोट बनाती रही । मैं अपने लायक मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि इस सारे मइकमें की अब कब्जी तोड़ कर ही छोड़े ताकि पिछले जो वोट बने हुये हैं, उनका भी पता चल सके क्योंकि वे सारे के सांरे बोगस वोट्स हैं । चेयरमैन साहब, मैं आ पके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस महकमें की इन्क्वारी के लिये जल्दी ही एक फलाइंग स्कैड बना दिया जाए और इस विभाग के सारे केसों को एक कमरे में बन्द कर दिया जाए और फिर झा डु फेरकर दोबारा वोट बनाकर फिर चुनाव करवायें फिर तो किसी का भला होगा वरना नही ।

श्री सभापति : चौधरी लाल सिंह, आप बातों को दोबारा रिपीट न करें।

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, आप तो गरीबों के दयालु हैं कोई बात दो गरा कहनी पड़ती है क्योंकि जेल मेँ बंसीलाल ने दांत तोड़ रखे हैं (हंसी)

श्री सभापति : इस बिल में उनको लगवाने का इंतजाम नहीं है (हंसी)

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, मैं इसलिए कहता हूं कि शायद ह सकता है किसी की समझ में न आये.. आपको क्या बताo बोलते वक्त आतडियो में दर्द होता है ।

श्री सभापति : आप बोलते वक्त जरा उनका ध्यान रखें ।

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो इस महकमें को कतई खत्म कर दिया जाये और अगर इसको रखना है और इसका सही इस्तेमाल करवाना है तो इस का चुनाव नये सिरे से करवाया जाए, नये डायरैक्टर बने और लोगों को सही तरीके से कर्जा मिले, तब तो गरीब. आदमियों का. भला हा सकता है ।

श्री सभापति : चौधरी लाल सिंह जी, आप अपनी स्पीच खत्म कीजिये, दूसरे मैम्बर्ज ने भी बोलना है, अब आप आखिरी बात पर आ गये हैं....

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, आखिरी तो नहीं, अगर आप आखिरी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिये, आपकी मर्जी है । तो मैं आपसे कैहना चाहता था कि अभी कुछ दिन हमारे यहां इलेक्शन हुए और उसके बाद कुछ लोगों को अनअपोज बनाया गया । इसलिये मैं सरकार से आपके जरिये प्रार्यना करूंगा, खासकर अपने मन्त्री **श्री वीरेन्द्र सिंह :** जी से, कि वे अपने साथ आई0 ए 0 एस0 अफसरों को ऐसे लोगों की जोकि करप्ट हैं, छांटी करें उनकी कब्जी को तोड़ और जो कुरारूट डायरैक्टर हैं उसको डिसमिस कर दें । दोबारा इलैक्शन करवाया जाए और जो गरीब लोगों के पर अत्याचार हो रहा है, उसको रोके । गरीब लोगों ने जो पैसा ले रखा है उनसे यह पैंसा न लिया जाए और जिन्होंने पैसा खाया है केवल उन्हीं लोगों से पैसा वसूल किया जाए.....

श्री सभापति : चौधरी साहब, यह तो आप पहले भी कह चुके हैं आप कन? नूड कीजिये ।

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, हमारे यहां एक कालोनी है नारायणगढ में जोकि इसी विभाग की बनी हुई है ।

उसके अन्दर जो इंसपेक्टर बैठे हैं, वह 20– 20 सालों से वहां बैठे हुए हैं, वह उनका 'किराया नहीं दे रहे हैं.....

MR. Chairman : This is not relevant. Please take your seat.

चौधरी लाल सिंह : वहां पर एक आदमी है, छरू दफा तो उसको वहां से बदला गया है पर पता नहीं क्या कारण है, फिर वह वहीं पर आ जाता है, 20 साल से वहां पर बैठा हुआ है ।

श्री सभापति : ट्रांसफर का इस बिल में कोई जिकर नहीं है, आप मिनिस्टर साहिब के कमरे में जाकर ट्रान्सफर करवा आइये । इस एक्ट के लिए सुझाव दी जिये....

चौधरी लाल सिंह : मैं बोल रहा रहा हूं, आप छांट लीजिये कि क्या होना हैं क्या नहीं होना, यह आप का काम है ।

श्री सभापति : और मैम्बरों को भी कहने का मौका देना है, इस तरह से आप सारा टाईम नहीं ले सकते, आप जल्दी अपनी स्पीच खत्म कीजिये ।

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी । एक साथी मुझे इह रहे हैं कि बस अब धन्यवाद कर दो । इसके लिये मैं एक ही बात कहूंगा कि पहले जो इस महकमें के हक में रिवायात थीं, कायदे कानून थे, उन सब को बदल कर नये चुनाव कुरवाये जाएं ताकि गरीबों को फायदा हो सके और पिछले आदमी दुससे फायदा न उठा सकें. यह मेरी प्रार्थना है ।

सारे बोर्डो को तोड़ दो, सब का सफाया कर दो, तीन साल के लिये ईमानदार आदमियों की नोमीनैशन कर दो, तब तो इसमें सुधार आ सकता एह, मिनी बैकस को तोड़ कर उनकी जगह पर सोसयाटीज बना दी जाएं । इसके साथ सा थ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं ।

श्री जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सरकार आम जनता की वोट लेकर आयी है, उसने कहा था कि हम काँग्रेस सरकार के जुल्मों को ठीक करेंगे । चेयरमैन साहब, यह जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं था कि जनता पार्टी बनी, यह तो कांग्रेस का ही डिस–क्रेडिट था जिसकी वजह से यह जनता सरकार बनी । लेकिन आज अफ्सोस से कहना पड़ता है कि यह सारे के सारे एन्टी–जनता टैक्स आ. रहे हैं । कल यहां पर कहा गया कि जुडिशियरी ईमानदार है । जुडिशियरी की हम भी इज्जत करते हैं कि जुडिशियरी ईमानदार है लेकिन इसमें क्लाज 7 जो है, उसके बारे में **चौधरी वीरेन्द्र सिंह :** भी यह महसूस करेंगे किं यह बड़ी जालिम क्लाज है । आज हरियाणा ये 85 परसेन्ट हरिजन से लेंकर ब्राह्मणों तक, 36 बिरादरी' के गांव में लोग बसते है और अफसोस है कि सारे के सारे बदकिस्मती से कर्जे के नीचें जकड़े हुहु हैं । कई तरह के कर्जे उनके पर हैं, बै कों के कर्जे, कोआपरेटिव सोसायटीज के कर्ते हैं और उन पर बहुत भा री ब्याज लिया जाता है । पता नही उनको किस ढंग से अपनी इज्जत बचानी पड़ती है

और साथ कह दिया कि लै 'ड रेवेन्यु के तौर पर कर्जा वे0ल किया जाए । यह बिल अनकांस्टीट्यूशनल है और सारे का सारा ला कानूनी है सरकार के तीन आरगन्ज हैं, जिसमें लैजिस्लेचर है, सरकार है, अदालतें है इन में केस भेजे जाएं न कि अफसर अपनी मर्की करें और न ही वजीर और एम0 एल0 ए 0 अपनी मर्जी से जिसकी चाहें बेइजतीं कर दे और न ही उसके घर पुलिस भेज कर उसको गिरफतार किया जाए ये बातें नही होनी चाहिए । इत ना हेते हुये भी सरकार पूजीपतियों को लाखों रूपया देने जा रही है, उनके लिये खुली छुट्टी– है, कि मौज उडाओ, पांच हजार से 10 हजार तक का कर्जा दिया जा रहा है । मुझे उम्मीद है कि स्वर्गीय सर छोटूराम जी के कदमों पर चलते हुए, जिसका जन्म दिन हम हर साल मनाते हैं, उस महा न आत्मा को देखते हुए यह कहूंगा कि उनकी बताई सभी बातें इस बिल में लायी जाएं और सरकार का जितना कर्जा लोगों के पर है, वह आज से ही माफ किया जाए । इसलिये चेयरमैन साहब, मैं अपने भाई चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी जो कि मेंरें साथ जेल में इकट्ठे रहे हैं, वे कहते थे कि हम जनता का भला करौ लेकिन जितने भी यहां पर बिल ड़ग रहे हैं वे सारे के सारे जनता के खिला फ हैं प्रोकैपिटेलिस्ट आ रहे है । इन बिलों को खत्म करें और एक सिलेक्ट कमेटी बनाकर, सोच समझ कर अच्छे अच्छे कानून बनायें, न कि जनता के खिलाफ बनायें जो जनता सरकारी कर्जे में फंसी हुई है उनको ये गिरफतार कर जेलो में मत डालें अगर किसी से कर्जा वसूल करना है तो वे आहिस्ता आहिस्ता वसूल करे, लेकिन यह नही होना

चाहिये कि जेलों में डाल कर उनकी कुडकिया की जाएं । अगर कुड़की करनी भी है तो अदालत के हु क्म से ही उसकी कुड़की हो किसी अफसर की उसमें चौधर नही चाहिये, किसी– को नाजा बज तौर पर हवालात में रखकर उसकी जायदाद कुडुक नहीं करनी चाहिये । चेयरमैन साहब, यहा तक देखा गया है कि एक घर में शादी हो बी है, बेटी की शादी है, बरात आई होती है, वहां पर अफ सर छापा मार कर लोगों को जेल में डाल देते हैं । उस कानून को ये कहते है कि यह बड़ा अच्छा कानून है, इसलिए इस कानून को पास किया जाए । चेयरमैन साहब, मैं पुरजोर अल्फाज में इस बिल की मुखालफित करता हूं और मुझे आशा है कि जनता सरकार ऐसा नहीं करेगी । अगर कर्जा वसूल करना अँ तो अदालतों के जरिये से दीवानी नोटिस देकर वसूल किया जाए । चे यरमैन साहब एक तरफ तो आपने लोगों को लूटने के लिये खुली छूट दे रखी है और दूसरी तरफ लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, इसलिए मैं इस बिल की मुखालफित करता हू ।

चौधरी गंगा राम (गोहाना) : चेयरमैन साहब । इस विधेयक के अन्दर एक अमैंडमैंट यह भो आनी चाहिये थी, जैसे अभी बताया गया कि हरिजनों से और बैकवड' क्लास के भाइयों से बड़ी नाजायज तौर से लूट की जाती हैं बोगस अगूठे लगा कर और बोगस कार्य– वाही कर के, सोसाइटी का इंचार्ज, गरीब आदमियों के नाम से कर्जे ले जाता है । मैं यह चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर यह प्रोवीजन होनी चाहिये कि जो बोर्ड का

इलैक्शन होता है या मैनेजिंग कमेटी का इलैक्शन होता है, अगर चुनाव के जरिए उसमें कोई हरिजन या बैकवर्ड क्लास का भाई न आ सके तो उनका नौमिनेशन होना चाहिये जिससे कि वह गरीब भाइयों की नुमायदंगी कर सके । इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि गरीब किसान या देहात के मजदूर की सब से बड़ी बद–किस्मन्त्री यही है 'कि वह कोआप्रेटिव विभाग से कर्जा लेता है और उसका ब्याज 17 प्रतिशत है । कमाल है, कोआप्रेटिव सोसायटी हमारे सहारे से चलती है और वह हमारी भलाई के लिये बनाई गई है लेकिन उससे पैसा लेकर चाहे हमने मकान बनाना है, दुकान बनानी या ट्रैक्कर खरीदना है यौ मुर्गी पालन केन्द्र खोलना है, उस पर हमें 19 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है । तो मैं यह कहूंगा कि इसका जो इन्ट्रैस्ट का रेट है वह बहुत कम होना चाहिये । इसके अलावा आज जो रिकवरी की जाती है किसान से, मजदूर से, उसमें मैंने देखा है कि उनको 40 दिन तक तहसील या जिला हैडक्वार्टर पर बन्दी रखा जाता है । जो आदमी बन्द रखा जाता' है, उस दौरान जो उसका रोटी का, बीडी का या कपड़े का खर्चा होता वह उसी से लिया. जाता है, एक तरफ अगर कोई चोरी करके, डाका डाल कर या कत्ल कर के जेल में जाता है तो उसके खाने पी ने का सारा खर्चा सरकार देती है । लेकिन अगर किसान मजदूर को कर्जा वसूल करने की वजह से बन्द किया जाता है तो जितने दिन वह पुलिस रिमांड में रहता है, उतने दिनों का खाने पीने का खर्चा उसे खुद देना पड़ता है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि 40 दिन के रिमांड का जो खर्चा है वह सरकार

को बर्दाश्त करना चाहिये, न कि कर्जा लेने वाले को । इसके अलावा अभी कहा गया कि कर्जा जो दिया जाता है वह को–ओप्रे टिव महकमा के द्वारा दिया जाता है । यह बात बिल्कुल सच्ची है कि हरियाणा के अन्दर कोआप्रे टिव महकमा आज– सब से ज्यादा भ्रष्ट महकमा है । मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं कि एक किसान से एक हजार की किश्त लेनी है । इन्सैक्टर जाता है और उस दिन किसान के घर में लड़की का ब्याह होता है । इस्पैक्टर ब्याह वगैरह कुछ नहीं देखता, वह कहता है कि एक हजार की किश्त दो । वे करा 'किसान इन्स्पैक्टर को दो सौ रुपये देकर टाल देता है कि यह ले जा, दो महीने के बाद 'किश्त दे दू गा । ऐसे इन्स्पैक्टरों और मुलाजिमों की कोई एक्स्पलेनेशन करने वाला नहीं है । 'किसान को सब से ज्यादा लूटने वाला अगर कोई महकमा है तो वह कोआप्रेटिव महकमा है । अमी पीछे ओलों और फल्ड की वजह से हमारी सारी फसले मारी गई और सरकार की तरफ से यह एलान हुआ कि मालिया और दूसरे कर्ते की सारी रिकवरी सस्पैड की जाती है लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप किसी गांव के अन्दर जा कर देख लो कोआप्रेटिव बैक वाले, लैड मार्गेज बैक वाले आपको रिकवरी करते हुए नजर आएंगे । सरकार की तरफ से रिकवरी न करने की इंरट्रकशंज हैं लेकिन उनको कोई नही मानता । जब हमने पूछा कि सरकार की तरफ से तो रिकवरी न करने कीं इंस्ट्रकशन हैं तो कहने लगे कि हम छापे मारते हैं इसमें ही हमें कुछ मिल जाएगा । अगर कोई थोड़ा बहुत खिला– पिला देता है तो उनको तो छोड़ दे ते है और जो नहीं

खिलाता उसको नहीं छोड़ते । इसलिये अगर कोई इस तरह से लोगों को हरास करता है और लूटता है, उसके लिये कोई औनएटी होनी चाहिये । इसके अलावा जो कर्जा बैंक वाले किसान को पम्प खरीदने के लिये दे ते हैं उसके लिये भी कोई 'नियम होना चाहिये । अब क्या होता है कि बैक वालों ने दो चार दुकानदारों से सांठ गांठ की' होती है अं ओर वह कर्का लेने वाले को कह देते हैं कि फलां दुकान से राम। ले आओ और पैसे दे देंगे मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान को पूरी आज.। दी होनी चाहिये कि वह अपनी चीज जहां से मर्जी खरीदे । उसे छूट होनी चाहिये कि वह बीस पच्चीस दुकानों से पूछ कर, जहां से सस्ता मिले, वहां से ले । इस चीज में आज बहुत लूट हो रही है । इसके अलावा देहातों के अन्दर जो भी मिनी–बैंक्स कर्जे देते हैं, उनके बारे में सारे हरियाणा में शिकायत है कि उनमें वही पुराने व्यक्ति लगा रखे हैं जो कांग्रेस के राज में लगाये गये थे । मैं चाहता हूं कि उनकी स्क्रूटिनी होनी चाहिये, उनकी छान– बीन चाहिए । उस वक्त तो बोर्ड नामिनेट कर दिए गए थे और उन में ऐसे आदमी रखे गए थे जिनको कुछ भी नहीं आता था । मैं चाहता हू कि जो आदमी एफिशिएंट हो उसी को रखा जाए इसके साथ–साथ मैं यह बात फिर कहना चाहता हूं कि जो बोर्ड या मैनेजिंग कमेटी बन कर आए उसके अन्दर कोआप्शन का प्रोवीजन जरूर होना चाहिए ताकि हरिजनों का भी भला हो सके । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे समय दिया ।

ठाकुर बीर सिंह (भिवानी) : चेयरमैन साहब, हुन अमेंडमेंट्स पर काफी बहस हो चुकी है इसलिए मैं हाउस का ज्यादा समय इस डिस्कशन पर नही लू गा लेकिन जो रिकवरी का सिस्टम है कि एज ए लैड रैवेन्यू रिकवरी की जाए इसकी मैं भी मुखालफित करता हू क्योंकि इसकी रिकवरी जिस ढ ग से की जाती है उससे किसान को इन्साफ नहीं मिलता । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान एक अनपढ़ और भोला भाला इन्सान है । जिस तरह लैंडरेवेन्यू के तरीके से रिकवरी की जाती– है उसके बहुत से केसिज मेरे नोटिस में हें कि कई दफा उन लोगों को सफर करना पड़ता है जिन्होंने कर्जा नही लिया होता । मेरे एक माननीय सदस्य ने भी कहा है कि अंगूठा लगा लेते हैं और कर्जा उनके नाम पर लिख लेते हैं । कर्जा उन्हे दिया ही नहीं जाता लेकिन रिकवरी उनके नाम पर होती है । जप कर्जा लिया ही नही तो रिकवरी क्यों हो । चूकि रिकवरी लिखी हुई है इसलिए पैसा रिकवर करने के लिए उनको हवालात में बैठा दिया जाता है और पीछे उनके खानदान के पास यही चारा रह जाता है कि उनको हवालात से निकलवा कर लाया जाए । अगर निकल भी जाए फिर भी दोबारा हवालात में जाने का खतरा है । इसके बाद वह सिविल कोर्ट में जा सकता है और एक्सप्लेन करे लेकिन वह गरीब होने के 'नाते इस राईट को एग्जर्ट नहीं कर सकता । मैंने पहले ही अर्ज किया है कि वह भोला–भाला और अनपढ है । उसने पैसा लिया ही नहीं, लेने की शक्ति ही नही है, अगर लेने की शक्ति होती तो दे देता लेकिन जब लिया ही नहीं तो दे कहां से । मेरे

पास इस तरह के कई इन्सटांसिजू मौजूद हैं कि पास–वुक जारी कर दी गई, कर्जे की एन्टरी कर दी गई लेकि किसान से पैसा लेकर सरकारी खजाने में, बैक में जाकर जमा नहीं किया और उनके नाम पैसे आउट स्टैड करते हैं । मेरे पास एक डैपुटेशन आया था, जिनके साथ गड़बड हुर्द हए वे डैपुटेशन लेकर आये थे. उनके नाम मेरी जे ब में हैं । मेरे हलके का एक आदमी, ढानी सोमासडा का आदमी दो लाख रुपया गरीब लोगों का खा गया । वह आफिसरों को काबू करके दोबारा रुपया रिकवर करने की कोशिश करता है । मेरे पास आदमी आये हैं और उन्होंने कहा है कि आफिसरों के साथ सांठ गांठ करके उन्हें जेल में बन्द करवा दिया जायेगा । जैसे लाँग नसबन्दी करने वालों से डर कर भागते थे कि अगर नसबन्दी नहीं करवायेंगे तो हवालात में ले जाकर बन्द कर दिया जाएगा, वैसा ही डर इन लोगों के मन में है और वे डर कर भाग रहे हैं कि कहीं उनको जेल में बन्द न कर दिया जाए । जो लोग बोझ उठाते हैं, मजदूरी करते हैं, कर्जा तो इन्होंने लिया नहीं । वैसे तो मैं इस एक्ट का समर्थन करता हूं लेकिन सवाल इस बात का है कि जो रिकवरी का सिस्टम है, यह गलत हे । इन गरीब आदमियों पर रिकवरी रखनी ही नहीं चाहिए । अगर रखनी है तो उनको एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए । जिस आदमी के जिम्मे कर्जा लिखा हुआ है अगर वहू कहता है कि उसने कर्जा नहीं लिया तो इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए । इन्यवायरी के हिसाब से उसकी तरफ अगर रिकवरी निकलती है और वह देता नहीं फिर तो समझ में अनने वाली बात है, लेकिन जव लिया ही

नहीं तो वह क्या दे । भिवानी में एक आदमी श्री अजी सिंह के नाम पर 50 हजार रुपया लिख लिया गया और उस आदमी ने सोसायटी की शक्ल तक नहीं देखी, कभी पैसा लेने नहीं गया । उसकी आमदनी मुश्किल से 100 रुपया महीने से ज्यादा नहीं होगी तेकिन उसके नाम पर 50 हजार रुपया स्टैड करता है । उसको सारी उम्र कैद में रख दिया जाएगा तब भी वह उसे पूरा नहीं कर सकेगा । अगर एक दफा निकलवा भी लिया जाए तो दोबारा ले जाकर उसको बन्द किया जा सकता है और यह कर्जा सारी उम्र खत्म नहीं होगा । चेयरमैन साहब, रिकवरी का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि रिकवरी होने से पहले महकमा अपने आपको सैटिस्फैक्शन कर ले कि आया इस आदमी ने कर्जा लिया है या नही । अगर वह इन्कार करता है कि मैंने अंगूठा नहीं लगाया तो उसको 1 0— 15 दिन का मौका देना चाहिए ताकि वह अपनी' पोजीशन एक्सप्लेन कर सके । कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट कोई ऐसा सिस्टम निकाले यिय जो लोन मना करने वाले हैं कि उन्होंने पैसा नहीं लिया उनका कम्पेरीजन कर लें ताकि. पता लग सके कि कर्जा लिया है या यही लिया है ।

दूसरी अमैंडमैंट जो इलैक्शन कराने के बारे में इस बिल के जरिये आई है यह ठीक आई है क्योंकि इलैक्शन पहले ठीक ढ न से नहीं होते थे । जैसा कि पिछले एक्ट में भी प्रोवीजन था, कि हमारे इन्सपैक्टर और सब—इन्सपैक्टर सोसाइटियों में जाते हैं और रैजोल्यूशन पास करते हैं कि दो

आदमियों को वोट देने का हक है । 95 की सदी मैम्बरों को पता ही नहीं कि वोट देने वाले कौन हैं और रैजोल्यूशन किस आदमी का है । यह भी पता नहीं कि रैजोल्यूशन सोसायटी करती है । 95 की सदी रैजोल्यूशन इन्सपैक्टर और सब–इन्सपैक्टर करते हैं और उन मैम्बरों को पता नही कि जो नुमायंदा जा रहा है वह किस को वोट देने का अधिकारी है । मेरी मन्त्री महोदय से प्रार्थना है कि सोसायटियों थे रैजोल्मूशन में जिस मैम्बर को वोट देने के लिए भेजा जाता है वह सोसायटी का नुमायन्दा होना चाहिए, न कि इंसपैक्टर का । 95 की सदी केसिज में इन्सपैक्टरों के नुमायन्दे हैं, सोसायटियों के नुमायन्दे नहीं हैं । जिस वक्त वोट लेने के लिए जाते हैं, जिनको नुमायन्दा बना लिया गया उनको पता नहीं होता कि उनके हक में रैजोल्यूशन कर दिया गया है । इसलिए जो अमैंडमैंट लाई गई है वह ठीक लाई गई है । इलैक्शन सिस्टम को ठीक करने के लिए भी कोई न कोई मैयर्ज रखे जाएं ताकि आपदा ठीक नुमायंदे आयें । इसी सुजैसन के साथ में इस अमैंडिंग बिल 'की ताईद करता हूं ।

चौधरी उदय सिंह दलाल (बादली) : चेयरमैन साहब, मन्त्री महोदय ने था बरकार ने कानून को सुधारने के लिए जो कदम उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । लेकिन मैं एक बात तजर्बे के बिना पर कह सकता हूं कि जो किसान बको से कर्जा लेते हैं, कोई किसान हरियाणा में ऐसा नहीं जिसको बगैर रिश्वत से कर्जा मिल गया हो । इस एक्ट में ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाए

कि जो किसान बैक से कर्जा लेने जाए उसको कम से कम परेशानी हो । जो फारमैलिटीज बना रखी हैं उन को खत्म करके सीधा कर दें ताकि जो किसान अपनी फर्द बैक में जाकर दे दें, उसको बैंक से पेमैंट मिल जाए । ऐसा कर दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है ।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि इंडस्ट्रीज वालों को, बिरला और टाटा वालों को सरकार 7 परसैंट ता 2 परसैटं पर, सारे का सारा कर्जा दे देती है, लेकिन किसान का क्या कसूर है अगर किसान ने कर्जा लेना हो

श्री सभापति : आप टाईम का ख्याल रखें । जो बात आप कह रहे हैं, यह बजट स्पीच पर कहू सकते थे ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : क्या करूं चेयरमैन साहब, बहुत सी बाते हैं कहने के लिए । चेयरमैन साहब, जिस गरीब आदमी को अपने लड़के की शादी करने के लिए, भैस खरीदने के लिए या घर की और जरूरतें पूरी करने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके गले खाद बांध दी जाती है ।

Mr. Chairman : That also is equally irrelevant.

चौधरी उदय सिंह दलाल : जैसा कि ठाकु र साहब ने कहा कि चुनाव के दिन आते हैं तो फैवरेबल आदमी को वोट देने का हक लिख देते हैं, उसको वो? देने का हक होगा । मैं इस बारे में एक तजवीज करूंगा कि सोसायटी का जो चेयरमैन है,

चाहे वह चुना हुआ चेयरमैन है या कमेटी बनी हुई है, किसी किस्म का चुनाव हो, चाहे मार्केट कमेटियों का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक समितियो का चुनाव हो, सोसायटी के चेयरमैन को ही राय का अधिकार हो, यह लिख दें । मैम्बर साहब ने बताया कि इससे भ्रष्टाचार फैलता है और इन्सपैक्टर अपनी मर्जी के आदमी लगा देते हैं । मारे की सारी सोसायटियों के जो चुने हुए चेयरमैन हैं, उन्ही को अहितयारात हो, उन्हीं को अधिकार हो, यह एक्ट में होना चाहिए ताकि इन्सपैक्टरों द्वारा फैलाया हुआ भष्टाचार खत्म हो । श्री गंगा राम जी ने बताया कि 90 परसैटं फर्जी अंगूठे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 40 परसैटं लोगों के फर्जी अंगूठे लगे हुए है

श्री सभापति : यह बात बहुत से लोगों ने कही है । आप रिपीट न करें ।

13.00 बजे

चौधरी उदय सिंह दलाल : इन्क्वायरी के बाद अगर यह साबित हो जाये कि फलां आदमी ने फर्जी अंगूठा लगाया हुआ है तो उस आदमी के खिलाफ एक्शन हो । जिसने फर्जी अंगूठा लगाया है, या तो उससे यह रकम वसूल की जाए या सोसायटी भुगते । जिस के साथ बेइन्साफी हुई है उसकी वसूली 'स्टे' कर दी जाए लेकिन महकमा एक ही बात कहता है कि हम क्या करें, पुराने नाम लिखे हुए हैं । क्या यह भी कोई दलील है, क्या यह

भी कोई सिस्टम है । यह तो वह बात हो गई कि जिसके गले में फांसी फिट हो जाए उसको लटका दो । जब एक आदमी ने रुपया दे दिया या रुपया लिया ही नहीं और महकमे को यकान हो जाता है या इंक्वायरी मैं साबित हो जाता है कि उस आदमी को हरासमैंट हुई, परेशानी हुई, इंवैस्टिगे शन के लिए उसे बुलाया गया, उसका टाईम जाया हुआ, तब कसूरवार आदमी से पैनल्टी की शक्ल में लेकर उस आदमी को मुआवजे के रूप में दिलाया जाए । (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैं यह अर्ज करू गा कि यह जो टाईम मैंने लिया है इसको लैड सीलिंग का जो बिल आ रहा है उस बिल की डिस्कशन वाले टाईम में से न काट देना ।

कामरेड शंकर लाल (.सिरसा) : चेयरमैन साहब, यह जो कोआप्रेटिव सोसायटीज का बिल है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि देहात में जितनी भी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं वे धनियों की हें, जो अपर क्लास के लोग हैं उनके लिए ही हैं । इनमें एक दो आदमी उनके होते हें और बाकी सब फर्जी अंगूठे लगा लिए जाते हैं । गांव के जो गरीब लोग होते है, न' । पिछड़े लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उन लोगों से अंगूठे लगता कर उनके जिम्मे पैसा लिखा जाता है । बहुत केस ते से हैं । सिरसा जिले की ही मैं आपको कहानी सुना0 । कहाँ इतनी बाते मिलेगी जिनका कोई हिसाब नही । अफसर लोग जब देहात के अन्दर वसूली करने के लिए जाते हैं तो यह हाल होता है कि पी छे तो सो साइटियों के अफसरों की कारे होती है और आगे

जमींदार और किसान लोग मृगों की तरह भाग रहे होते हैं । वे भाग करके चेयरमैन साहब अपना पीछा छुडाते हैं । वहां पर बहुत बुरा हाल लोगों का हो रहा है । चेयरमैन साहब, लैड मार्गेज बैंक सबसे ज्यादा कमीशन दे करके किसानों को कर्जा देता था । इसमें भी ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे लोगों को ज्यादा सहूलियत हों । इस बिल के अन्दर यह बात आई है कि जब मर्जी आए उस वक्त अधिकारी लोग सोसाइटी को कैसल कर सकते हैं, बिना लोगों की सलाह लिए हुए, बिना मीटिंग बुलाए हुए, यह बात भी बिल्कुल गलत है । फिर तो जो भी आदमी थोड़ा सा विरोध करता होगा, उसकी सोसाइटी फौरन कैसल हो जाएगी । इससे चेयरमैन साहब, एकाधिकार जो है वह पनपता है, इससे तानाशाही पनपती हे । इसलिए हाउस से मेरी गुजारिश है कि इस तरह की बात का यह ध्यान रखें और इस तरह की जो बात हो उसे मिटा देना चाहिए । कायदे के मुताबिक, कानून के मुताबिक इंक्वायरी करके, अदालत में फैसला ही करके या कमीशन पे फैसला ही करके या जो भी सोसाइटियों का कायदा होता है उसके मुताबिक ही उन लोगों की सोसाइटी कैंसल हो नी चाहिए । एक अफसर यदि सोसाइटी को कैंसल कर दे तो यह बुरी बात है । मैं चेयरमैन साहब, हा उस क्ये सामने सिर्फ यही बात कहना चाहता था ।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए ।)

श्री सभापति : एक घंटे का टाईम था । हरेक को बहुत टाईम दिया गया ।

I cannot go beyond the decision of the House.

चौधरी सन्त कंवर : चेयरमैन साहब, वैसे यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है।

श्री सभापति : आप अभी अपनी सीट पर आए है । अब मिनिस्टर साहब को जवाब देने दीजिए ।

सिचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : चेयरमैन साहब, माननीय सदस्यों ने जजबाती बातें तो बहुत कही है लेकिन सुझाव केवल एकाध सदस्यो ने ही दिए हैं । मैं उन सुझावों का जिक्र करते हुए स्वागत भी करूंगा । सबसे पहले बाबू मूल चन्द जैन जी ने कहा कि उनको इस बिल की क्लाज 2 के (सी) भाग पर आपत्ति है । इस क्लाज के सब–सैक्शन 9 में यह लिखा है कि–

" Where the Government is satisfied that the election of meber of the committee of a cooperative society has not been held, or cannot be held, in accordance with the provisions of this Act, or the rules made there under, or the bye-laws of the society, it may, for the reasons to be recorded in writing, order fresh election.'

उनको आपत्ति है कि ऐसी पावर्ज सरकार लेने जा रही है जो बड़ी आर्बिटेररी हैं और जुडीशियल परव्यू से इन बातो को

अलग रखा जा रहा हे । मैं माननीय सदस्य को, जो इस समय हाउस में नहीं हैं, यह बताना चाहता हूं कि यह प्रोवीजन उन हालात के लिंए रखा गया है जब कई दफा सरकार इलैक्शन के आर्डर्ज तो कर देती है लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी इर–रैगुलैरेटीज हो जाती हैं जैसे वोटर्ज लिस्ट गलत बनी हुंई होती है या कोई और बात होती है । मौजूदा प्रोवीजन के तहत हम इलैक्शन दुबारा नही करा सकते थे । इसलिए उस ऐनोमंत्री को दूर करने के लिए, यह प्रोवीजन लाया गया । बाबू मूल चन्द जैन जी ने और दूसरे सदस्यों ने, जैसे राव दलीप सिंह और चौधरी जगजीत सिंह पोहलू ने क्लाज 4 और क्लाज 7 का भी जिक्र किया है । जहां तक क्लाज 4 का ताल्लुक है, इसमें नया सैक्शन 26 एए. ऐड किया है । चौधरी जगजीत सिंह पोहलू और राव दलीप सिंह जी से तो मैं उम्मीद करता था कि वे जरूर इसका समर्थन करेगे । (विघ्न)

श्री सभापति : पोहलू साहब को आप प्रोवोक मत कीजिए । उन्होंने जो कहा है कि बलैंकिट पावर्ज हैं उस बारे में उनकी तसल्ली करा दीजिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, इस बिल की क्लाज 4 में के जरिए यह जो सैक्शन 26 एए हमें ऐड करना पड़ा, यह हमें हाउस की सैन्स की वजह से ऐड करना पड़ा । इस बारे में हर माननीय सदस्य यहां कुछ न कुछ बोलता रहा है । राव वीरेन्द्र सिंह जी ने तो यहां तक कहा था कि यह महकमा कोआप्रेशन का

महकमा होने की बजाय कुरप्शन का महकमा है । इस मइकमें में हर तरह की गंदगी आ चुकी थी । जैसे हर किस्म की सोसाइटियां भी गलत, इलैक्शन भी गल्त, जोन्ज भी गलत और वोटर्ज लिस्ट भी गलत', इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि एक दफा ही इन सब बातों को साफ करके कोशिश की जाए कि नये इलैक्शन में एम0 एल 0 एज 0 साहेबान अपनी अपनी कास्टिचुऐंसी में कोशिश करके निहायत ईमानदार आदमियों को इन सोसाइटियों में लाएं । सरकार तो यह चाहती है कि जितने ईमानदार आदमी इसमें आएं गे उतना ही अच्छा है । इसमें सरकार किसी प्रकार की पावर अपने हाथ में लेने नहीं जा रही है कि उन लोगों को ऐसे ही टहला दिया जाए! क्योंकि कमेटी की तीन साल की मियाद रखी गई है । एक कमेटी जो अकौरडिंग टू रूल्ज या अकौरडिंग टू ला इलैक्ट हुई हों, उसको तीन साल से पहले कोई हिलाने वाला नहीं है । तो 26 एए. इसमें इसलिए रखा गया है ताकि विधिवत ढंग से इस गन्दगी को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए । चेयरमैन साहब, आहिस्ता आहिस्ता इस गन्दगी के'।. खत्म करने में काफी लम्बा अर्सा लगेगा । इसलिए सरकार चाहती है कि इसको एकदम साफ करके, नए जोन्ज बना कर, दुबारा वोटर्ज लिस्ट बना कर जो सोसाइटियों के मैम्बर्ज हैं उन लोगों को शामिल करके फोरी तौर पर इलैक्शन कराए जाएं । (विघ्न) जहां तक इस बात का ताल्लुक था, वह राव दलीप सिंह को इल्म है कि सरकार हर प्रकार से चाहती है कि महकमे को स्वच्छ बनाया जाये । हमने एक कमेटी बनायी है जिसके मैम्बर राव

दलीप सिंह और चौधरी शमशेर सिह जी हैं । हमने इस कमेटी में अपोजशिन के सदस्यगण को भी रखा है ताकि बेहतरींन सुझाव दें ।

चौधरी सन्त कंवर : पोहलू साहब को भी उस कमेटी में ले ले (हंसी)

Mr. Chairman : No canvassing for committees in the House please.

श्री वीरेन्द्र सिंह : अपोजीशन के लोगों के कान्फीडैन्स में ले कर सरकार भरसक प्रयत्न करेगी कि हर प्रकार से इस महकमे को शानदार महकमा बनाया जाये तकि हम किसानों की और गरीब तबके की अधिक से अधिक सेवा कर सके । जो बड़े बड़े लोग तीस तीस साल से इस महकमे पर कब्ज । किये बैठे हें उनको निकालें । बीस–तीस खानदान इस महकमे पर कब्जा किये हुए बैठे हैं, । हम चाहते है कि उन खानदानों को किसी तरह से जड़ से उखाडा जाये ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : आने आ प्वायंट आफ आर्डर सर । मंत्री महोदय ने बताया है कि पिछली सरकार के टाईम पर महकमे में बहुत मन्द था उसको साफ किया जा रहा है । तो मैं मंवी महोदय से अश्योरैन्स चाहूंगा कि क्या इस गन्द को सा फ करने की जल्दी से जल्दी को शिश की जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यहां पर क्लाज सात के बारे में जिक्र किया गया कि जो रिकवरी की जाती है वह एज एरियर आफ लैन्ड रेविन्यू न की जाये । माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि गवर्नमैंट कोई भी पैसा रिकवर करती है वह एज एरियर आफ लैन्ड रेवेन्यू करती है । कोआपरेटिव सोसाईटी का जो भी कर्जा है उसके बारे में कोआपरेटिव एक्ट में पहले ही प्रोवीजन है । यह प्रोवीजन आज से नहीं है, बहु त पहले से है । क्रोप लोन भी एज एरियर आफ लैन्ड रेवेन्यू वसूल किया जाता है । जो दूसरे लोन हैं इनको भी हम इस मद में शामिल कर रहे हैं । हम कोई नयी बात नही करने जा रहे हैं । जब सरकार का पैसा किसी की तरफ ड्यू है । उसका प्रोसिजर यह है कि एज एरियर आफ लैन्ड रेन्वेयू रिकवर हो । अगर बैंक के पै से को भी एक एरियर आफ लैन्ड रेवैन्यू रिकवर कर लिया जाये तो इसमें इतनी शंका नही होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए ।

जहां तक ऐसी बातों का सम्बन्ध है कि कोई इन्सपैक्टर किसानों के घर पर उस दिन जाता है जिस दिन उसकी बेटी की शादी हो । उस दिन जा कर किसानों को तंग करता है । अगर कोई ऐ सा करता है तो मैं समझता हूं कि वह समाज में किसी भी तरह से रहम का पात्र नहीं है । अगर कोई इन्सटान्स मेरे नोटिस में लायेंगे तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जायेगा ।

रिकवरी के सम्बन्ध में एक सुझाव ठाकुर वीर सिंह जी ने दिया था । उनके सुझाव का मैं स्वागत करता हू । उन्होंने

कहा – कि जिन लोगों ने कर्जे नहीं लिए और बार बार कहते हैं कि अंगूठे शायद हमारे हों या कुछ लोग कहते हैं कि अंगूठे हमारे नहीं हैं और हमने कर्जा भी नही लिया है, उससे पहले उनको जेल में ठोका जाये, थोड़ा–बहुत इन्कवायरी का मौका दिया जाये । मैं इस बात का स्वागत करता हूं और सारे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं उसके बारे में जरूर गौर करेंगे ।

एक बात चौधरों गंगा राम जो ने कही. कि जो कोआपरेटिव बैकों से लोन लिया जता है उसकी ब्याज– की दर बहुत ज्यादा है । मैं यहां हाउस को अश्योरैन्स देना चाहता हूं कि इस पर भी पुरी तरह से गौर करेंगे, । जितना भी मुमकिन हो सकेगा, हम यह व्याजें की दर घटा–नें की कोशिश करेंगे ।

एक बात ठाकुर बोर सिंह जी ने यह मी कही कि इलैक्शन के रूल्ज भी बनाये जायें । सहो ढ न से और डैमोक्रैटिक ढंग से इलैक्शन कराये जायें । मैं सदन को अश्योरेन्स देना चाहता हूं कि इस बारे मैं भरसक प्रयत्न किया जायगा कि बिल्कुल डैमोक्रैटिक ढंग से इलैक्शन हो ।

अन्त में में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से इस गन्द को खत्म करने पर तुली हुई है । जितनी मेरी शक्ति है उतनी शक्ति के साथ इस गन्द को खत्म किया जायेगा ।

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana

Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Chairman : Now the House will take up the Bill clause by clause.

clause 2

Mr. Chairman : Question is—

The clause2 stand part of the Bill.

The motion was carried

clause 3

Mr. Chairman : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Mr. Chairman : If the House agrees, I may put the remaining clauses together,

(**Voices** Yes)

clauses 4 to 7

Mr. Chairman : Question is—

That clauses 4 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried

clause 1

Mr. Chairman : Question is—

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Chairman : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Irrigation & Power Minister (Shri Verendar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) !Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried

दि पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978

Development and Panchayat Minister (Sardar Tara Singh) ; Sir, **I** beg to introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill 1978.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम) : चौयरमैन साहब, जो हाउस के सामने ग्राम पंचायत संशोधन बिल है और इस बिल में जो भी संशोधन किये गये हैं, मैं उनकी पुरजोर ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । चेयरमैन (राहब पहले इस बिल के अन्दर जो सरपंचों का चुनाव होता था वह इनडायरैक्ट रूप–से होता था यानी पंचों के माध्यम से होता था लेकिन अब उपको सीग कर दिया है । डायरैक्ट चुनाव होगा, वोटर करेगे । हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया कि जो लोगों की भावना थी, जो जनता सरकार ने लोगों से बाते सुनी थीं, वे इस बिल के द्वारा पूर्ण की जा रही हैं । इस के अलावा मैं मंत्री महोदय का इस बात के लिए

भी धन्यवाद करता हूं कि पंचायतों का जो तीन साल का अर्सा था वह पांच साल कर दिया है । जनता पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि जो भी प चायतें आगे बनेंगी वे और ज्यादा इफेकटिव काम करे सकेंगी । चौयरमैन साहब, इस बिल में एक और तजबीज बड़ी अच्छी रखी है, वह है सरपंचों को रिमूव करने की । सरपंच तो डायरैक्ट बन कर आ जाता है, पहले ऐसा प्रोवीजन नहीं था लेकिन उसके अन्दर उसको रिमूव करने के लिए एकट में एक पेचीदा बात की है । वह सरपंच अपने तरीके से काम करता था न पंचों की सुनता था और न ही गांव की बिरादरी की बात की तरफ ध्यान देता था । लेकिन इस अमैडिंग बिल में हमने उसके हटाने के लिये यह प्रोवीजन रखा है कि दो तिहाई पंच जो होंगे । वह एक रैज्योलूशन पास करके प्रैसकाइब्ड अथौरिटी को भेजे गे फिर वह अथौरिटी वोटर्ज की मीटिंग बुलायेगी, अगर उस मीटिंग में जो कि उस एरिया के वोटर्ज की होगी दो तिहाई सदस्य बहुमत से उसको हटाने का प्रस्ताव पास कर दें तो वह सररंच रिमूव हो सकता है । इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि हुक तरफ तो वह गांव की बहबूदी के लिये, गांव के विकास के लिये काम कर सकता है ओर दूसरी तरफ उसके पर थोड़ा अंकुश है । इस अंकुश के होने की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह गांव के लोगों की आवाज को नगलैक्ट कर सके । गांव के विकास लिये जिम्मेवार उसको कहा जायेगा, वह अपनी इस जिम्मेवारी से दूर नही हट सकता । चौयरमैन साहब, इसके साथ मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं, जैसा कि आपको पता ही

है कि लोकल सैल्फ गवर्नमैंट यूनिट जो है, यह देहात की बहबूदी के लिये बनाये गये हैं लेकिन इनके अन्दर कहीं पर भी कोई ऐसा प्रोवीजन नही है कि सरपंच या गांव की पंचायत अगर कोई फैसला ले ले, किसी काम को करने के लिये कोई फैसला ले ले, वह अपने फैसले को एक्सीक्यूट करवा सकें । मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई डिक्री या आर्डर पंचायत पास करती है, तो उसके पास उसको ए क्सीक्यूट करवाने की पावर नहीं है । मिसाल के तौर पर आपको कहना चाहता हू, जैसे चूल्हा टैक्स है जिसको हम गृह कर भी कहते हैं । पंचायत उस टैक्स को वसूल करना चाहती. है लेकिन अगर कोई आदमी गृह–कर नहीं देता तो पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है निरू वह उस आदमी से चूल्हा टैक्स वसूल कर सके । इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रोवीजन इस एक्ट के अदर ला पा जाये जिससे पंच–सरपंच या पंचायत, जो आर्डर उनकी जुरिस्डिकशन में आते हैं, उनको इम्पल मैट कराने के लिये उनको एक्सीक्यूट कराने के लिये उनके पास पावर्ज हों । इसके अलावा मेरा सुझाव यह भी है कि जिन पंचायतस के पास फन्डज नही है, जिन पंचायत के पास फण्डज की कमी है, सरकार को उन पंचायतस के लिये कोई न कोई इस प्रकार के साधन मुहैया करने चाहिये' जिनसे उनको कुछ पैसा मित्र सके । चाहे सरकार उनको ग्रान्ट वगैरा देने का प्रबन्ध करे चाहे– किसी और तरीके से करे, लेकिन उनके लिये पेंसे का प्रबन्ध जरूर करना चाहिए ताकि वह

अपनी जिम्मेवारी को निभा सके, गांव का विकास ठीक तरह से कर सकें और लोगों काभला कर सकें ।

श्रीमती शांती देवी (कैलाना) : आदरणीय चेयरमैन साहब, यह जो पंचायत सम्बन्धी बिल पेश किया गया है, मै इसके लिये सरकार को हार्दिक बधाई देती हूं । चुनाव के टाईम पर हर गांव में यह आवाज थी कि सरपंच का चुनाव डायरैक्ट हो । पहले सरपंच पंचों में से बनता था । वह सरपंच बजाये इसके कि कुछ काम कर सके, सारा साल भर उनके आगे पीछे घूमता रहता था क्योंकि दूसरे लोग उसकी टांग खींचते रहते थें । वह सरपंच उसको मनाने में लगा रहता था । पंचायत का सारे का सारा पैसा या तो मुकदमों में या. फिर चाय पानी पीने पिलाने में, शहरों में जाकर उनकी खातिर– तवोज्जुह करने में हडप जाता है । लेकिन यह जो डायरैक्ट चुनाब आया है, इस डायरैक्टं चुनाव में सरपंच के आने की वजह से सरपंच बड़ी आजादी के साथ गांव में कुछ विकास कार्य कर सकेंगे । पहले जो सबसे बड़ी कठिनाई विकास के कार्य करने में अगर कोई पड़ती थी, तों वह हमारे ग्रामीण इलाकों में पंचायतस के कारण पड्ही थी । मैंने अपने विचार पार्टी मीटिंग में भी रखे थे कि इन पंचायतस को कम से कम 15 सालों के लिये फ्रीज कर दिया जाये ताकि वहां पर गांव का विकास हो सके । लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में प्रजातन्त्र है और हमारी पार्टी प्रजातन्त्र की हामी है । प्रजातन्त्र को नष्ट नहीं करना च, हतो बल्कि उसे उभारना चाहती है । इसलिये

हमारी पार्टी ने सरपंचों के डायरैक्ट चुनाव करवाने के लिए यह बिल पेश किया है, इसके लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देती हूं और मैं उम्मीद रखती हू कि हमारे आने वाले सरपंच भाई गांवों में कुछ कौम करके दिखायेंगे ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत बिल जो पेश हुआ है, इसमें जो क्लाज डायरैक्ट इलैक्शन के लिए रखी गयी है, यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि लोग यह चाहते थे और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो पंच एक बार चुन लेते थे, उनकी मैजोरिटी एक की भी अगर ज्यादा होती थी तो उस सरपंच को, जो पहले चुना होता था, उसको हटा दिया जाता था । इससे गांव में काम नहीं होता था । अब जो डायरैक्ट इलैक्शन किया गया है, यह बिल्कुल जनता की भावना के मुताबिक है और ठीक है । लेकिन चेयरमैन साहब, इसमें साथ ही साथ यह क्लाज रख दी गयी है कि ग्राम सभा के लोग इकटठे हो कर सरंपच को हटा सकते हैं । इस बारे में क् यह कहना चाहता हूं कि पंचायत जो देहातों में बनती हैं उनके कुछ फायदे हैं ओर कुछ नुक्सान भी हैं । यह ठीक है कि थोड़ी सी गांव की तरक्की हुई है लेकिन वह तरक्की कुछ हद तक अफसर भी कर सकते थे । लेकिन इसके मुकाबले में गांव में पार्टीबाजी बहुत ज्यादा हो गई है और लिटीगेशन बढ़ गयी है । मुकद्दमेबाजी बहुत ज्यादा चलती हे । जहां हमारा पहले भाई–चारा इतना अच्छा होता था कि हम सारा

काम एक दूसरे से पूछ कर करते थे! वह सारा भाई चारा आज खत्म हो गया है । जिस वक्त यूनाइटिड फ्रन्ट की सरकार थी, उस समय हमारे स्वर्गीय आनरेबल मैम्बर **चौधरी** श्री चन्द जी हुआ करते थे, वह बड़े काबिल आदमी थे । उन्होंने यह कहा था कि पंचायतें खत्म कर दी जाये ताकि देहात आराम से बस सकें, बड़े प्रेम से लोग वहां पर रह सके' क्योंकि हमारे लोग बगैर पंचायतो के इलैक्शन लड़े भी तरक्की कर सकते हैं । जो हमारी देहातों में पंचायत की परम्परा चलती आयी है, जैसे बारहे होते थे, इस तरह से भी अच्छा काम कर सकते थे । उसमें कोई बा त नहीं है । देहातों में तरक्की पहले क्यों नहीं हुई थी क्योंकि अंग्रेजों का राज था, उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ था हमारे खून–पसीने की कमाई वह अपने देश में ले जाते थे रुपया देहात पर खर्च नहीं होता था लेकिन खैर पंचायंतों के फायदे भी हैं और नुक्सान भी हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव में जाति–पाति और पार्टी–बाजी गर्म न रहे एक दफा जब इलैक्शन हो जाये उसके बाद बार–बार पार्टीबाजी को गर्म रखने के लिए जो क्लाज रखी गयी है कि सरपंच को दोबारा हटा दिया जाये । यह कलाज बिल्कुल गलत है । इसलिए इस को हटाया जाये । जो सरपंच एक बार बन जाये, उसे आराम से काम. करने दिया जाये । उस पर यह बोझ क्यों रखा जागे कि उस सरपंच को दोबारा हटाया जा सकता है । चेयरमैन साहब, 3 साल की टर्म की बजाये 5 साल कर दी गई है, यह क्लाज बिल्कुल गलत है । जो भाई सारे गांव के वोट लेकर एक बार सरपंच बन गया, वह सब भाइयों का काम

करेगा लेकिन अगर वह सरपंच कोई काम नहीं करता तो दूसरे भाइयों को मौका मिलना चाहिए । ग्राम सभा को मौका मिलना चाहिए कि वह अगली बार उसके'। बदल दे । इसलिए यह 3 साल की बजाय 5 साल न किया जाए और उसको 3 साल ही रखा जाए । इसके मुकाबले में, 3 साल रखने में, जो सरपंच को हटाने की क्लाज है, उसको खत्म कर दिया जाए ताकि गांव में पार्टीबाजी खत्म हो और आराम से काम हो सके । यही चेयरमैन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ) : चेयरमैन साहब, मुझे आज आपकी कृपा से जो समय मिला है, उसमें मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वैसे तो जनता पार्टी ने बड़ी कृपा की है इस हरियाणा प्रदेश के पर, कि पंचायत का सारा ढांचा बदल दिया है । मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बिल से यह साफ जाहिर है कि हम काम करना चाहते हैं । इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि पहले जो गन्द पड़ा हुआ था, वह इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा । यह जो पंचायतों के मामले में बिल लाया गया है । इसके लिए मैं अपनी सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि ऐसा करके उसने बहुत अच्छा काम किश है । इसके अलावा मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जो सरपंच और पंचों का मामला है, यह ऐसा टेढा है जिसको हमें हल करना पड़ेगा । जिस गांव का सरपंच बन जाता कुए, आपको पता ही है कई बार एक पंचायत में एक गांव के साथ कई–कइं गांव जुड़े

होते हैं, वह उसी नांव पर पैसा खर्च करता है, जिस गांव का सरपंच होता है दूसरे गांव पर खर्च नही करता । इससे दूसरे गांव वाले काफी परेशान रहते हैं । इसलिए मेरा कहना यह हे कि जो पैसा खर्च करे, वह इस प्रकार से खर्च करे जिससे इस पंचायत के सभी गांवों को फायदा पहुंच सके । आज आप गांवों में जाकर देखें, ऐसा देखा जा पा है कि सरपंच अपनी गलियां तो पक्की करवा लेते हैंऔर दूसरों की गलियां जहां से वोट नहीं मिलते, वह कच्ची पड़ी रहती हैं । इसीलिए मेरो सरकार से यह प्रार्थाना है कि वह सब कुछ सरपंचों पर ही न छोड़ कर बैठ जायें बल्कि वह इस तरफ भी ध्यान दे कि सारे सरपंच ठीक काम कर रहे ईं । कहीं पर पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं? इसके अलावा मैं चूल्हा टैक्स के बारे में भी कहना चाहता हूं ।

श्री सभापति : वह तो इस बिल में नही आता है ।

चौधरी लाल' सिंह : लेकिन वह बिल से सम्बन्ध तो रखता है ।

श्री सभापति : उसका बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है । आप बिल पर ही बोलिए ।

चौधरी लाल सिंह : बहुत अच्छा जी । जैसा आप कहते हैं, मैं वैसा ही बिल पर बोलता हूं । तो मैं अर्ज करना चाहता हूं अब ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत गरीब आदमी हैं उसके पर कम से कम चूल्हा टैक्स होना चाहिए और जो बहुत अमीर हैं

उसका ज्यादा हो, अमीर आदमी पर ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता । मैं एक बात और कहकर बैठ जाता हूं और वह यह है कि जिस वक्त पंचायत का इलैक्शन हो, उस पर गवर्नमैंट को पूरी नजर रखनी चाहिए ताकि धक्केबाज–आदमी कमजोर आदमी को दबाकर न बैठ जाए ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : (बादली) रू चेयरमैन साहब, मन्त्री महोदय ने जो बिल हाउस में रखा है उसका समर्थन करता हूं और टाईम का ख्याल रखते हुए मैं दो–तीन तजवीज सदन के सामने रखना चाहता हूं । मैं दस बारह साल तक सरपंच रहा हूं और मुझे काफी तजुर्बा है । पहली बात तो यह है कि जब कोई पंचायत किसी केस का फैसला करती है तो जिस आदमी के खिलाफ वह फैसला होता है वह अदालत में जाता है और अदालत सरपंच को समन करती है । यह तरीका बिल्कुल गल्त है, गैर–कानूनी है । जब पंचायत ने फैसला कर दिया और चू कि पंचायत गांव की अदालत हे और अगर वह केस अपील में जाता है तो उस केस की पैरवी बी 0 डी 0 ओ 0 को करनी चाहिए । अगर सरपंच केस कॉ पैरवी करता है तो यह उस ग्राम पंचायत और सरपंच की बडी भारी तोहीन है । अगर अदालत पंचायत के फैसले की मिसल तलब करती है तो बी 0डी 0 ओं 0 उस केस की पैरवी करे, सरपंच को जाने की जरुरत नही होनी चाहिए । दूसरी बात यह है कि गांवों में लोग चबूतरे वगैरह बना लेते हैं जिससे लोगों के आने जाने में काफी रुकावट आती है और जो कंसर्न्ड आदमी

हैं उन चबूतरों को हटाने में पंचायत के साथ कोआप्रेशन नहीं करते । अगर पंचायत उनके खि लाफ फैसला करती है तो वे अदा– लत मे चले जाते हैं, वहां वकील कर लेते छैं और कई साल तक मुकद्मे चलते रहते हैं और श।–मलात रास्ते घिर जाते हैं । इसलिए पचांयत एक्ट में यह तरमीम की जानी चाहिए कि जहां पंचायत यह समझे कि कोई चबूतरा शामलात रास्ते गे है और गै र कानूनी है, तो पंचायत पुलिस का इस्तेमाल करके फेंसको तुडवा सकती है । आमतौर पर यह देखा गया कि जब एक आदमी का कब्जा नही हटता तो दूसरे आदमी भी रा स्ते को घेरना शूरू कर देते हैं । इसलिए यह तरमीम की जानी चाहिए कि पंचायत पुलिस का इस्तेमाल करके चबूतरे आदि को तुडवा सकती है । तीसरी बात यह है कि जहां तक चुल्हे टैक्स का ताल्लुक है बहु त सी पंचायतें ऐंसी हैं जहां कसोलिडे शन नही हैं, न वहय पर कोई जमीन है और न ही उन पंचायतों का आमदनी का साधन है और खर्चा बहुत ज्यादा है सरकार का ऐसा कानून है कि जब तक कोई पंचायत पचास परन्सैट अपने पास से नहीं देगी तब तक उस पंचायत को बलाक से कोई ग्रांट नहीं मिलती । सरकार को एक्ट में तरमीम करनी चाहिए कि जिन पंचायतों की कोई आमदनी नहीं है वहां पर पचास परसैन्ट वाली शर्त नहीं होगी । उस पंचायत को सरकार सौ परसैन्ट ग्रान्ट दे । क्योकि उस पं चायत के पास शेयर डालने के लिए कोई आमदनी का साधन नही है । मैंने कुछ सुझाव मन्त्री महोदय को दिए हैं और वे गांव के रहने वाले हैं । गांव की हालत से वे वाकिफ हैं । इ नमें कोई

टैक्नीकल बात नहीं है । मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर गौर करेंगे । इतना कहकर मैं खत्म करता हूं और चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद करता हूं ।

चौधरी हुक्म सिंह (दादरी) : चेयरमैन साहब, जनता पार्टी की सरकार जो ग्राम पंचायत अमैंडमैंट विल नाई है, इसका मैं स्वागत करता हूं । जनता सरकार ने लोगों की नब्ज को देखा और परखा । पंचायतों का समय तीन साल के बजाए पांच सात्र तक बढ़ा दिया है, यह जनता सरकार ने बहुत अच्छा किया है क्योंकि रोज इलैक्शन होने से गांव में पार्टी बाजी बनती है । चेयरमैन सा हब, मैं एक बा त यह कहना चाहता डू और जिससे पंचायतों को बड़ी भारी दिक्कत आती है । जब लोग गलियों में अपनी चबूतरे बढ़ा लेते हैं, या नए बना लेते हैं उससे रास्ते एक जा ते हैं और केस अदालतों में चार पांच सारन तक चलते रहते हैं । उन चबूतरों' से लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है, तकलीफ होती है । इसलिए मेरा कहना यह है कि पंचायतों को. यह अख्तियारात दिए जाएं कि कम से कम रास्तों की रूकावट कों. वे खुद साफ करवा लें दूसरी बात यह है कि जिन पंचायतों की कोई इंकम नई है वहां पर कोई उन्नति का काम नहीं हो सकता । सरकार ऐसा प्रबन्ध करे कि ऐसे गाँवों को ग्रान्ट दी जाए ताकि पंचायत गांव की बहबूदी के काम कर सके । इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ) : चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू लेकिन इसके बारे में दो सजैशन रखना चाहता हूं । जहां तक सरपंच के सीधे चुनाव का सम्बन्ध है इसके बारे में जनता की मांग थी और यह निहायत जरूरी थी । इसके अन्दर जो सरपंच को हटाने का प्रोसीजर है वह भी बहुत ठीक है लेकिन अगर उसमें एक बात हो जाती और जैसा इसमें कहा गया है कि पंचायत के के, दो तिहाई मैम्बरों द्वारा सरपंच को हटाए जाने का नोटिस दिए जा ने के साठ दिन के अन्दर सरकारी अधिकारी. अधिवेशन बुलाएंगे और गुप्त मतदान के द्वारा सरपंच को अपदस्त किया जाएगा तो चेयरमैन साहब, साठ दिन का वक बहुत होता है और खासकर ऐसे मामले में जब कि किसी आदमी पर एलीगेशन लगाने की बात हो । नोटिस के बाद साठ दिन में वह सरपंच अपनी पोजीशन को सुधार लेगा या लोगों गल्त तरीके से कन्विंस कर सकता है । साठ दिन के बजाए अगर एक महीना का समय रखा जाए तो ठीक रहेगा । इसमें यह किया जाना चाहिए कि डिमान्ड करने के एक महीना के अन्दर अधिवेशन बुलाकर सरपंच को अपदस्त किया जा सकता है । मेरी दूसरी सजैशन यह है कि धारा 2 में इन्होंने जो पंचायत बनाने की बात कही कि जो बड़ी पंचायत है उसके मैम्बरों की संख्या सरपंच सहित 'नौ होगी और जो छोटो पंचायत होगी उसकी संख्या पांच होगी । इस सम्बन्ध में मेरी सजैशन यह है कि बहुत से गांव बहुत बड़े–बड़े हैं और वहां पर मैम्बरों की संख्या बढ़नी चाहिए । जहां तक छोटी पंचायतों का ताल्लुक हए वहां पर पांच की बजाए आठ

मैम्बर रखे जाते तो अच्छा रहता और जिन पंचायतों में नौ मैम्बर रखे गए हैं वहां पर बारह या चौदह मैम्बर बनाए जाते और पंचायतों की संख्या भी बढ़ाई जाती तो अच्छा रहता जिससे को गांव की भलाई ज्यादा अच्छी तरह से होती ।

विकास तथा पंचायत मंत्री (सरदार तारा सिंह) : चेयरमैन साहब, तकरीबन हाउस की सैस यही है कि यह ठीक बिल पेश किया गया है और लगभग सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है । इसलिए इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नही समझता । दो–चार सुझाव आए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं । एक तो एग्जीक्यूशन की पावर है, जे फैसला हो उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, मेरे ख्याल में एक्ट में इस सम्बन्ध में दिया हुआ है । दूसरी बात पंचायत के फण्डज के मु ताल्लिक है । जहां तक पंचायत फण्डज का ताल्लुक है वैसे तो कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसके पास फण्डज न हों लेकिन हम एक कमेटी बना रहे हैम और पंचायतों के फण्डज हम जल्दी ही ज्यादा कर रहे हैं । यह मैं आनरेबल मैम्बर्ज को अश्योरेसं देना चाहता हूं । मिस्टर पोहलू ने दो–तीन बातें कही । उन्होंने पार्टी फैक्शन की बात कही डैमोक्रेसी में पार्टी की फैक्शन होना अच्छी बात है । पंचायत बनने के याद पार्टी फे क्शन होने से लोग झगड़ते हैं । मेरा कहना है कि सरपंच जो बन जाता हे उस को डर होना चाहिए कि अगर में नाजायज काम करूंगा तो दूसरे धडे के द्वारा मुझे हटाया जा सकता है और मैं रे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है । इन्होंने

कहा कि तीन साल की बजाए जो पांच साल मियाद बढ़ाई है वह ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि जब कि एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0 का इलैक्शन पांच साल में होता है तो हमारी बेसिक डैमोक्रेसी है उसकी मियाद थोडो क्यों रखी जाए । मेरे ख्याल में हाउस के ज्यादा मैम्बरों की सैस भी यही है कि पंचायतों की मियाद पांच साल होनी चाहिए । चौधरी लाल सिंह जी ने डिसक्रिमीनेशन के मुताल्लिक कह, हमारा इस एक्ट में यह सारी बातें लाने का मतलब ही यही है कि आगे से जो सरपंच हैं, वे सब की वोट ले कर आये । अगर वो किसी गांव के साथ डिसक्रिमिनेशन करता है तो वह आगे से सरपंच नहीं बन सकेगा, आगे से उसे वोट नहीं मिलेगी और सरपच को पता रहेगा कि अगर मैरे किसी के साथ डिसक्रिमीनिशन की तो वह आगे सें सरपंच नहीं बन सकेगा । जहां तक हटाने की बात है, इस के लिये यह जरूरी है कि किसी इलेकइटड आदमी के पर चौक रहे, पहले की हुई गलतियां न दोहराई जाएं, उसके दिमाग में बोझ रहे कि अगर मैंने किसी के साथ डिसक्रिमीनेशन की, कोई बुरा काम किया तो मैं आगे से सरपर नहीं बन सकूंगा । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह बिल यहां पर लाया गया है, मेरे ख्याल में सभी मैम्बर साहेबान इससे एग्री कर रहे हैं और सारी बातें वे मान रहे हैं ।

Mr. Chairman : Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Chairman : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Chairman ; Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Mr. Chairman : Question is-That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 4

Mr. Chairman : I have received notice of an amendment to this clause by Shri Shiv Ram Verma. He may please move his amendment.

चौधरी शिवराम वर्मा : चेयरमैन साहब, यह जो संशोधन है, वैसे तो यह छोटा सा ही है, मैं पहने इसको पढ़ देता हूं फिर दो मिन्ट में अपनी बात कह दूंगा । चेयरमैन साहब, पंजाब ग्राम पंचायत हरियाणा संशोधन विधेयक, 1978 में मैं यह निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

' 'खण्ड चार मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 5 की उप धारा (2) में जैसे कि खण्ड 4 (क) में निर्दिष्ट हैं, पक्ति 2 में ' 9' शब्द के स्थान पर ' 1 1' रखा जाए '' ।

चेयरमैन साहब, मैं इसलिए यह छोटा सा संशोधन लाया हूं कि हमने जो पंच चुनने का इसके अन्दर प्रोवीजन रखा है कि कम से कम 5 पंच हों चाहे कितना ही छोटा गांव क्यो न हो और ज्यादा से ज्यादा 9 पंच हों चाहे कितना ही बड़ा गांव क्यों न हो, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी आबादी के लिहाज से यह थोड़े होंगे । जैसे यहां पर कई सज्जनों ने अपने विचार व्यक्त किए कि कई कई गांवों की एक पंचायत होती है और उस पंचायत में जिस गांव का सरपंच होता है वह दूसरे गांवों में पैसा उतना खर्च नहीं करता जितना कि करना चाहिए । में सुझाव देना चाहता हू कि 500 कि शर्त घटाकर कम से कम 250 की आबादी वाले गांव की पंच। यत बनाई जाए और 250 की आबादी वाली पंच! यत में पांच पंच रखे जाएं 500 से पर 1500 की आबादी तक सात पंच होने चाहियें और 1500 से पर 3500 की आबादी तक 9 पंच रखे जाएं और 3500 से पर जितनी भी आबादी वाले– गांव हों, पांच हजार, 6 हजार, सात हजार, आठ हजार उनमें 1 1 पं च रखें जाएं ताकि ले'?गों को भी ज्यादा नुमाइन्दगी मिल सके, छोटे–छोटे मुहल्लों के नुमाइंदगी मिल सके । दूसरा मेरा सुझाव यह है कि गांव के वार्ड बनाये आर' और उसी हिसाब से पंच चुने जाएं । जहां पांच वार्ड होंगे वहां पांच पंच होंगे, जहां 7 वार्ड

होंगे वहां 7 और जहां 9 वार्ड होंगे वहां 9 पंच होंगे और जहां पर 1 1 वार्ड होंगे वहां पर 1 1 पंच होंगे' । वार्ड बनने से काफी सुविधा रहेगी और चुनाव के लिये ज्या दा भाग– दौड़ नहीं रहेगी । इस के इलावा गांव के हर कोने से पंच चुनकर आयेगे और फिर किसी इलाके से यह शिकायत नहीं रहेगी कि हमारे इलाके में डिवल्पमैन्ट का कुछ काम नहीं हो रहा है । कई बार ऐसा होता है कि एक मुहल्ले के दो तीन मैम्बर चुनकर आ जाते हैं और दूसरा मुहल्ला बिल्कुल ही खाली रह जाता है इस– लिये वहां पर तरक्की का बिल्कुल काम नही होता है, शिकायतें बनी रहती हैं । इस भावना से मैंने यह संशोधन दिया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

Mr. Chairman : Motion moved—

In proposed subsection (2) of section 5 of the Principal Act, as referred to in Clause 4 (a) in line 3, for "nine" substitute "eleven".

विकास तथा पंचायत मंत्री (सरदार तारा सिंह) : चेयरमैन साहब, इस बारे में में यह बता दैना चाहता हूं कि पंचायती राज कमेटी सारे जिलों में गई है. औंर मैं खुद भी जाता रहा हूं । स्वामी अग्निवेश जी का सवाल था, उन्होंने कहा था कि पंचायतो के मेम्बरों का नम्बर बढ़ाया जाए । हम जहां भी जिलों मैं गये, हमने लोगो से पूछा 'कि आया पंचायतों में मेम्बरों का नम्बर बढ़ाया जाए, इस बारे तकरीबन सब जि कें में इन बात की

आपोजीशन हुई और कहा गया कि मेम्बर पंचायत का नम्बर न बढाया जाए । अगर नम्बर बढ़ेगा तो कार्य ठीक ढंग से नहीं हो सकेगा । दूसरी बात यह कही गई कि पंचायते बड़ी–बड़ी हैं । मैं हर बात में लिबरल हु, हमारे पास जो छोटे –छोटे गांव रेजोल्यूशन पास करके भेजते हैं कि हमारी पंचायत अलग कर दी जाए, हम ने कभी भी उनको 'न' नही की । चौधरी साहब को पता है कि इस साल हमने 1 00 से 150 तक पंचायतों का नम्बर बढ़ा दिया है और आबादी के मुताल्लिक रिलेक्सेशन पहले ही दे रखी है । जहां पर 300 की आबादी हो वहां पर अलग पंचायत बना दी जाती है । वार्ड सिस्टम के मुताल्लिक हमने किला हैड क्वार्टर लेवल पर भी पूछा है और पीछे पार्टी मीटिंग में भी बात हुई थी और यही विचार था कि वार्ड सिस्टम लागू न किया जाए और न ही यह वार्ड सिस्टम कामयाब हो सकेगा । इसलिये मैं चौधरी साहब से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको विदड्रा कर लें ।

चौधरी शिव राम वर्मा : चेयरमैन साहब, इस आश्वासन के साथ कि इस पर दोबारा विचार कर लेंगे! मैं इसे वापिस लेता हूं ।

सरदार तारा सिंह : जरूर विचार कर लें गे ।

Mr. Chairman : Has the Hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

(**Voices :** Yes)

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Chairman : There are notices of amendments to this clause by Shri Surrender Singh. He is not present in the House. Therefore, these are not moved.

Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Shri Mool Chand Jain : The remaining clauses be put together to save the time of the House.

(**Voices** :Yes)

Clauses 6 to 11

Mr. Chairman : Question is —

That clauses 6 to 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 12

Mr. Chairman : Question is —

That clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 13

Mr. Chairman : Question is—

That clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman Question is—

That clause I stand part of the Bill

the motion was carried

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is— That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Development & Panchayat Minister (Sardar Tara Singh) : Sir, beg to move-

That the Panjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed .

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Chairman : Question is -

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा एयी कल्चरल क्रैडिट औप्रेशन्क एंड मिसलेनियस प्रोवीजन्ज (वैक्स) अमैडमेंट बिल, 1978

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Mr. Chairman, I beg to introduce the Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Amendment Bill, 1978.

I also beg to move—

That the Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Amendment Bill be taken into consideration at once.

चेयरमैन साहब, बैकिंग का सबजैक्ट सैटर का है और गवर्नमैन्ट आफ इंडिया ने बैकिंग एक्ट में कुछ संशोधन किये हैं । उन संशोधनों की बिना पर हरियाणा में भी यह संशोधन बिल हाउस में रखा गया है । इसमें सिर्फ कस्किवैशल चेंजिज हें ।

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री मूल चन्द जैन (संभालखा) : चेयरमैन साहब, मैं इस सम्बन्ध में यूक दो बातें ही कह कर बैठ जा0ंगा । मेन बात जो इस बिल में लाई जा रही है वह यह है कि बैंकों के द्वारा जो किसानों को कर्जा दिया जाता है वह भी किसानों से मालगुजारी के रूप में वसूल किया जाएगा । यह बात पहले नहीं थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों से इंडस्ट्रीयलिस्ट भी कर्जा लेते हैं और जब कोई कर्जा लेता है तो उसकी गुड्ज और फैक्टरी बैंक के पास गिरवी हो जाती है । इसी तरह से किसान ट्रैक्टर के लिये या ट्यूबवैल के लिए जो कर्जा लेता है उसकी जमीन गिरवी रखी जाती है । बगैर गिरवी रखे कोई बैक कर्जा नहीं देता । बैंक फैक्टरी वाले से कर्जा मालगुजारी के रूप में वसूल नहीं कर सकता बल्कि बैंक को उसके खिलाफ दावा करना पड़ता है । मेरे साथियों को पता होगा इनमें भी कई वकील हैं, वे जानते हैं कि बैक को दावा करना पड़ता है, अगर कोई कर्जा वापिस नहीं करता । लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब इंडस्ट्रयिलिस्ट के खिलाफ दावा किया जाता है और उससे मालगु जारी के रूप में पैसा वसूल नहीं किया जाता तो किसान से मालगुजारी के रूप में क्यों वसूल किया जाता है.....

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : यह तो रिजर्व बैक की इन्सट्रक्शज है । '

श्री मूल चन्द जैन : मैंने तो कोई ऐसी इन्सट्रकशन देखी नहीं है । तो इस चीज के लिए है इस बिल की मुखालफित करता हूं । अगर रिजर्व बैक ने ऐसा किया भी है तो मन्त्री महोदय को बिल की स्टेटमैंट आफ आवजैक्टस रीजन्ज में यह चीज देनी चाहिए थी कि हरियाणा सरकार मजबूर है । और अगर कोई ऐसी हिदायत हए भी तो उसकी सरकार को मुखालफित करनी चाहिए । जब हमारी सरकार गन्ने की कीमत के लिए सैटर की सरकार से लड़ सकती है तो इस कर्जे की वसूली के लिए क्यों नहीं कह सकती? या तो यह सब के लिए हो जैसे अगर कोई फैक्टरी वाला कर्जा लेता है उसकी भी रिकवरी मालगुजारी के तौर पर होनी चाहिये और किसान की भी मालगुजारी के तौर पर होनी चाहिए । यह नहीं होना चाहिए कि फैक्टरी वाले से तो कर्जा दावे से वसूल किया जाए और किसान से लैंड रैवेन्यू के तौर पर । इसके मायने तो यह हुए कि किसान को जब चाहें, तंग कर सकते हैं । कोआप्रेटिव सोसायटी वाले गांवों में जाते हैं और लोगों को तंग करते हैं । मैं एक दफा गांव में गया तो सारा गांव मुझसे चिमट गया और कहने लगे कि जैन साल सोसायटी वाले चार आदमियों को पकड़ कर ले गये । तो यह एक लानत है हमारे पर । मेरा ख्याल है कि हमारे नेता भी इस चीज को जानते होंगे कि किसान का एक–एक बाल कर्जे में गुदा हुआ है । अगर आप बैंकों को या

कोआप्रेटिव सोसाइटियों को मालगुजारी के रूप में कर्जे को वसूल करने का अधिकार देते हैं तो किसान की इज्जत महफूज नही रहेगी । जिस वक्त ओले पड़ जाते हैं या फ्लड आ जाता है उस वक्त किसान कर्जा वापिस नहीं कर सकता । इसकी वजह से उसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा और उसे जेल में भेज दिया जाएगा । उस वक्त सिवाय इसके कि वह अपनी जमीन बेचे या उसे गिरवी रखे इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहता । मैं कहता हूं जब बैंक के पास उसकी जमीन गिरवी है तो मालगुजारी के तौर पर रिकवरी करने की क्या जरूरत है? वे इसका विरोध करता हूं ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : कल से जो बिल सदन में आ रहे हैं वे सारे के सारे ऐंटी किसान और ऐंटी जनता है । हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी अभी एक बिल पास हुआ । चीफ मिनिस्टर साहब चले गये हैं मैं उनको बताना चाहता था कि किस तरह से कारखानेदारों को छूट दी गई कि सेल्ज टैक्स अदा करने के लिए कर्जा बिना सूद के ले लो । उस बिल पर भाई संत कंवर जी और 80 प्रतिशत मैंबर उसको विद्ड्रा किए जाने के हक में थे लेकिन जब सी 0 एम 0 साहब आ गये तो सारे आनरेबल मैंबर बाहर भाग गये । इसलिए बडे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो जनता की सरकार है या 36 बिरादरी की सरकार है, आज ये जितनी बातें कर रहे हैं वह सारी जनता के खिलाफ हैं । चेयरमैन साहब, मैं आपको क्या क्या

बता0, सारे देहाती, बैंकों के कर्जों से जकड़े पड़े हें । एक तरफ तो कस्टीच्यूशन में यह प्रोवाइड किया गया है कि there must be equality before law and equal protection before law यह कानून है कि सब को बराबर कानून का सहारा मिलेगा । लेकिन बड़े बड़े कारखानेदारों को, जैसे बिडला, टाटा और डालमिया हैं, इन को तो कोई कर्जे की वापसी के लिए मजबूर नहीं करता, सिर्फ दीवानी मुकदमें चलाये जाते हैं । लेकिन किसान का क्या कसूर है कि उससे लैंड रैवेन्यू के तौर पर रिकवरी की जाए? एक तरफ तो ये सुबह से शाम तक चौधरी सर छोटू राम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों का भला करेंगे लेकिन वही सरकार नाम तो गरीबों का लेती हे और काम अमीरों का करती है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन गरीवों को जबरदस्ती तहसीलदार या दूसरे महकमे वाले पकड़ कर ले जाते हैं और हवालात में बन्द करवा देते हैं, इस बात के लिए मुझे बडा अफसोस है । मुझे खुशी है कि मेरे छोटे भाई मलिक साहब, जोकि किसान के बेटे हैं वे आज मिनिस्टर हैं । उनके अफसर लोग, दफ्तर में बैठकर जो लिखकर दे देते हैं, उसको वे यहां पर ले आते हैं । ऐसा नहीं होना 1 4. 00 बजे । चाहिए । सर छोटू राम ने जिस प्रकार कर्जा बिल पास करवाया था और किसानों के सब कर्जे मुआफ कर दिए थे, उसी प्रकार यहां भी बिल के जरिए कर्जा मुआफ कर के किसानों को बख्श दिया जाए ताकि जनता पार्टी और मजबूत हो जाए । दें चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इस तरफ कदम उठाए जाएं और रोज रोज हाउस में जो गरीब किसानों का

नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि किसान की बुरी हालत है, यह अच्छी बात नहीं है । मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सर छोटू राम को याद करके इस कर्जे को कलम कर दिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा, एक बार आप मुआफ कर दें । अगर आप जनता की भलाई चाहते हैं और भलाई करना चाहते हैं तो इस तरफ फौरी कदम उठाया जाए, इन गरीबों को जेलों में न लटकाओ । किसान ईमानदार है, गेहूं, चने बेच कर कर्जा दे आता है, अगर कोई अदा करने में मजबूर हो जाता है तो कोर्ट में मुकद्मा करो लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि रिकवरी लैंड रैवैन्यू की शक्ल में करो और उनको शादियों में जा कर तंग करो । इतना जुल्म इनके साथ न करो । इस एक्ट में यह तरमीम करो कि किसान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा । कर्जा देते वक्त जब बैक ने उसकी जमीन गिरवी रखी है, और जमीन गिरवी रखकर उसको कर्जा मिलता है तो कर्जा अदा न करने पर उसकी कमीन कुर्क करवाने के लिए अदालत में जाओ लेकिन शादियों में तंग न करो, गिरफ्तार न करो । गिरफ्तार करके छोड़ देंगे और फिर पकड़ लेंगे, यह गलत बात है । बड़ी हैरानी की बात है कि अगर कांग्रेस शासन के समय की रवायात जनता शासन में भी चलती रही तो बुरी बात है । मैं चौधरी सतबीर सिंह से कहूंगा कि इसको वापिस लें ।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ) : चेयरमैन साहब, जो लड़ाई पहले बिल पर थी वही लड़ाई इस बिल पर है । पहले बिल

में यह था कि जो कारखानेदार पर टैक्स लगता है उसको अदा करने के लिए सरकार उनको लोन दे रही है । इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब को पता है इस बात का और जो टैक्स कारखानेदारों ने दे ना है वह लोन लेकर जमा करवायेंगे । एक तरफ तो कारखानेदारों को छूट है और दूसरी तरफ इस बिल के द्वारा जमींदारों पर पाबन्दी है । जो कर्जा किसानों को दिया जाएगा उसकी उगाही का तरीका ठीक नही है । मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, कोई ज्यादा परिवर्तन की बात नहीं है, इस बिल में यह शामिल कर लिया जाए कि जो कर्जा किसान को दिया जाए उसकी गारंटी सरकार ले ले । क्योंकि, चेयरमैन साहब, पिहले दिनों में हरियाणा में बहुत फ्लड आए और लोगों ने फसली लोग लिए, रिजर्व बैक से भी लोन लिए । जो लोन लिया है उसकी उगाही की शर्तें रखी है । शर्त यह है कि अगर 6 महीने के अन्दर वह लोन नहीं लौटाया जाता तो गिरफतारी होती है, कुर्कीयां होती हैं । मेरी समझ के मुताबिक यह शर्त ठीक नहीं क्योंकि कई बार किसान की बड़ी खराब हालत हो जाती है जिसकी वजह से वह 6 महीने के अन्दर लोन अदा नहीं कर सकता । जैसे पीछे बाढें आईं, ओले पड़े, सूखा पड़ा और बीमारी पड़ी । अगर ऐसी मुसीबतें आ जाएं तो किसान के पास ऐसी कोई गारंटी नहीं कि उसकी फसल अच्छी होगी, कब अच्छी फसल होगी, कब नहीं, यह कोई गारंटी नहीं है । कुछ दिन पहले इतनी अच्छी फसल थी लेकिन ओलों ने सत्यानाश कर दिया । जैसे चौधरी सतवीर सिंह ने बताया कि रिजर्व बैंक की तरफ से हिदायत है कि यह रुपया

मालगुजारी के तरीके से वसूल किया जाए । यह शर्त लगाने के बाद ही रिजर्ब बैक पैसा देगा । अगर पैसा लेना जरूरी है इस शर्त के तहत ले लिया जाए और अगर किसान किन्हीं कारणों के कारण वक्त पर माल– गुजारी के रूप में पैसा न दे सकते तो सरकार उसकी गारंटी ले ले । गारंटी इस लिए ली जाए ताकि किसान की परेशानी कम हो । जब किसान अपनी जमीन रहन रखता है तो गारंटी न देने में कोई बात रह नहीं जाती । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात का आश्वासन देकर इस बिल को पास करवायें ।

चौधरी गंगा राम (गोहाना) : चेयरमैन साहब जो बिल लाया गया है, मेरे ख्याल में इसको लाने से पहले इस पर ठीक इन से विचार नहीं किया गया । अगर यह बिल पास हो जाए तो इसका सीधा मतलब यह हए कि अगर किसान कर्जा न देगा तो उसके उपर कोई दावा नहीं चलाया जाएगा लेकिन उसकी जमीन को, उसकी फसल को उसी समय कुर्क कर लिया जाएगा । यह बड़ी बदकिस्मती की बात है । आज बडे – बडे इंडस्ट्रियिलिस्ट्स और सरमायेदार, जो करोड़ों रुपया बैंकों से कर्का लेते हैं और जिनको हिन्दुस्तान के सारे बैक कर्जा देते हैं, उनको पूरी रियायत दी जाती है और दूसरी तरफ किसान की बदकिस्मती है कि उसकी फसल और जमीन कुर्क की जाती है । सरमाये दार अपने गोदाम के खिलाफ, अपने सामान के खिलाफ, अपनी फैक्ट्री के खिलाफ, अपने कारखाने के खिलाफ रहन रख कर कर्जा ले

सकते हैं और वह भी बड़ी घटती दरों पर लेते हैं । दूसरी तरफ किसान अपनी जमीन को रहन लिखवा देता है, रहन रखने के बाद भी उसकी बदकिस्मती है कि बैंक फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते कि उनका कर्जा किसान मोड़ भी देगा कि नही । दूसरी तरफ सरमायेदार कर्जा लेते हैं और अगर वे समय पर वापिस व करे तो मुकद्दमे दीवानी चलाये जाते है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और इस तरह क्य 10 साल निकल जाएं तो इस दौरान वह कमाई कर लेता है और कर्जा पे कर देता है । लेकिन किसान को एक महीने की मोहलत न मिले तो जमीन और फसल की कुर्की आ जाती है, यह बढ़े दुर्भाग्य की. बात है । इसलिए अच्छा यह है कि किसान को कर्जा ही न दिया जाए, अगर बैंक ऐं सी' शर्तें किसान पर लादेगा । इसलिए मैं सरकार से निहए दन करना चाहता हूं कि स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से बैकों को लिखा जाए कि इस किस्म की शर्तें । इस किस्म की कन्डीशन्ज किसान पर न लगाए । इनको दूर पिया जाए । यहां पर जो सैन्ट्रल सेल टैक्स की बात चल रही है, मुझे इरानी है कि स्टेट का सरमायेदार सैन्ट्रल सेल टैक्स पे करने के लिए सरकार से पैसा लेता है, सरकार के खजाने से लेता है और वह भी बगैर ब्याज से लेता है । एक तरफ तो हम 2 1 करोड़ रुपया शराब के सेल का टैक्स इकट्ठा करके देते है और दूसरी तरफ कोई पैसा विदाउट इन्ट्रैस्ट किसान को नही मिलता । इस अनियमितता को खत्म करने के लिए मेरा सुझाव हे और यह जरुरी है कि जहां इंडस्ट्रीयलिस्ट्स को सैन्ट्रल सेल टैक्स के खिलाफ विदाउट इनैंस्ट लोन दिया

जाता है वहां किसान को भी विदाउट इन्ट्रैस्ट पैसा दो । हम सैन्ट्रल गवर्न– सैंट को टैक्स देते हैं, इसलिए लोन टैक्स– फ्री मिलना चाहिए । इस बिल में यही अमैंडमैंट होनी चाहिए, चाहे हमें कितनी बार सैन्ट्रल गवर्नमैंट को लिखना पड़े, लेकिन यह प्रोवीजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यह किसान के अगेंस्ट जाता है ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचानाकलां) : चेयरमन साहब, इस बिल की क्लाज 7 में यह प्रौवीजन किया गया है कि किसान को खेतीबाडी के लिए जो कर्जा बैकों से मिलता है उसकी वसूली लैंड रैवेन्युं के तरीके से की जाए और मन्त्री महोदय ने यह बताया कि यह रिजर्व बैंक की हिदायते हैं । मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि रिजर्व बैक की हिदायतें हरियाणा सरकार पर मैन्डेटरी नही हैं । हरियाणा सरकार इन हिदायतों को माने या न माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । चेयरमैन साहब, दूसरी बात यह है कि बैकों से, खास तौर पर नैशनलाइज्ड बैकों से, खेतीबाड़ी के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए सीड के लिए, और दूसरे औजारों को खरीदने के लिए जो कर्जा लेना पडता है, उस वक्त हम भूल जाते है कि किसानों का, छोटे–बड़े व्यापारियों का करोडौं रुपया फिक्स डिपोजिट की शक्ल में जमा होता है । चेयरमैन साहब, वह पैसा किसान को उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए मिलता है लेकिन किसान की पैदावार कोई फैक्टरी की पैदावार तो है नहीं । किसान की पैदावार कभी न भी हो, कभी कम हो और कभी बिल्कुल न हो । उस पर इस किस्म की पाबन्दी क्यों? दूसरी तरफ

ऐसे ऐसे उदाहरण है जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नागपुर और अहमदाबाद में, दो दो करोड रुपये का घपला किया है और बैंक आज तक उन पूंजीपतियों से एक पैसा भी रिकवर नहीं कर सका । तो क्या वजह है कि किसान का कोई हित नही देखता या किसान के बारे में आवाज बुलन्द नहीं करता? मैं तो यह समझता हूं कि **चौधरी** देवीलाल जी को, मुख्य मन्त्री जी को, शायद कांफिडैन्स में लेकर यह बिल नहीं बनाया गया वरना ऐसी बात हो नही सकती । जिन्हें किसानों का नेता कहते हैं वे इस तरह की बात करते । यह तो इस किस्म का बिल विधान सभा में लाए हैं जो किसानों के विरुद्ध है और इसमें उन्हें 'बिल्कुल जकडा गया है । चेयरमैन साहब, आज 98 परसैट लोग कर्जे में जकड़े हुए हैं । इस 'बिल के बारे में मैं तो यह कहूंगा कि जहां पहले कोआप्रेंटिव सोसाइटीज का प्रकोप था, वहां अब बैकों की आफत किसानों पर आ पड़ेगी । क्या वजह है कि किसानों के पर सौतेले बेटे जैसा व्यवहार होता है? हरियाणा की सरकार से, जिसे किसानों की सरकार कहते हैं, ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती है । इससे तो रिजर्व बैक से सैन्ट्रल गवर्नमैंट से लड़ाई लड़नी चाहिए और यह तय कराना चाहिए कि अगर उद्योगपति को व्यापारी को इस किस्म से पाबन्द किया जाता है तब तो किसान को भी करो और अगर उनको नही किया जाता तो किसान को क्यों किया जाता है? इसलिए मैं मन्त्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि क्लाज 7 के तहत यह जो अमैंडमैंट लाना चाहते हैं, इसको ये विदड्रा करें ।

श्री दीप चन्द भाटिया (फरीदाबाद) : चौयरमैन साहब, आज बहुत सारे बिल पास हुए हैं लेकिन दुख की बात यह है कि इन में जनता के हित की बात नही है । हमारी जो जनता पार्टी की सरकार बनी है यह जनता के हित के लिए बनी हुई है लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि ऐसा नही हो रहा है । जनता पार्टी की सरकार के अन्दर मेरे बहुत सारे भाई किसान भाई हैं लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के गले के पर छुरी फेरी जा रही है । (विघ्न) मुझे समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है ।..... (विघ्न) यहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब किसान भाई हैं, हमारे इरीगेशन मिनिस्टर साहब भी किसान भाई हैं, फाईनेन्स मिनिस्टर भी 'किसान भाई हैं लेकिन बात क्या है कि किसान के अगेन्सट बात जा रही है और सरमायेदार, हमारे फरीदाबाद के करोड़ पति, फैक्टरी मालिकान, जो कांग्रेस का राज चला रहे थे । उनको आज भी मुफ्त में कर्जा दिया जा रहा है । इसलिए में हाउस के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि, आज जब जनता की सरकार है, इन फैक्टरी मालिकान को इतनी भारी छूट क्यों? इनके पास तो लाखों और करोडों रुपये पड़े हुए हैं, ब्लैक मनी पड़ा हुआ है । अगर इनके पर छापा मारा जाए तो करोड़ों रुपया निकल सकता है । (विघ्न) मैं तो यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि ..... (विघ्न)

————

श्री सभापति : भाटिया साहब, आपकी पैटीशन हाई कोर्ट में है, उसके बारे में आप कोई बात न कहें ।

जो पैटीशन के बारे में कहा गया है उसको रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

That should be expunged.

श्री दीप चन्द भाटिया : चेयरमैन साहब, मैं तो इतना ही कह रहा था कि इन लोंगों के पास करोड़ों रुपये पड़े हुए हें । इनके पास पौलिटिक्ल आदमियों को खरीदने की ताकत है लेकिन आज भी आप इनको उत्साह दे रहे हैं, इनकी ताकत को बढ़ा रहे हए । मैं तो हाउस से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो गरीब किसान भाई है जिनको रोटी नही मिलती, जिनके घरों में पानी तक नही है उनको आप इन चीजों को मुहैया करें । आज हमारे सब देहात के अन्दर पीने का पानी नहीं है । मैं जब भी वहां जाता हूं तो लोग कहते हें कि उनके यहां नही पानी है लेकिन हमारे जैसे जब मिनिस्टरों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि बजट नहीं है । (हंसी) मैं नहीं जानता कि क्या बजट सिर्फ किसान के लिए खत्म हो गया है? करोड़– पतियों को यह सरकार इतना फायदा दे रही है और उनके लिए बजट भी है । मैं चीफ मिनिस्टर साहब को हरियाणा का नेक इन्सान समझता हूं । मै इनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब भी कोई बिल पास करना हो तो वह सबसे पहले जनता पार्टी की मीटिंग में 'डिस्कस होना चाहिए, उसके बाद हाउस में डिस्कस होना चाहिए, यह सरकार केवल मिनिस्टरों की ही नही है बल्कि हम भी बीच में शामिल हैं । चेयरमैन साहब, मैं बहुत ज्यादा बात न कहते हुए सिर्फ इतना अर्ज

करना चाहता हूं कि यह बिल किसानों के विरूद्ध है, इसलिए इसको विदड्रा किया जाए ।

ठाकुर वीर सिंह (भिवानी) : चेयरमैन साहब, इस अमैंडमैंट पर, जो क्लाज 7 के तहत की जा रही है, जो डिस्क–बन हुई उसमें बाबू मूलचन्द जैन जी ने भाग लिया । उन्होंने कहा 'कि जमीन गिरवी रखी जाती है और कर्जा रिकवर किया जाता है लेकिन इन अमैंडमैंट में पहले जो वर्डज हैं वे इस प्रकार है – Recovery in case of personal security. उसके बाद यह सारी क्लाज ऐड की गई है । इसका मतलब यह है कि जो लोनज इमीजियेटली विदाउट ऐनी सिक्योरिटी दिए जाते हैं उनकी रिकवरी के लिए प्रोविजन रखा गया है । जो लोन पर्मानैंट टाईम के दिए जाते हैं उनके लिए सिक्योरिटी मूवेबल और इनमूवेबल प्रोपर्टी की रखी नई है । लेकिन सीड्ज वगैरा के लिए जो लोन. दिया जाता है वह मीडियम लोन होता है और वह फौरी तौर पर जमींदार को भाग दौड़ किए बगैर दिया जाए ताकि वह अपनी–खेती आराम से कर सके । (विघ्न) मैं ऐसा समझता हू कि `Recovery in case of personal security' का मतलब यही है ।

Mr. Chairman : No, no. It covers everything.

ठाकुर बीर सिंह : जो वर्डज ऐड किए गए हैं आप इनको पढ़िए । ये हैं

(1) Where any amount of financial assistance is granted by a bank to an agriculturist and the agriculturist

fails to pay the amount together with interest on the due date"

श्री सभापति : यह तो सिर्फ आगे फार्मेलिटीज हैं ।

ठाकुर बीर सिंह : अगर फामेंलिटीज हैं तो फिर इसका क्या तरीका है । जो फर्स्ट वर्डज लिखे हुए हैं कि रिकवरी इन केस ऑफ परसनल सिक्योरिटी, इनकी आगे कलैरीफिकेशन नहीं है । ऐसा डाउट पैदा हो सकता कि आया यह बात सब में लागू होती है या नहीं । इसलिए मिनिस्टर साहब इसे क्लीयर कर दें कि यह वर्ड इसी कलाज पर लागू होते हैं और यह कलाज सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिन्होंने इमीडिएटली, फौरी तौर पर विदाउट एनी सिक्योरिटी आफ दी इमूवएबल प्रोपर्टी जो लोन लिया हुआ है या लिया जाता है और दूसरे के जिम्मे की जो सिक्योरिटी दी जाती है इमूवएबल प्रोपर्टी की या किसी और तरीके की उन पर यह लागू नहीं होगा । मेरे ख्याल के मुताविक यह क्लीयर नहीं है इसलिए अगर कोई इम्बूगिटि हुई है और मिनिस्टर साहब इसमें समझते हैं तो इसको कलियर कर दें । इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ।

वित्त मंत्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : चेयरमैन साहब, मौड आफ रिकवरी के पर ही सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और सबको यह भय हुआ है कि अगर लैन्ड रेविन्यू के तरीके से यह रिकवरी हुई तो सारे का सारा किसानों के उलट जायेगा लेकिन यह जो कुछ भी हुआ है, यह रिजर्व बैक ने एक तलवाड कमेटी सन् 1969 में बैठायी थी और तलवाड कमेटी के पास बैंक

वालों ने शिकायत की थी कि बडे बडे किसान, लैन्ड लार्डज काफी रुपया लिए हुए हैं उन्होंने वापिस दिया नहीं है, डिले किया । बैक वालों को सिविल कोर्टस में जाना पड़ता है और फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है । उससे क्या हुआ? बैकों की लोन देने की ताकत कम हुई । बड़े बड़े किसानों में पैसा फंस गया । उनकी भी सिक्यौरिटी होनी चाहिए ताकि जो लोन वे दे रहे हैं वह वापिस आ जाये । यह न हो कि वे लिटिगेशन में फंस जायें और दस–पन्द्रह साल तक लिटिगेशन चलती रहे । ऐसा नहीं होना चाहिए ।

अब रिजर्व बैक की इन्स्ट्रक्शन के मुत। बिक फाइनैन्स मिनिस्टर्ज की कान्फ्रेस हुई थी । उसके अन्दर तमाम स्टेट्स ने यह माना कि बैंकों की रिकवरी हो क्योंकि हर स्टेट अपनी खुशहाली के लिए, अपने प्लान्ज को आगे चलाने के लिए धन चाहती है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मैं कहना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई फाइनैन्स मिनिस्टर साहब यह कह रहे हैं कि बडे बड़े लैन्ड न ई न केन लेते है । लैन्ड लार्डज लफज का मतलब एग्रीकलचस्टि से है । किसान जो भी खेती करता है वह लैन्ड लार्ड नही है । अगर आप बड़े बड़े लैन्ड लार्डज को सजा देना चाहते हैं तो बड़े बड़े कारखानेदारों को भी सजा दो ।

Mr. Chairman : Please take your seat.

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : चेयरमैन साहब जोबैकं हैं इनका यह गिरना रहा कि अगर फलड आया है या औरने पड़ जाये या नेचूरल कमेटी हो जाये तो किसान बैक वालों को अपनी किस्त नहीं दे सकते और बैक– वाले उनको तहसीलदार की मार्फत जेल में रोक देंगे । लोगों को कह भय है लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जैसे फल्ड आया, ओले आये तो बैक बालों के साथ सी0एम 0 साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई । वहां उन्होंने एग्री किया कि हम इसको एक्सटेन्ड कर देंगे । यह जो कानून है यह कोई ऐसा आटोमैटिक नहीं है कि हर आदमी पर लागू हो जायेगा । जो आदमी अपनी किस्त देंगे उन पर क्यों लागू होगा? यह प्रोवीजन एकाध केस में लागू होगा, जहां जो आदमी जान–बूझ कर शरारत करने की कोशिश करेगा । यह कोई आटोमैटिक नहीं है । यह तो सिर्फ बैंक की सिक्योरिटी है । उसका पैसा मरेगा नही और ज्यादा पैसा खुशहाली के लिए दे सकेंगे ।

चौधरी गंगा राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मैं एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं ।

Mr. Chairman : He is given all the clarification. When he finishes his reply and you remain unsatisfied, you can raise any point and he can reply.

चौधरों सतवीर सिंह मलिक : तीसरा डर यी है कि रिजर्व बैक जो है वह ग्रान्ट दे दे । यह प्रोवीजन न लगाया जाये और हरियाणा सरकार इस बात की गारन्टी दे । रिजर्व बैंक कानून

के हिसाब से, बैक लोन के हिसाब से ऐसी इजाजत प्राइवेट केसिज के अन्दर नही दे सकता ।

Shri Lachhman Singh : For the knowledge of the Hon. Minister I may explain that the Reserve Bank of India stands guarantee in the case of Small Scale Industries for lakhs of rupees. Similarly the Government/ the Reserve Bank can stand guarantee for the agriculturists.

अगर वह जिम्मेदारी रिजर्व बैक सम्भाल ले तो क्या फर्क पड़ता है । लाखों रुपये की इन्डस्ट्रीयलिस्ट की भी तो सिक्योरिटी देता है।

Mr. Chairman : Knowledge about banking is not a point of order.

Shri Lachhman Singh : It is a point of order.

Mr. Chairman : It is not a point of order.

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : इसके साथ ही यह –बता दूं कि जो यह रिजर्व बैंक के लोन्ज हैं, उसका मेरे साथी को मालूम नहीं है कि वहां पर प्राइवेट आदमियों के लिए स्टेट गवर्नमैंट गारन्टी नहीं दे सकती । हर केस वहां पर मैरिट पर डिसाइड होता हे । यह नहीं है कि हर आदमी को उसके अन्दर ठोक दिया जाये । बैंक वालों की शिकायत रही है कि जैसे कोआप्रेटिव सोसाइटीज के कर्जे हैं यर स्टे ट गवर्नमैंट के अपने लोन्ज हैं, चाहे वे फारमर्ज के हों, वे शू एरियर ऑफ लैन्ड रैविन्यू

वसूल करते हैं । बैक वालों का भी यही है कि अगर कोई आदमी न दे सके तो उसको वसूल किया जाये । बैक वाले कहते हैं कि जब हम स्टेट गवर्नमैंट को लोन देते हैं तो वह प्रांत की खुशहाली के लिए देते हैं । फिर उसकी समय पर वसूली क्यों न हो और उसकी सिक्योरिटी क्यों न दी जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि तहसीलदारों और बै क मैनेजरों के जरिए जो रिकवरी होगी उपमें किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी । जो आदमी समय पर पैसा नहीं देते हैं, इन्सटालमैंट समय पर जमा नहीं कराते हैं उनकी रिहररी लैन्ड रैविनू के जंरिए करायी जाये । मैं हाउस को अश्योरैन्स देता हूं कि तहसीलदार बैंक वालों के अन्डर नहीं है, तहसीलदार तो गवर्नमैंट सर्वेन्ट हैं । अगर कोई चीज गलत होगी तो होने नहीं दी जायेगी ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर । आज तो तहसीलदार इस सरकार के अन्डर हैं । कल को कोई ऐसी सरकार भी आ सकती है जो जमींदारों को मरवा दे । यह क्या गारन्टी करते हैं कि जिन्दगी भर यही सरकार रहेगी । ऐसा न हो कि उन किसानों को जीप से बान्ध कर खीचा जाये ।

श्री सभापति : सरकार की कोई गारन्टी नहीं होती है कि रहेगी या नहीं रहेगी लेकिन यह तो कानून की गारन्टी बता रहे हैं ।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : चेयरमैन साहब तहसीलदार और सरकार के दूसरे अधिकारी कोई ज्यादती करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा । ऐसी कोई भी बात सरकार के नोटिस में आयेगी कि तहसीलदार ने मिल कर नाजायज हरकत की है तो उसके खिलाफ सक्त कार्यवाही की जायेगी । किसी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं होने देंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने जो भी प्वांयट्स रेज किये थे और जो भी उनको शंकायें थीं, वे सब दूर हो गयी होंगी । अब मैं यह मूव करता हूं कि यह बिल क्लाज बाई क्लाज पास किया जाये ।

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब मेरा एक प्वांयट है – (विघ्न)–

श्री सभापति : मिनिस्टर साहब ने जवाब दे दिया है । No point is left uncovered.

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब आपने यह कहा था कि कि मिनिस्टर साहब को जवाब दे लेने दें उसके बाद क्लैरीफायी कर लेना । मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इस बिल में लैन्ड लार्ड्ज और स्माल फारमर्ज को डिफ्रैशिएट नहीं किया गया है । मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बिल के अन्दर इस बारे में कोई धारा नहीं हे ।

श्री सभापति : आपके सवाल का जवाब आ गया है । आपने जो भी प्वायंट रेज किए थे, उनका जवाब आ चुका है ।

चौधरी गंगा राम : मैं यह कहना चाहता हूं कि स्माल फारमर्ज की भी वही दुर्गति की जा सकती है जो लैन्ड लाडर्ज की होगी । यह केवल लैन्ड लाडर्ज तक ही सीमित नहीं है ।

Mr. Chairman : Please take your seat. The Hon. Minister has already covered the point,

Question is—

That the Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now the House will take up the Bill clause by clause.

There are ten clauses to this Bill. If the House agrees, I may put these together.

Shri Mool Chand Jain : Clauses 2 to 6 may be put together. Mr. Chairman : Alright.

Clauses 2 to 6

Mr. Chairman : Question is—

That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : चेयरमैन साहब, फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने इस बिल की क्लाज 7 के बारे में जो कारण बताया है, मैं समझता हूं कि उनकी मजबूरी है और शायद हमें इस बिल को भी पास करना पड़े । लेकिन मैं इसलिए इस मौके पर खड़ा हुआ हूं कि यहां पर यह बता सकूं कि हमारे देश में आज इकोनोमिक इन्ट्रैस्ट्स का क्लैश हे । एक इकोनोमिक इन्ट्रैस्ट वालों को तो बड़ी पोलीटीकल पावर मिल गई और इस देश में वह उनकी हिमायत करना चाहते हैं । दूसरे इन्टैरस्ट अब जनता पार्टी के पावर में आने के बाद उभरे हैं । वे किसान की बात करने वाले लोग हैं । वे लोग किसान की मदद करना चाहते हैं । यह एक बिल ऐसा– है कि इससे इस बात का पता चलेगा कि जनता पार्टी किसानों के फायदे के लिए, मंत्री और चीफ मिनिस्टर साहब, किसानों के हित की रक्षा के लिए कोशिश कर सकते हें या नहीं कर सकते हैं । मैं यह जानता हूं कि उनके दिल में बहुत लग्न है और वह बड़ी नेक नीयत से काम करना चाहते हैं । वे यह चाहते हैं कि हाउस इस बिल को पास कर दे । लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज एक फाईट चल रही है, दो इन्ट्रैस्टस का क्लश हो रहा है । एक तरफ तो किसान का इन्ट्रैस्ट है, देहात में बसने वाले का इन्टैरस्ट हे और दूसरी तरफ सरमायेदार का इन्टैरस्ट है । अभी जो मैंने कह., वह बात ठीक निकली और मेरा ख्याल यह हे कि अब ठाकुर बीर सिह जी की गलतफहमी दूर हो गई होगी कि परसनल सिक्योरिटी पर तो

कोई बैंक लोन देता ही नहीं है । मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में उनकी बात को स्वीकार नहीं किया कि जो इन्टरप्रटेशन वह देना चाहते थे, वह ठीक है । जो इन्टरप्रटेशन उन्होंने दिया था, उसको मिनिस्टर साहब ने स्वीकार नहीं किया । जैसे कि मिनिस्टर साहब ने यह बताया कि यह जो कर्जा है, किसान अपनी जमीन सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रख कर लेता है । एक तरफ तो उसकी जमीन भी गिरवी रखते हैं । और दूसरी तरफ उस हो हवालात में भी ले जाते हैं । लैण्ड रैवेन्यू के तौर पर वसूली के मायने क्या हैं? उसके मायने यह हैं कि जो भी आदमी अपना कर्जा देने में नाकामयाब रहता है उससे वसूल करने के लिए उन्हे माल विभाग अरैस्ट करके ले जाता है, उन्हें घसीटा जाता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है । जिनके भाई भतीजे इस किस्म के केसिज में हवालात में गए हैं, उनको पता है कि उनकी कितनी बेइज्जती की जाती है । मुझे यह पता चला है कि यह सैन्टर से डायरैक्टिव है और सारी स्टेट्स में ही ऐसा कानून पास होने जा रहा है । लेकिन मुझे आशा है कि पंजाब सरकार भी इस बात में सहयोग देगी कि उनके साथ ऐसा न किया जाए क्योंकि वहां पर भी यह बिल आ रहा है । यह मैं मानता हूं कि आप बहुत मुश्किल में फंस गए हैं । हरियाणा सरकार रिजर्व बैंक के लिए इस प्रकार का प्रोवीजन करने से इन्कार भी नही कर सकती । लेकिन मै यह चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इस बात का अश्योरैन्स दें कि जो हसारे फामरर्ज हैं, खास तौर पर जो छोटे किसान है । उनके इन्ट्रैस्ट को बचाने के लिए यह कोई न कोई कदम उठायेंगे ।

अगर कोई किसान टुयूबवैल के लिए कर्जा लेता है, टैरक्टर के लिए कर्जा लेता है या किसी और चीज के लिए कर्जा, लेता है तो उसे इस किस्म की बेइज्जती से बचाने के लिए फाईनैसं मिनिस्टर्ज की एक मीटिंग इस सम्बन्ध में बुलायेंगे और उसमें यह मामला भी उठायेंगे । आपको पता है अगर तहसीलदार वसूली नहीं करके देगा, तो डिप्टी–कमिश्नर उसके कान खीचेगा, कमिश्नर उसके कान खीचेगा, डिप्टी–सैकरेट्री उसके कान खींचेगा ।

चौधरी लाल सिंह : आप प्वायंट आफ आर्डर सर । मैं यह कहना चाहता हूं कि– – –

श्री सभापति : देखिये, आप प्वायंट आफ आर्डर पर कोई रै लेवैन्ट बात कहना चाहते हों तो कहिये ।

चौधरी लाल सिंह : मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि जब यहां पर किसानों की बात हो रही है तो हर वक्त यहां पर जमीदार विरोधी बात कहना ठीक नहीं है ।

श्री सभापति : वह बिल्कुल डायरैक्टली रैलेवैन्ट टू दी बिल बात कह रहे हैं । Please take your seat. It is not a point of order. He is not irrelevant. If he becomes irrelevant, I will check him.

श्री मूल चन्द जैन : मैं यह बात कहना चाहता हूं कि डस वक्त तो बिल को पास कर दिया जाए क्योंकि यह बिल जो आया है यह इनकी मज–बूरी है । इसके बस की बात नहीं है । मैं

यह कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार को चाहिए कि फाईनैस मिनिस्टर्ज की मीटिंग में यह बात अवश्य उठाये क्योंकि यह बात हमें चुभती है । (मुख्य मंत्री जी की ओर से विध्न) हमारे लीडर साहब भी नाराज होते हैं, इसलिए अब मैं यही पर खत्म करता हू ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : जो दो हजार रुपए तक के लोन हैं उनके पर कोई मोर्गेज डीड वगेरा नहीं लिया जाता । वह तो बड़े किसानों के लोन के लिए हैं ।

Mr. Chairman : The word in this is 'agriculturist'. It is very dangerous.

चौधरी संत कंवर (हसनगढ) : चेयरमैन साहब, इन्होंने यह जो कहा कि फ्लड के टाईम पर उस तरीके से पैसा वसूल नहीं हुआ और उसको हमने एक्सटैन्ड कर दिया था, किसी आदमी को जबरदस्ती नहीं पकड़ा गया, यह गलत बात है । वित्त मंत्री महोदय को यह पता होना चाहिए कि जब हरियाणा के अन्दर फलड आया और जहां वित मंत्री, मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने यह कहा कि हम इसकी रिकवरी पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन इस सब के बावजूद भी लोगों को पकड़ा गया और जेलों में बाद कर दिया गया ।

Mr. Chairman : If there is any such case, the Hon. Member, may please bring to the notice of the Hon. Finance Minister. He would, I think, take action.

Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

बहिर्गमन

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : . चेयरमैन साहब, यह क्लाज ऐन्टी किसान पास हुई है इसीलिये हम वाक–आउट करते हैं ।

(इस समय चौधरी जगजीत सिंह पोहलू और चौधरी बीरेन्द्र सिंह सदन से उठ कर चले गए)

दि हरियाणा एग्रीकल्चरल क्रैडिट औप्रेशन्ज एण्ड मिसलेनियस प्रोवीजन्ज (बैंक्स) अमैंडमैंट बिल, 1978 (पुनरारम्भ)

Clauses 8 to 10

Mr. Chairman : Question is—

That clauses 8 to 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause I

Mr. Chairman : Question is—

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman : Question is—That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, **I** beg to move —

That the Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Amendment Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions - (Banks) Amendment Bill be passed.

Mr. Chairman : Question is—

That the Haryana Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा सीलिंग आन लैण्ड होल्डिग्ज (अमैंडमैटं) बिल 1978

Revenue Minister (Shri Preet Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Ceiling on land Holdings (Amendment) Bill 1978.

Sir, I also beg to move.

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Chairman : Motion moved—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी हरस्वरूप बूरा (महम) : चेयरमैन साहब, इस अमैन्डिग बिल के अन्दर जो दो तरमीमें की गई हैं उनमें से एक की तो मैं ताईद करता हूं और दूसरी की मुखालिफत । इन दोनों के पर मैं कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । चेयरमैन साहब जिस अमैन्डमैंट की मैं ताईद करता हूं, उसमें यह प्रोवीजन किया गया है कि पहले लोअर कोर्ट में लीगल प्रैक्टीशनर किसान की तरफ से पेश नहीं हो सकता था । पहले लीगल प्रैक्टीशनर सिर्फ फाइनैन्शल कमिश्नर के सामने ही पेश हो सकता था और जो भोला किसान कानून को नहीं समझ सकता था वह न्याय लेने में असमर्थ था । इसलिए इस बिल के तहत जो अमेन्डमैंट की गई है उसमें अब लीगल प्रैक्टीशनर किसानकी तरफ से लोअर कोर्ट में

पेश हो सकेगा । मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी अमैन्डमैंट है और न्याय दिलाने का एक रास्ता दिया गया है । चेयरमैन साहब, जिस बात की मुखालिफत के लिए मैं खडा हुआ हूं वह यह है कि सैक्शन 18 के सब–सैक्शन 7 के तहत एक प्रोवीजन है कि प्रिंसिपल एक्ट के तहत अगर कोई एगरीव्ड पार्टी पैटीशन या रिविजन के लिए हाईकोर्ट के अन्दर जाती है तो उसको लैड रैवेन्यू या तीस गुणा सिक्योरिटी के रूप में पे करना पड़ता है और इस अमैन्डमैंट के तहत इसको क्लेरिफाई किया गया है । मैं समझता हूं कि क्लेरिफिकेशन जो की है वह तो अच्छी है, लेकिन क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है । जो गरीब किसान तीस गुणा पैसा जमा नहीं करवा सकता और जो पैटीशन के लिए हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकता उसको इस क्लेरिफिकेशन का क्या फायदा है । क्लेरिफिकेशन का तो तभी फायदा है जब वह हाई कोर्ट में जाने के काबिल हो । लैड रेवैन्यू का तीस गुणा एक गरीब किसान कैसे जमा करवा सकता है । किसान बेचारा चाहता है कि उसको न्याय मिले । लोअर कोर्ट में न्याय की आशा बहुत कम है । जहां ला और फैक्ट्स को अच्छी तरह देखा जाता है वहां आपने किसान को न्याय से वंचित करने के लिए एक पेचीदगी खड़ी कर दी है (इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) । डिप्टी स्पीकर साहब, हमने रोहतक की बार की तरफ से एक रेजोल्यूशन भेजा था और उस रेजोल्यूशन में यह कहा गया था कि इस प्रोवीजन को डिलीट किया जाए लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि उसको नहीं माना गया । जो तीस गुणा पैसा जमा कराया जाएगा उसकी गारन्टी दी

गई है और कहा गया है कि अगर कोई जीत जाता है तो उसको वह पैसा वापिस कर दिया जाएगा । डिप्टी स्पीकर साहब, जो लोग हाई कोर्ट में जाएंगे उनके लिए तो ठीक है उनका एडजस्ट हो जाएगा लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग वहां जा ही नहीं सकेंगे उनका कैसे ऐडजस्ट होगा, कैसे रिफण्ड होगा । डसका मतलब यह है कि जो गरीब किसान तीस गुणा पैसा जमा नहीं कर सकेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा । उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनकी हालत तो ऐसी हो चुकी है जै से किसी ने कहा है–

ना कुछ खा के मरा हूं,

ना किसी रोग से मरा हूं

ये कसरते कानून की पेचीदगियों से,

तंग आकर मरा हू ।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसको पढ्ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बिस्कूल सराहनीय अमैन्डमैंटस हैं । मेरे दोस्त को कुछ गलफहमी है कि तीस गुणा लैंड टैक्स क्यों जमा कराने की बात रखी गई है । डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर कोई निगरानी करे तो उसको पहले लैंड टैक्स का नकद दाखिल करना पड़ता था । अब हमारी सरकार ने यह प्रोवीजन

किया है कि नकद के इलावा सिक्योरिटी भी दी जा सकती है । नकद वाली परेशानी से किसान को बचाया गया है और अब सिक्योरिटी से काम चल सकता है । डिप्टी स्पीकर साहब, हाई कोर्ट में जाने के लिए लैड रेवेन्यू का जो तीस गुणा जमा किया जाएगा उसके बारे में क्लेरिफाई किया है कि अगर कामयाब हो जाता है तो वह वापिस मिल जाएगा । दूसरा प्रोविजन के तहत सैक्शन 20 (ए) को डिलीट किया गया है । पहले यह प्रोवीजन था कि फाईनेन्शल कमिश्नर के सिवा सरप्लस जमीन के झगड़े के बारे में कोई वकील पेश नहीं हो सकता था, सिर्फ फाईनेन्शल कमिश्नर के यहां ही वकील पेश हो सकता था । अब क्लाज 20 (ए) को वापिस ले लिया गया है और इसका नतीजा यह हुआ है कि सरप्लस जमीन के झगड़े के सिलसिले में कलैक्टर के सामने भी वकील पे श हो सकता है, एफ 0 सी0 के सामने वकील के पहले ही पेश होने की इजाजत थी । डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने यह बिल्कुल ठीक किया है और मैं इसका स्वागत करता हू ।

राजस्व मन्त्री (श्री प्रीत सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, इसकी बैकग्राउंड का सबको पता है और सदन के सब सदस्य इसको अच्छी तरह से समझते हैं । बूरा साहब ने जो एतराज उठाए हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने क्लाज 20 (ए) को डिलीट कर दिया है और अब लैड लार्ड लोअर कोर्ट में भी वकील ऐगेज करके अपने प्वाएंट को क्लेरिफाई कर सकेगा । उसके बाद हाई कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं रहती क्योंकि हाई कोर्ट

में वही– लोग जाएंगे जो ज्यादा मालदार होंगे या जिनके पास ज्यादा जमीन होगी । सरकार ने तीस गुणा लैड रेवेन्यू जमा कराने की बात चौक के तौर पर रखी है । दूसरे इतना ज्यादा इनजस्टिस भी नहीं हैं । अगर जीत गया तो उसको पैसा वापिस मिल जाएगा और अगर नही जीता तो अनाथोराईज्ड अकुपेशन के लिए जो लाइसैंस फीस रखी है और जो उसको देनी चाहिए, उसके अगेन्सट वह ऐडजस्ट हो जाएगी । इसमें कोई ज्यादती नहीं है, कोई गैर इन्साफ नहीं है, मैं समझता हूं कि हाउस की सैंस को देखते हुए यह बिल बिल्कुल ठीक है ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration a once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill clause by by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Fnacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enactiong Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr . Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Shri Preet Singh) : Sir, **I** beg to move-

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be passed.

चौधरी जगजीत सिंह पोइलू (पाई) : डिप्टी स्पीकर साहब, क्एं चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि यह जो लैन्ड सीलिंग एक्ट हे, यह बहुत पुराना चल रहा है और इस पर कई बार अमैन्डमैंट भी आ चुकी हैं । सारी जनता यह चाहती है कि इन गरीबों को रोजगार दिया जाए, उनको जायदाद मिले । लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि इसके साथ–साथ अर्बन प्रापर्टी सीलिंग बिल– भी लाया जाए ताकि लोगों को जलन न हो । चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी प्रार्थना है कि गरीब हरिजनों तथा बैकवर्ड गरीब लोगों को जायदाद मिलनी चाहिए । एक गरीब और एक अमीर आमदनी के लिहाज से दो क्लास बना दी जाएं यह बात ठीक नहीं है । आमदनी के लिहाज से आप क्लास बनाएं, जात के लिहाज से नहीं । इसलिए मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि इस बिल को विदड्रा कर ले और अगले सैशन में लैड सीलिंग बिल और अर्बन प्रापर्टी सीलिंग बिल दोनों बिलों को साथ ही साथ पेश किया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : The House stands adjourned* sine-die.

14.52 बजे

(The Sabha then adjourned sine-die.)